खण्ड-330, अंक-10
बुधवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1900
(5 अप्रैल, 1978 ई0)

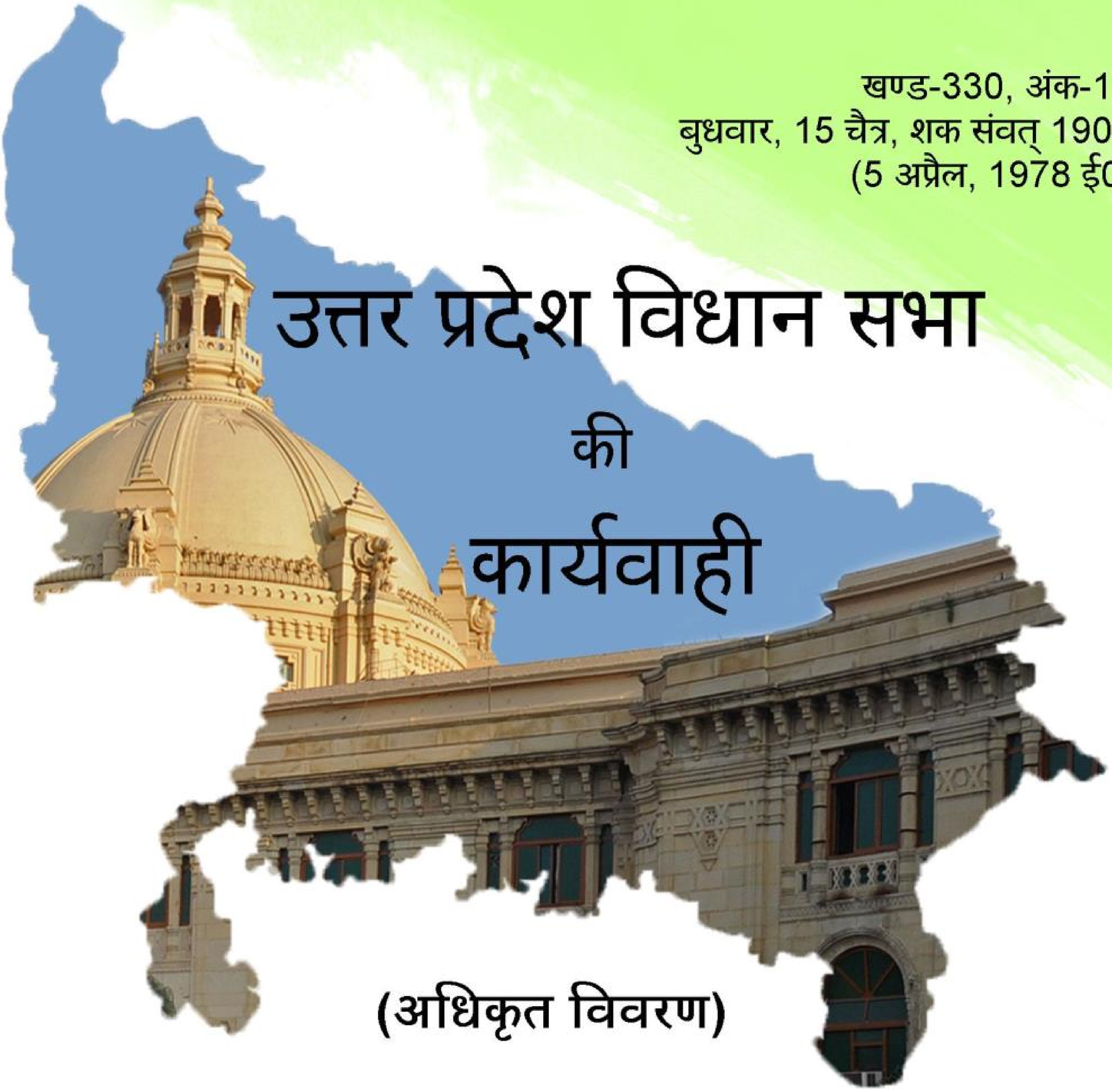

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1167–1170
प्रश्नोत्तर	1171–1220
कतिपय विषय	1220–1222
उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल, मरैला, अकबरपुर, जिला फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1222–1223
जिला परिषद्, देवरिया के कार्याधिकारी द्वारा परिषद् के पच्चीस कर्मचारियों को सेवा से अलग किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1223
श्री मित्रसेन, सदस्य, विधान सभा की मिल्कीपुर, फैजाबाद में होने वाली जन सभा में पुलिस की साजिश से पथराव तथा हमला होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1223–1224
चित्रकूट में आयोजित रामायण मेले में नाटककारों तथा साहित्यकारों का अपमान किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1224–1225
झांसी नगर मैजिस्ट्रेट, श्री रामसेवक मिश्र तथा अन्य साथियों द्वारा नशे की हालत में झांसी मेडिकल कालेज की लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1225–1226
बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उन्नाव जनपद में नंगे खुले बिजली के तार छू जाने से अनेक मृत्युएं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1226
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1974–75 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1226
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सत्रहवां) आदेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	1227
फैजाबाद जिले में पागल कुत्ते के काटने की घटना की जांच रिपोर्ट पर आधारित स्थिति की टिप्पणी (सदन के पटल पर रखी गयी)	1227
ग्राम्य विकास मंत्री, श्री जमुना प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1227–1228
सिंचाई मंत्री तथा गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक और कांस्टेबिल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1228
4 अप्रैल, 1978 की कार्यसूची में नत्थी 'ङ' में श्री हरी सिंह के नाम से फर्जी संशोधन छापने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1228–1229

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1230–1231
1978–79 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	1231–1273
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1273
बाराबंकी जिले में बस और ट्रक के टक्कर से हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1273–1278
गंगा नदी में जल छोड़ दिये जाने से फर्रुखाबाद के किसानों की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1278–1281
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (पारित) ..	1281–1296
नत्थियां	1297–1309

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपसचिव प्रदेश सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 5 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--321

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
एदल सिंह श्री
ए0सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पांडेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुंजेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री

चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री

भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मोअज्जिल अली बेग, डाक्टर
मोतीराम, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह "जुदेव," श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेंद्र कुमार गुप्त, श्री
राजेंद्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेंद्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पांडेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
रामफेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)

रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 5 अप्रैल, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, जिला लखनऊ के छात्रों से लिया गया जुर्माना

**1—श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ में फर्स्ट टर्म की फीस साधारणतया 31 जनवरी, 1978 तक जमा होनी थी ? क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में प्रिंसिपल ने 31 जनवरी के पहले ही उन छात्रों से 50 रु0 जुर्माना वसूल लिया जिनके अभिभावक जनवरी में फीस जमा नहीं कर पाए ? यदि हां, तो इसका क्या आधार था और क्या मंत्री जी उक्त जुर्माने की धनराशि को आगामी टर्म की फीस में सम्मिलित करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

जी नहीं। फर्स्ट टर्म (जनवरी–जून) की फीस स्कूल के नियमों के अनुसार 15 जनवरी तक देय होती है। नियमान्तर्गत निर्धारित तिथि तक फीस न जमा करने वाले छात्रों को दण्ड सहित स्कूल से निकाल दिये जाने का प्राविधान है। परन्तु प्रसंगत प्रकरण में प्रधानाचार्य द्वारा ऐसे छात्रों के साथ सहानुभूति बरते हुए उनसे मात्र रु0 45 प्रतिटर्म जुर्माना लेकर शिक्षा प्राप्त करते रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई। जुर्माने की धनराशि की आगामी टर्म की फीस में सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के बेलवा-मिठउवा-टेरिलापुर की सड़क का निर्माण एवं मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

**2—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम बेलवा से मठउवा, धनगढ़वा होकर टेरिलापुर ग्राम तक टेस्ट वर्क से सड़क बनाने का कार्य चल रहा है जिस पर पिछले बीस दिनों से काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण लगभग 1500 (पन्द्रह सौ) मजदूरों में काफी असन्तोष है ? यदि हां, तो भुगतान न होने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक किया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम बेलवा से मिठउवा, धनगढ़वा होकर टेरिलापुर ग्राम तक की टेस्ट वर्क की सड़क पर दिनांक 4–3–78 तक हुए कार्य का भुगतान दिनांक 11–3–78 को हो गया था। दिनांक 4–3–78 से दिनांक 12–3–78 तक कार्य बन्द रहा। दिनांक 13–3–78 से दिनांक 20–3–78 तक कार्य का भुगतान चार्ज अधिकारी (जिलाधिकारी का प्रतिनिधि) तथा जूनियर इन्जीनियर से मस्टर रोल इत्यादि प्राप्त न हो सकने के कारण नहीं हो सका है। अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे मस्टर–रोल मंगाकर तुरन्त भुगतान कर दें।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिनांक 4–3–1978 तक जो काम हुआ था, उसका भुगतान 11 तारीख को किया गया और फिर काम 13 से प्रारम्भ किया गया। तो पहली बात यह जानना चाहता हूं कि इस बीच यानी 4 से लेकर 13 तक काम हुआ कि नहीं ? यदि नहीं हुआ, तो कारण क्या था ? दूसरी बात यह है कि 13 तारीख से कार्य प्रारम्भ हुआ। मैंने 27 तारीख को प्रश्न किया है। इस 15 दिन की अवधि में . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के दौरान तकरीर न करें। आप तो तकरीर कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ पांडेय—

उस बीच में काम नहीं हुआ 4 से लेकर 13 तारीख के बीच में और यदि ऐसा हुआ, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण था ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, 4 से लेकर 12 तक काम बंद रहा।

श्री अध्यक्ष—

वह पूंछ रहे हैं कि क्यों बंद रहा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसकी सूचना नहीं है मान्यवर, कि क्यों बन्द रहा। लेकिन यह मालूम है कि काम नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, यह तो आपके संबंधित अधिकारी का फर्ज होना चाहिये कि जब काम बंद रहा, तो इसकी सूचना फाइल पर देते कि क्यों ऐसा हुआ ? ऐसे प्रश्न की तो उम्मीद ही करना चाहिये कि माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री में पूंछेंगे। कृपया आइन्दा से ध्यान रखें।

अब उनका दूसरा प्रश्न है कि पेमेंट क्यों नहीं हुआ ?

मस्टर रोल प्राप्त नहीं हुये, यह कहा। आखिर इसका क्या कारण था ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, 12 तक बंद रहा। मस्टर रोल नहीं आये, लेकिन इस वक्त ऐसी सूचना मिली है कि मस्टर रोल मंगाने से पता चला कि 15 से 18 तक काम हुआ। उसके भुगतान के लिये 30–3–78 को चेक काटकर दे दिया गया है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

13 तारीख और 27 तारीख के बीच जो काम हुये सरकारी आदेशानुसार, इनका दो बार भुगतान होना चाहिये था, टेस्ट वर्क के अन्तर्गत कार्य करने वालों को, तो क्या माननीय मंत्री जी इसे सरकारी आदेश का उल्लंघन मानते हैं ? यदि हां, तो इस आदेश के उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इसे मैं देख लूंगा। जो अनियमिततायें हुई होंगी, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

जैसा कि विश्वनाथ जी ने बताया कि मजदूर भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी सड़कें और भी हैं जहां मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलवा से मिठउवा, घनगढ़वा से टोरिलापुर तक कितनी लम्बी सड़क है और इसमें कितना धन खर्च किया गया है ? क्या इस प्रकार की कोई शिकायतें आप की जानकारी में है कि वहां पर रुपये का दुरुपयोग किया गया, गबन किया गया और क्या उसकी जांच करायेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जरूर जांच करायेंगे।

श्री सुखपाल पांडेय—

मान्यवर, मैंने तो प्रश्न किया था कि उस पर कितना खर्च हुआ, कितनी लम्बी सड़क है। माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष —

मंत्री जी, इस सड़क पर कितना रुपया व्यय हुआ और कितनी लम्बी सड़क है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां —

मान्यवर, इसके बारे में पूरी सूचना नहीं है।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें। मंत्री जी के पास सूचना नहीं हैं ..

श्री अध्यक्ष—

सुखपाल जी, आप अनुपूरक प्रश्नों में इस प्रकार सदन का समय नष्ट करते हैं. . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय—

आप मंत्री जी को नियंत्रण में रखें. . . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि आखिर मस्टर रोल देर से क्यों आये, जिनकी वजह से भुगतान नहीं हो पाया और क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मैंने पहले ही कहा कि इस सिलसिले में जितनी अनियमिततायें होंगी उसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरी किस रेट पर दी गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इसमें ऐसा हुआ कि यह टेस्ट वर्क का काम है, जो काम होता रहा उसके हिसाब से मजदूरी.....

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि मजदूरी का रेट क्या था ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मिट्टी काटने के बाद जो नाप आती हैं, उसकी सूचना नहीं हैं, कितनी मिट्टी काटी गयी, कितनी नाप आई, कितना पेमेन्ट हुआ।

श्री विक्रमाराय (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, क्या इस प्रकार के कोई निर्देश हैं कि मेजरमेंट के हिसाब से और डेली के हिसाब से, दोनों को कम्पेयर कर के पेमेन्ट किया जाता है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बाज जगहों पर डेली वजेज पर होता है बाज जगहों पर मजरमेंट पर होता है।

बलिया जिले के बन्द ट्यूबवेल

**3—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बलिया जनपद में अधिकांश सरकारी नलकूप मोटर न चलन तथा अन्य त्रुटियों के कारण महीनों से काम नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे नलकूपों से सिंचाई के लिये तत्काल क्या व्यवस्था की जा रही हैं ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

बलिया जनपद में इस समय एक महीने की अवधि से अधिक चार नलकूप यांत्रिक दोषों तथा एक नलकूप विद्युत् दोष से बन्द हैं। इन्हें यथाशीघ्र ठीक कराने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चार नलकूप हैं, वे यांत्रिक दोषों के कारण बन्द हैं वे किस-किस महीने से बन्द हैं और उनको चलाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

इसमें से 2 ट्यूबवेल जो हैं उनके पम्प गिर गये हैं, एक का हाउसिंग पाइप टेढ़ा हो गया है और एक का मोटर और पम्प दोनों खराब हैं। एक में विद्युत् दोष है और उसका केबुल चोरी चला गया है जो कि 20-4-78 तक दुरुस्त कर दिया जायेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य प्रश्न मैंने अवधि के बारे में किया है कि कितने महीने से वे बन्द हैं वह कौन सी तिथियां हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

उनकी तिथियां हैं 22-2-78, 21-2-78 और 1-3-78।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

43 नम्बर नलकूप, जो बलिया में है वह जुलाई से बन्द हैं। दिसम्बर में केवल 15 दिन तक चला और फिर बन्द हो गया। 1 तारीख की मीटिंग में अधिशासी अभियन्ता ने कहा कि नलकूप नहीं चलेगा। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप वहां पर कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं, इस नलकूप को चलाने की? वहां पर 300 एकड़ किसानों की लहलहाती जमीन सूख रही है। क्या आप यहां से किसी अधिकारी को भेजकर उस मोटर को चालू करवा देंगे क्योंकि जब ऐक्जीक्यूटिव आफिसर यहां से जाते है, तो वे अपना कमीशन तय करते हैं..

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

तो जो यह 43 नम्बर का नलकूप हैं, जो कि जुलाई से बन्द पड़ा हैं उसके सम्बन्ध में यहां से कोई अधिकारी भेजकर उसको चालू करवायेंगे?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

माननीय सदस्य की सूचना पर हम अवश्य भेजेंगे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया में ट्यूबवेल खराब होने का कारण यह है कि वहां के चीफ इन्जीनियर मिस्टर टण्डन ने गलत पुरजों की खरीद की थी, जिसके कारण बलिया में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

इस सम्बन्ध में 33 ट्यूबवेल थे, जो कि अलग-अलग तरीके से खराब हुये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है उसमें 16 ऐसे हैं जिनका या तो समय समाप्त हो चुका है या वाटर लेबुल इतना नीचे चला गया है कि जिससे वे फेल हो गये हैं। इनमें से 8 की पुनः बोरिंग करके चालू करवाने की कार्यवाही हो रही है और 8 को अगले साल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 नलकूप एक माह से अधिक समय से बन्द हैं, 33 एक माह से कम समय से बन्द हैं, जिनमें से 10 पम्प दोष के कारण, 13 मोटर जलने के कारण, 4 स्टार्टर्स की खराबी के कारण, 4 बेयरिंग टूटने के कारण और दो मेन स्विच की खराबी क कारण बन्द हैं। यह नहीं है कि पुर्जों की खराबी के कारण ही बन्द हुये हों। पुरजों के सम्बन्ध में यदि आप पुनः पूछेंगे, तो वह बता देंगे ..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि चीफ इंजीनियर ने गलत पुरजे खरीदे। उसका कारण उन्होंने बता दिया कि पुरजे की खराबी उसका कारण नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो उत्तर मिल जायेगा।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पुरजों की खराबी नहीं थी, जिससे ट्यूबवेल खराब हो गये और फसल सूख गई?

श्री अध्यक्ष—

इसका मंत्री जी विस्तृत उत्तर दे चुके हैं।

श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा, बहुत से ऐसे ट्यूबवेल हैं जिनकी क्षमता समाप्त हो चुकी है और उनके रि-बोरिंग की व्यवस्था कोई नहीं है। क्या यह सही है कि रि-बोरिंग के लिए उनके विभाग में कोई रिंग मशीन नहीं है इसलिए वह नहीं हो रही है। यह केवल बलिया का ही मामला नहीं है बल्कि देवरिया में भी अनेक ट्यूबवल रि-बोरिंग के अभाव में बंद पड़े हैं। रि-बोरिंग के लिए रिंग मशीन की आवश्यकता होती है, तो क्या उसका प्रबन्ध करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता है, मंत्री जी ने उत्तर दिया है जहां खराबी थी उन्हें फिर से रि-बोर करा दिया।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी का स्टार्टर खराब है या स्विच खराब है, तो क्या ये ट्यूबवेल के पुर्जे नहीं होते ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, मोटर जल गये हैं, इसमें पुर्जे का कोई सवाल नहीं है। किसी के स्टार्टर खराब हैं किसी का वाटर लेबुल कम हो जाने के कारण खराबी आ गई। वैसे मैंने कहा अगर उनको कोई जानकारी हो, माननीय सदस्य लिखकर दें, तो जांच करा लेंगे।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नलकूपों में खराबी हो जाने से सिंचाई नहीं हो पाई, उससे जो क्षति हुई वह कुल कितने मूल्य की हुई क्या उसका आंकलन किया गया ? यदि हां, तो क्या इसके आधार पर काश्तकारों को मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे सम्बन्धित नहीं है यह एक जनरल सवाल है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर में अध्यापकों का बी० टी० सी० का फर्जी प्रमाण-पत्र

**4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि गत वर्ष बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर में नियुक्त बी० टी० सी० अध्यापकों में 16 लोगों की बी० टी० सी० प्रमाण-पत्र की मूल-प्रतियां फर्जी पाई गयीं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी पूरे विवरण से सदन को तुरन्त अवगत करायेंगे ?

श्री काली चरण—

जनपद गोरखपुर में अगस्त, 1977 में 210 अध्यापक/अध्यापिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई थी जिनमें से 206 अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गईं। सामान्य रूप से उसी जिले में बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों को नियुक्ति दी जानी थी किन्तु अन्य जनपदों से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों पर भी विचार किया जाना था जिन्होंने इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया कि उनका मूल निवास जिला गोरखपुर ही है। जिन 206 अध्यापक/अध्यापिकाओं

की नियुक्तियां की गईं उनमें से 15 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने गोरखपुर जनपद के बाहर प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वांछित डोमिसाइल प्रमाण-पत्र दिया था। उनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उनके बी0 टी0 सी0 प्रमाण-पत्रों का जब सत्यापन कराया गया तो वे प्रमाण-पत्र फर्जी साबित हुए। इसके अतिरिक्त एक अभ्यर्थी ने दूसरे मृतक व्यक्ति के प्रमाण-पत्र पर सेवा प्राप्त कर ली थी तथा एक अन्य अभ्यर्थी का बी0 टी0 सी0 प्रमाण-पत्र प्रधान अध्यापक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, पिपरैच, गोरखपुर, द्वारा फर्जी बताया गया। इस प्रकार कुल 17 व्यक्तियों ने बी0 टी0 सी0 प्रमाण-पत्र की मूल प्रति फर्जी प्रस्तुत की थी जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। उनके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। मंत्री जी ने दो तीन तथ्यों को इसमें बताया है। 210 जगहें थीं और 206 लोग नियुक्त किये गये। सामान्यतया उसी जनपद के लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिये था लेकिन बाहर के लोगों को भी नियुक्त कर लिया गया। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 210 जगहें खाली थीं, तो 206 लोगों को क्यों नियुक्त किया गया जबकि काफी बी0 टी0 सी0 बेकार थे। दूसरा बाहर के लोगों की नियुक्ति का क्या औचित्य था ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जितनी नियुक्तियां होनी थीं उनमें से 4 स्थानी जनजाति के लिए आरक्षित थे। चूंकि अभी तक ये लोग उपलब्ध नहीं हो पाये इसलिए इनके स्थान रिक्त रखे गये हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे हिस्से का सम्बन्ध है यह मैंने अपने उत्तर में बताया कि गोरखपुर के मूल निवासी जिन्होंने किसी भी कारण से किसी दूसरे जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो.....

आदेश में यह था कि चूंकि वे मूल निवासी गोरखपुर के हैं, यह जिला अधिकारी से मूल निवास का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। तो उनके प्रमाण-पत्र पर भी विचार किया जा सकता है और उनकी भी नियुक्तियां की जा सकती हैं। उसके आधार पर जिन लोगों ने ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे, उन पर विचार करके उनकी नियुक्तियां की गई थीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो 15 आदमी बाहर के जिले के आ गए हैं, उनमें एक आदमी मरा हुआ था उसके स्थान पर दूसरे आदमी ने नौकरी ले ली, एक आदमी उसी जिले का था, जिसका फर्जी सर्टिफिकेट था। तो इससे ऐसा लगता है कि साक्षात्कार के समय की यह सारी घपलेबाजी है, अतः क्या मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि साक्षात्कार में, जो लोग बैठे थे, उन्होंने इन लोगों के मूल सर्टिफिकेट्स और डोमीसाइल सर्टिफिकेट को नहीं देखा, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ? एक जिले से पढ़ाई पास करके, जो दूसरे जिले में जाता है, तो जिला विद्यालय निरीक्षक उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसको भी उन लोगों ने नहीं देखा, ऐसा मालूम पड़ता है, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये सारी फार्मेल्टीज उस समय पूरी कर ली गई थीं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह सारी कार्यवाही मुकदमें में है और पुलिस उस पर विचार कर रही है।

एक सदस्य—

अभी सरकार विचार कर रही है केवल।

श्री अध्यक्ष—

पुलिस विचार के माने जांच करेगी वह।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया, साक्षात्कार के समय कुछ औपचारिकताएं होती हैं—मूल-प्रमाण-पत्र को सत्यापित किया जाता है, छात्र पढ़ाई पास करके एक जिले से दूसरे जिले में जाता है, तो माइग्रेशन सार्टिफिकेट उसे जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिया जाता है, तो उनकी जांच की गई या नहीं ?

श्री कालीचरण—

जहांतक एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए माइग्रेशन सार्टिफिकेट है, केवल जब यह जिला परिषद् के जिम्मे स्कूल थे तो दर्जा आठ तक की ऐसी व्यवस्था थी और बाकी ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है कि एक जनपद से दूसरे जनपद में जाए, तो जिला विद्यालय निरीक्षक से वह माइग्रेशन सार्टिफिकेट ले। एक राज्य में दूसरे राज्य में जाने के लिये केवल यह लेना पड़ता है, जनपद के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहां तक प्रश्न के दूसरे हिस्से का सवाल है डोमिसाइल सार्टिफिकेट के आधार पर.....

श्री अध्यक्ष—

जिन अधिकारियों ने साक्षात्कार किया, क्या उन्होंने इन सब सार्टिफिकेटस की प्रमाणिकता की जांच की, उनको देखा या नहीं ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, उन्होंने अपनी प्रमाणित प्रतियां दी थीं, जिसके आधार पर नियुक्तियां हुईं। चूंकि नियुक्तियों में काफी विलम्ब हो रहा था, उन्होंने नियुक्तियां कीं और उनमें जो गल्तियां पाई गयीं.....अभी-अभी जो प्रश्न किया, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी करा दी गई है, मुकदमा चलाने का जहां तक प्रश्न है, सारे तथ्यों की खोजबीन करने के बाद ही पुलिस आगे की आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मूल प्रमाण-पत्रों की प्रमाणिकता को साक्षात्कार के समय अधिकारियों ने प्रमाणित किया था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

साक्षात्कार के समय जो सार्टिफिकेट्स पेश किए गए, वे मूल या अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित थे या नहीं ? फोर्जरी तो बाद में मालूम पड़ी।

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, यह मूल प्रमाण-पत्र सम्भवतः सभी के पास नहीं रहे होंगे। तभी उनका सत्यापन कराया गया जिसमें फर्जी प्रतियां पायी गयीं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए और जैसा कि उन्होंने अभी कहा उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है, इस मामले को सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे ? श्रीमन्, इस मामले में रजिस्ट्रार तक से सत्यापन करा कर तब.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न हो गया। इसमें तर्क नहीं होना चाहिये।

माननीय शिक्षा मंत्री, इस विषय में आप सी० आई० डी० से जांच करायेंगे, यह आपका प्रश्न है।

श्री काली चरण—

इतने तथ्य हैं, उनकी सारी खोजबीन हो गयी, तो कोई ऐसी बात नहीं लगती जिससे सी० आई० डी० से जांच करायी जाय। इस सन्दर्भ में मैं यह भी सूचना दे दूं कि गोरखपुर के आधार पर ही राज्य के समस्त जनपदों में अधिकारियों को यह आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसी जितनी नियुक्तियां की गयी हैं, पुनः सबकी जांच कर लें और अगर कहीं कोई इस तरह की बात पायी जाती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। तो इसमें इस तथ्य से लगता नहीं है जिससे सी० आई० डी० से जांच करायी जाय।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि विभागीय परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के यहां से इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां एक हजार गायब हो गयी हैं और उन्हीं का प्रयोग इसमें हो रहा है?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय मंत्री ने कहा है कि 17 व्यक्तियों ने बी० टी० सी० प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियां फर्जी प्रस्तुत की थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई इस तरह की जानकारी है कि कोई इस तरह की संस्था है जो बी० टी० सी० का फर्जी प्रमाण-पत्र देती है, इसकी जानकारी है?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, मैंने बताया पुलिस में रिपोर्ट हो गयी है। सारी जांच-पड़ताल के बाद अगर ऐसी संस्था मालूम होगी, तो सामने आ जायगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तगत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जीवन राम इन्टर कालेज, मऊ, आजमगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति तथा प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता संबंधी जांच

*1—श्री मैनेजर सिंह तथा (जिला बलिया) श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री मधुलिमए, संसद सदस्य ने 8 मार्च, 1975 या इसके इर्द-गिर्द कोई पत्र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन को लिखा था जिसमें जीवन राम इण्टर कालेज, आजमगढ़ (मऊ) में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में प्रबन्ध समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक पर कुछ गम्भीर आरोप लगाए थे और विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति को जिसे ये लोग चाहते थे उस पर भी गम्भीर आरोप लगाए गए थे? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर सही स्थिति से सदन को अवगत कराएगी?

श्री काली चरन—

जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि जीवन राम इण्टर कालेज (मऊ), आजमगढ़ के प्रधानाचार्य पद पर आज जो व्यक्ति कार्यरत हैं उनकी योग्यता नियमानुकूल न होते हुए भी उन्हें प्रधानाचार्य बनाया गया है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी प्रबन्ध समिति की गड़बड़ी पर उसे साधिकार नियन्त्रक को सौंपने का आदेश देंगे? यदि उस व्यक्ति को निर्धारित योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है तो उपरोक्त पद के लिए कौन-कौन सी योग्यता निर्धारित थी और पदासीन प्रधानाचार्य ने उन योग्यताओं में से किस-किस को पूरा किया था और किस-किस प्रकार से?

श्री काली चरण—

जी हां।

विभागीय जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन बिन्दुओं पर विभागीय जांच करायी जा रही है वे कौन-कौन से बिन्दु हैं?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जब यह नियुक्ति की गयी थी, प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए सबसे पहले उसकी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, चुनाव समिति और इसके बाद नियुक्ति के लिए विज्ञापन, आवेदन-पत्र मांगना, चुनाव करना, चुनाव किये हुए व्यक्ति का अनुमोदन लेना, इतनी बातें हैं। जिस व्यक्ति से इसका सम्बन्ध है, उसकी जांच इस बारे में करायी जा रही है कि क्या वह व्यक्ति निर्धारित अर्हता उक्त पद के लिए रखता है या नहीं। इन सारे बिन्दुओं पर पूर्णरूप से जांच करायी जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी वह व्यक्ति शिक्षा विभाग में प्रसार शिक्षक का कार्य कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रसार शिक्षक को जब नियुक्ति के स्थान पर जाने के लिए अनुमति दी गयी तो उस समय उससे कोई अनुबन्ध कराया विभाग ने, या डेपुटेशन पर जाने के लिए कहा। किस प्रकार उस आदमी को आज तक शिक्षा विभाग से मुक्त रखा गया काम करने के लिए?

श्री काली चरण—

किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को प्राइवेट स्कूलों में किसी पद पर डेपुटेशन पर जाने का कोई नियम नहीं है। यह सही है कि जो व्यक्ति प्रधानाचार्य के पद पर चुने गये, वह प्रसार अध्यापक थे। उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जिला विद्यालय निरीक्षक को अवकाश के लिए और अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में उन्होंने एक अनुबन्ध पत्र लिखा था कि यदि मेरा अवकाश स्वीकार नहीं किया गया, तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। जिला विद्यालय निरीक्षक और उप शिक्षा निदेशक की अनुमति से यह विभाग छोड़कर प्रधानाचार्य पद का कार्यभार ग्रहण करने गये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हुई उसमें प्रबन्ध समिति, चयन समिति, जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय विद्यालय निदशक तक की सहमति होगी जब उनकी नियुक्ति हुई है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभागीय जांच के आदेश चाहे विभाग ने दिये हों या मंत्री जी ने दिये हों, बिभागीय जांच कौन कर रहा है?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, नियुक्ति में एक प्रधानाचार्य का अनुमोदन उस समय उप शिक्षा निदेशक ही देते थे। शिक्षा निदेशक को यह आदेश दिया गया है पूर्ण विवरण में जांच के लिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह जो आरोप है यह जिला विद्यालय निरीक्षक और उप निदेशक तक है, तो जांच कौन कर रहा है?

श्री काली चरण--

निदेशक को जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जांच कौन कर रहा हैं, यह बतलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

जब इसका अनुमोदन उप शिक्षा निदेशक ने किया, तो वह कैसे इसकी जांच कर सकता है? शिक्षा निदेशक ही करें। निदेशक के नीचे के पद का व्यक्ति तो जांच नहीं कर सकता।

श्री काली चरण--

इसकी जांच शिक्षा निदेशक ही करेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उक्त प्रधानाचार्य ने प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रसार अध्यापक ने प्रसार अध्यापक के पद से अवकाश लेने के लिए प्रार्थना-पत्र किस तारीख में दिया है?

श्री काली चरण--

उसने अपनी प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के पूर्व प्रार्थना-पत्र दिया था।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

वह तारीख कौन सी थी 3-9-77 का यह प्रश्न है और वह तारीख कौन-सी हैं, जिसमें उसने प्रार्थना-पत्र दिया है?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, दिनांक 17-3-75 को उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को लिखा था कि 18-3-75 को कार्यभार ग्रहण करने की उनकी इच्छा हैं।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के डा0 एच0 के चतुर्वेदी एवं श्री भृगुनाथ मिश्रा को दिया गया पारिश्रमिक

*3--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34 (2) की अवहेलना करते हुए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्राचार्य द्वारा दो प्राध्यापकों (डा0 एच0 के0 चतुर्वेदी एवं श्री भृगुनाथ मिश्रा) को एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद प्रदान किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा उप-मन्त्री (कुंवर सत्यवीर)--

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर सोसाइटीज, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन एवं स्वशासी संस्था है जिसकी एक अलग नियमावली है। इस नियमावली के प्राविधान के अनुसार प्रधानाचार्य इस कालेज के शैक्षिक एवं प्रशासकीय अधिकारी हैं जो यहां के प्रशिक्षण और अनुशासन के लिये उत्तरदायी हैं।

इस कालेज के अध्यापक डा0 एच0 के0 चतुर्वेदी, राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजक हैं और श्री भृगुनाथ मिश्रा, एन0 सी0 सी0 के कम्पनी कमाण्डर हैं। डा0 चतुर्वेदी को राष्ट्रीय सेवा योजन निदेशालय द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं वरन् 75 रु0 प्रतिमास की दर से पाकेट एलाउन्स मिलता है।

श्री भृगुनाथ मिश्रा को एन0 सी0 सी0 निदेशालय द्वारा चुना गया और एन0 सी0 सी0 एकाडमी एवं आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण के पश्चात् 75 रु0 प्रतिमास के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया। इस विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजन तथा एन0 सी0 सी0 के लिए छात्रों को अंक प्रदान किए जाते हैं जिसके कारण यह शैक्षिक कार्यक्रम का एक अंग बन गया है।

उपर्युक्त दोनों अध्यापकों को छात्रावास प्रबन्धक का कार्य प्रधानाचार्य ने उस समय सौंपा जब अन्य कोई उपयुक्त इच्छुक शिक्षक उपलब्ध नहीं हो सका। इस हेतु केवल निःशुल्क आवास दिया जाता है और कोई पारिश्रमिक उन्हें नहीं मिलता।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में प्रबन्धकीय गड़बड़ियां और वित्तीय गड़बड़ियां बहुत हैं। क्या मंत्री जी केवल इस प्रश्न को ही नहीं बल्कि पूरे मामले पर जितनी शिकायतें मिली हैं सभी के बारे में एक उच्चस्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है। प्राचार्य द्वारा दो प्राध्यापकों श्री चतुर्वेदी और श्री भृगुनाथ मिश्रा को एक से अधिक पारिश्रमिक पद क्यों प्रदान किया गया यह प्रश्न केवल इसी तक सीमित हैं। अगर आप यह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अलग से दे सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जितनी वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं, उनको मंत्री जी देखते हुए, यही नहीं यह तो एक नमूना है, अनेक प्रकार की अनियमिततायें जैसे आडिट रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप उसी को दुहरा रहे हैं। यह इससे नहीं निकलता है।

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के हाबी सेन्टर में कथित गबन

*4--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार को जानकारी है कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के हाबी सेन्टर में जुलाई, 1976 में एकत्रित धनराशि किसी कर्मचारी ने अपने पास रख ली थी एवं विशेष सम्प्रेक्षण द्वारा पकड़ने पर अगस्त, 1977 में जमा की गयी ? यदि हां, तो इस गबन के प्रति उत्तरदायी कर्मचारी के प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर सत्यवीर--

जी हां।

एक जांच समिति नियुक्त की जा रही है जो इस मामले की गहराई में जांच करेगी।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर 'हां' में दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1976 के बाद आडीटर महोदय ने इसे 1977 में पकड़ा। जब इसकी जानकारी सक्षम अधिकारी को थी तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी।

कुंवर सत्यवीर--

जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आपके सम्मुख पेश कर दी जायेगी।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर विवरण से बतावें।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि 76 में गबन हुआ और आडिट 1977 में हुआ जिससे पता चला कि गड़बड़ी हुई। तो 1977 से अब तक क्या किया जा रहा था ? उत्तर दिया गया है कि कार्यवाही की जा रही है। 76 का गबन 77 में पकड़ा गया, तो अब तक क्या किया गया ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, जो विवरण आया है, यह हाबी सेन्टर चालू था लेकिन कठिनाइयों के कारण बन्द कर दिया गया और 597.29 रुपये की धनराशि और हाबी सेन्टर से सम्बन्धित जितने भी कागजात थे, सभी अलमारी में बन्द कर दिए गए हैं। उनका यह कहना है कि चूंकि बंद करके वे भूल गये थे इसलिए इतना विलम्ब हुआ। उनका कहना है कि वह गबन नहीं था बल्कि जब याद आया, तो उसको निकालकर लेखे में जमा कर दिया। चूंकि उनकी यह बात अविश्वसनीय थी, इस कारण से इसकी जांच का आदेश दिया गया है।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

जो धनराशि गबन की गयी वह कितनी थी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया गया है। उनका कहना है कि गलती से वह बंद हो गया था अलमारी में पर बाद में जब उन्हें याद आया, तो जमा कर दिया।

श्री रियासत हुसैन--

क्या वह रुपया भी अलमारी में बंद हो गया था ? यदि नहीं, तो जिसके पास वह धनराशि रही, क्या उसको एहसास नहीं हुआ कि वह रुपया किसका है कहां का है और बराबर मिसएप्रोप्रियेशन होता रहा ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, वह धनराशि 597.29 रुपये की थी। यह धनराशि और उसके सम्बन्ध में जितने भी रजिस्टर व कागजात थे, ये सब अलमारी में रखे थे चूंकि यह सेन्टर बन्द हो चुका था, इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, यह भ्रमवश वहां पर रह गया, याद पड़ने पर जिस लेखे में यह धनराशि जमा होनी चाहिए थी, उसमें जमा कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष--

कितने महीने बाद जमा हुआ और उसको कहां पर जमा करना चाहिए था ? यह तो वैसे भी टेम्पोरेरी गबन हो गया।

श्री कालीचरण--

मान्यवर, इन सारी शंकाओं को देखते हुये मैंने बताया कि चूंकि यह उचित नहीं था कि कोई अधिकारी इस प्रकार से धनराशि को अलमारी में बन्द कर दे, इसीलिए पूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए जांच की आज्ञा दी है। उसकी आख्या आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

यह जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं और उसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्री काली चरण--

प्राविधिक शिक्षा निदेशक।

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में भंडार अधिकारी एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति

*5--श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्राचार्य ने विद्यालय नियमावली की अवहेलना करते हुए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव न रहते हुए भी भण्डार अधिकारी एवं लेखाधिकारी के पद पर क्रमशः 16 अक्तूबर 1971 एवं 10 मई, 1976 को पदोन्नति की ? यदि हां, तो सरकार इस अनियमित कार्य के सम्बन्ध में प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण--

कालेज में भंडार अधिकारी के पद पर दिनांक 16-10-71 से कुल सचिव की संस्तुति पर कालेज के ज्येष्ठतम कर्मचारी की तदर्थ नियुक्ति की गई थी। तद्पश्चात इस पद का विज्ञापन किया गया और जितने भी अभ्यर्थी आये उनमें उन्हें ही सबसे उपयुक्त पाये जाने पर दिनांक 6-8-73 की चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उन्हें नियमित रूप से नियुक्त कर दिया गया।

जहां तक लेखाधिकारी के पद का प्रश्न है शासन द्वारा पिछले लेखाधिकारी के स्थानान्तरण और उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने के कारण, ज्येष्ठतम कर्मचारी की, अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से दिनांक 10-5-76 से तदर्थ नियुक्ति कर दी गई थी। यह तदर्थ नियुक्ति समाप्त कर दी गई है तथा शासन द्वारा लेखाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति कर दी गई है।

विश्वविद्यालयों में एम० एड० और एम० बी० ए० कक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण

*6—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों में एम० एड० और एम० बी० ए० कक्षाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है ? यदि हां, तो सरकार आरक्षण करने की व्यवस्था करेगी और अब तक यह व्यवस्था क्यों नहीं हो सकी है ?

श्री काली चरण—

कुछ विश्वविद्यालयों में एम०एड० कक्षाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिये आरक्षण उपलब्ध है । एम० बी० ए० कक्षाओं में आरक्षण नहीं है । आरक्षण प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय स्वयं सक्षम है ।

दिगम्बर डिग्री कालेज, डिवाई, जिला बुलन्दशहर की कथित अनियमितताओं की जांच हेतु जांच आयोग

*7—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिगम्बर डिग्री कालेज, डिवाई, जिला बुलन्दशहर में आपातकालीन स्थिति के समय में की गयी अनियमितताओं की जांच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जांच आयोग वर्ष 1976 में बैठा था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है तथा उस रिपोर्ट पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब जांच आयोग नहीं बैठा तो कोई स्पेशल आडिट कराया गया जिसके द्वारा ये गलती पाई गई है ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि जांच आयोग तो नहीं बैठा, लेकिन जो गल्तियां पाई गईं, उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण—

ये बहुत से महाविद्यालय किसी न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं । विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार समय-समय पर उनकी अनियमितताओं की जांच कराया करता है और उनका निराकरण किया करता है । ये उनके नियम हैं और शासन का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है जांच आयोग सरकार केवल विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत नियुक्त कर सकता है । मेरठ विश्वविद्यालय न उक्त कालेज के सम्बन्ध में, जैसा कि प्रत्येक विद्यालयों के सम्बन्ध में करता है, एक निरीक्षक मण्डल की 30 जनवरी, 1976 में नियुक्ति की थी, जिस सम्बन्ध में उन्हें जांचकरनी थी, उसमें 8 चीजें थीं पहल जो कभी जांच हुई थी, उसमें जो अनियमितता पाई गई थी उसकी आपत्ति क सम्बन्ध प्रधानाचार्य, प्रबन्धतंत्र तथा शिक्षकों और प्रबन्धतंत्र और शिक्षकों के आपसी सम्बन्ध म सम्बद्धता की शर्तों के संबंध में, प्रबन्धतंत्र द्वारा लगाये गये वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध म कालेज के संविधान के संबंध में छात्रनिधि के जांच के संबंध में, सोसायटी के लेखों की जांच सोसायटी और छात्र निधि की जांच तथा अन्य मामले, जिसकी इसके संबंध में उक्त कमीशन ने निरीक्षक मंडल ने जांच की थी ।

श्री हिम्मत सिंह—

जांच का परिणाम फिर क्या निकला, मैं यह जानना चाहता हूं। एक यह और बतला दें ?

श्री काली चरण—

यह मैंने बताया कि इसकी जांच जो विश्वविद्यालय अपने महाविद्यालयों का करते रहते हैं, इसके परिणाम या इसके निष्कर्ष से शासन का तब तक कोई सम्बन्ध नहीं होता जब तक विश्वविद्यालय इसके बारे में अपनी कोई संस्तुति न भेजे क्योंकि इस प्रश्न के संबंध में विश्वविद्यालय ने कोई अपनी संस्तुति भेजी नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के सिलसिले में जो उनसे रिपोर्ट मंगाई गयी है, उस सम्बन्ध में उन्होंने यह बताया है कि निरीक्षक मण्डल ने 76 के पूर्व जो कभी निरीक्षक मण्डल गया था, क्योंकि जांच में यह भी था कि जो पहले निरीक्षक मण्डल था उसने जो जांच की थी, तो इसके बारे में उन्होंने समीक्षा की है और यह समीक्षा करके पाये कि जिस कालेज के कुछ कमरों, छतों का निर्माण करना था, तो उसमें लिखा है कि वह काम कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, जिसको वह कह रहे हैं, उसके बारे में लिखा है कि वह ठीक कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था के बारे में ट्यूबवेल का है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से उसकी जांच करा ली जाव। अन्य विषयों के सम्बन्ध में कालेज ने जो उनको औचित्य दिया था, उस पर निरीक्षक मण्डल संतुष्ट हुआ। इतनी रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, म जानना चाहता हूं कि जो छात्रों ने दिया उसका क्या हुआ ? क्या सरकार जांच कराने का आदेश देगी ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह मैंने पहले बताया था कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अपने महाविद्यालयों की जांच करते रहते हैं। यदि माननीय सदस्य उस निधि के संबंध में, उसके अपव्यय के संबंध में कोई तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करें, तो उसकी भी जांच करा ली जायगी।

[बुधवार, 5 अप्रैल, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देवरिया, ब्रांच में पटरी रोड के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

*1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई उप मन्त्री ने जुलाई माह, 1977 की 10 तारीख को देवरिया ब्रांच के 10 से 12 किलोमीटर पटरी रोड के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार पाया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जी हां। दो ठेकेदारों के भुगतान रोकने के आदेश दिये गये हैं।

*2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जुलाई, 1977 के प्रथम सप्ताह में दौरा के समय जांच कराई गई कि देवरिया ब्रांच के 7 से 12 किलोमीटर में पटरी रोड निर्माण के लिए जितने मेटीरियल सप्लाई का ठेका संबंधित ठेकेदार को दिया गया था उक्त ठेकेदार ने आधे से भी कम मेटीरियल सप्लाई करके पूरा भुगतान ले लिया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जी हां। मौखिक जानकारी प्राप्त हुई थी। जांच की जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के आरोपों को अपनी आंखों से देखा, उस संबंध में जो विभागीय अधिकारी ने जांच की, उसके अनुसार कौन सी कार्यवाही की गयी ? भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध पाये गये कि नहीं पाये गये ? जांच की प्रक्रिया कहां तक पूरी हुई ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन्, जुलाई महीने में उक्त सड़क जिसका संबंध प्रश्नकर्ता से है, उसकी गिट्टियां उखड़ी हुई पाई गईं, मैंने स्वयं देखा था, उस वक्त जो अधिकारी, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर थे, उनसे मैंने पूछा कि यह सड़क कब निर्मित हुई । इसकी पैंटिंग कब हुई उसके बारे में बतलाया गया कि अप्रैल से जून, 1977 तक हुई है । मैंने जब पूछा कि ठेकेदार कौन है, उनको पैसे कितने दिये गये ? तो कुछ का पैसा अधिक बताया गया, कुछ का पेमेंट नहीं हुआ, कुछ का कम था । मैंने आदेश दिया कि उनके पूरे सर्किल में और गंडक परियोजना में पैसे रोक लिये जायं और बरसात के बाद चेक करके कि कितना काम होना चाहिये और कितना करना है, उसको कराने केबाद पैसे पेमेंट कराये जायं । चूंकि बरसात के बाद कोई कार्य नहीं हो सकता था और विभाग के अधिकारियों का भी संबंध था, उनके द्वारा बनवाया गया था, इसलिए राय दी गयी कि टी0ए0सी0 से जांच करा ली जाय । अक्तूबर में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने टी0ए0सी0 से मदद मांगी, जो हमारा प्राविधिक संबंधी पुराना सेल है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी । पुन: शासन स्तर पर टी0ए0सी0 को लिखा गया है कि आप जांच करक बतलावें कि कितनी खराबी है, कितना काम होना चाहिये था, कितना नहीं हुआ । रिपोर्ट आ जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय अथवा ठेकेदार से कितना पैसा काटा जाय और कितना और लगेगा यह पता चलगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ठेकेदार का पेमेंट तो रोका गया, लेकिन मेरे प्रश्न का क्या जवाब है कि 10 महीने पहले जब आपने स्वीकार कर लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, टेक्निकल सेल जांच करे या रिपोर्ट करे, उससे हमको लेना-देना नहीं है लेकिन जो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दोहरा रहे हैं । यह बतलावें कि क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जैसा मैंने निवेदन किया कि जबतक कि हम यह फैसला न ले लें कि हानि कितनी है तब तक कोई रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

प्रश्न संख्या 2 रह गया । उस पर सप्लीमेंटरी नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

सम्लीमेंटरी दोनों का एक ही जगह है ।

रिहन्द अस्पताल, तुर्रा, मिर्जापुर के चिकित्सक एवं कम्पाउन्डर्स तथा नर्स का वेतन-मान

*3—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा संचालित रिहन्द अस्पताल, तुर्रा, मिर्जापुर के चिकित्सक एवं कम्पाउन्डर्स का वेतन अगस्त, सन् 1972 से (वेतन आयोग सन् 1971–73 के अनुसार) संशोधित किया जा चुका है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जी हां।

*4--श्री ईश्वर प्रसाद--

क्या यह भी सही है कि जिस आधार पर चिकित्साधिकारी एवं कम्पाउन्डर्स के वेतन संशोधित किये गये हैं क्या उसी आधार पर उसी अस्पताल के मेल नर्स एवं फीमेल नर्स के वेतन भी संशोधित कर अगस्त, 1972 से प्रदान किये गये है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

प्रारम्भ में प्रश्नगत कर्मचारियों और सिंचाई विभाग के कुछ अन्य कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित होने से रह गये थे। इनके वेतनमानों के पुनरीक्षण का मामला शासन के विचाराधीन है। आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।

श्री ईश्वर प्रसाद--

उत्तर मिला है, 'जी हां' क्या बतायेंगे कि क्या उसे लागू किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

वेतन आयोग की संस्तुति पर अमल किया गया है या नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

1-8-72 से प्रथम प्रश्न के संबंध में जो जानकारी दी गयी है उसका पलान हो रहा है और वेतन दिया जा रहा है।

श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, क्या बताने की कृपा करेंगे कि संशोधित वेतन मान के लागू करने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जहां तक कि पहले प्रश्न का संबंध है कि मैंने निवेदन किया कि 1-8-72 से संशोधित वेतनमान दिया जा रहा है।

श्री राज नाथ सिंह--

यदि 1-8-72 से संशोधित वेतनमान लागू किया गया है, तो क्या एरियर का भुगतान सभी चिकित्सक और कम्पाउन्डरों को कर दिया गया है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, इसकी जानकारी मंगाना पड़ेगी।

आजमगढ़ के ग्राम गौरी में शारदा सहायक पर कदमची पुल एवं कुलावा के निर्माण संबंधी आवेदन-पत्र

*5--श्री दयाराम भास्कार (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद तहसील फूलपुर, ग्राम गौरी, रामपुर, मगारीपुर, पथरपुरवा के किसानों ने शारदा सहायक 44 टान्डा फैजाबाद के 40 मील 7 फर्लांग पर कदमची पुल हेतु दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 को आवेदन-पत्र दिया है, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जी हां, ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त स्थान पर परियोजना प्राक्कलन में पुलिया बनाने का प्राविधान न होने के कारण पुल का निर्माण सम्भव नहीं है।

*6—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा शारदा सहायक 44 टान्डा, फैजाबाद की बांई पटरी पर ग्राम गौरी में 40 मील व 45 मील के बीच में कुलावा लगाने हेतु माह सितम्बर, 1977 में आवेदन-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शरदा प्रसाद रावत—

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु जांच करने पर पता चला कि सिंचाई के लिये मीरा माइनर में एक कुलावा पहले ही दिया हुआ है जिससे गूल बनाकर प्रश्नगत क्षेत्र भलीभांति सिंचित हो सकता है। इस तथ्य की सूचना अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रश्नकर्ता को भी दी जा चुकी है।

श्री दया राम भास्कर—

मेरी जानकारी को आधार मानते हुये कि जहां पुलिया निर्माण की बात कही गयी है वहां के गावों के लोगों को 5-7 गांवों के, आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है, उनके लिये कोई रास्ता नहीं है, नहर दोहरी हो गयी है। इसलिये जनता की दिक्कतों को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी एक पुल का निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करेंगे?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, जहां पर पुलिया के निर्माण की बात कही जाती है वहां से 3 फर्लांग ऊपर और ढ़ाई फर्लांग नीचे पुलिया है। दो सामानन्तर नहरें हैं और दोनों पर हैं। एक पुलिया बनवाने में लगभग 54 हजार रुपये की लागत आती है। जो सिद्धान्त रखा गया है पुलिया बनाने का वह यह है कि एक-एक मील पर एक पुल बनाया जायें, इसके अनुरूप दो पुल हैं, एक साढ़े 3 फर्लांग ऊपर दूसरा ढ़ाई फर्लांग नीचे जिसके जरियें सुविधा प्रदान की गयी है।

नलकूप विभाग के उच्चधिकारियों की बैठक में मशीनों एवं पुर्जों की खरीद संबंधी लिया गया निर्णय

*7—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 4 अगस्त, 1970 को नलकूप विभाग के उच्चाधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी ने की थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विभाग के लिये मशीनों, पम्पिंग-सेट की पुर्जे, मशीनों के मूल निर्माताओं तथा उनके अधिकृत एजेन्टों से ही खरीदें जायं? क्या यह सही है कि इस निर्णय की सूचना तत्कालीन नलकूप निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 1970 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता इक्विपमन्ट को दे दी गयी थी तथा उनसे इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा था, यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री जी इस सम्बन्ध में बनाये गये प्रस्तावों का विवरण सदन के पटल पर रखनें की कृपा करेंगे?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जी हां, निदेशक नलकूप ने दिनांक 6 सितम्बर, 1970 को अधीक्षण अभिन्यता (सज्जा) को आदेश दिये थे पुर्जे निर्माता व उनके निर्धारित एजेन्ट से ही क्रय करने तथा फर्मों को 95 प्रतिशत तक भुगतान आर0 आर0 के विरुद्ध करने के प्रस्ताव का शासन को भेजे जायें। आर0 आर0 के विरुद्ध भुगतान का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि क्या 4 अगस्त, 1970 को नलकूप विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया था? जो उत्तर आया है वह प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर हमने प्रश्न में स्पष्ट यह पूछा है कि यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री जी इस संबंध में बनाये गये प्रस्तावों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे, वह नहीं रखा गया। उत्तर में कहा है कि 95 प्रतिशत तक का पैमेंट करने का आर0 आर0 के विरुद्ध तथा स्प्रेयर पार्ट्स परचेज करने का प्रश्न विचाराधीन है। यह विचाराधीन किसके है जब कि 1970 में निर्णय हो चुका है। मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी उत्तर दिया करें तो प्रश्न को पहले पढ़ तो लिया कर। प्रश्न का उत्तर जो पूछा है वह है ही नहीं। इसलिये आप इसे आज स्थगित कर दें और प्रश्न का उत्तर दिलवाने की कृपा करें।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन्, प्रश्न पूरी तरह से पढ़ा गया है और उसी आधार पर 'जी हां' जवाब दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में यह है कि 'क्या सिंचाई मंत्री इस सम्बन्ध में बनायें गये प्रस्तावों का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?' आपने कहा कि यह शासन क विचाराधीन है। तो इस में विरोधाभास है। वह प्रस्ताव क्या है?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, वास्तविकता यह है कि अगस्त, 70 में तत्कालीन जो सरकार थी उस वक्त तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी ने निर्देश दिया था, उसक थोड़े दिन बाद गवर्नमेन्ट गिर गयी। उसके बाद वास्तविकता यह है कि आदेश का पालन ही नहीं हुआ। माननीय सदस्य के प्रश्न के आधार पर, जब छानबीन की गयी, तो पता चला कि कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है। पुनः आदेश दिये गये हैं कि वह, जो आदेश हैं उनके अनुसार उस पर कार्यवाही की जाय।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, यही मंत्री उस समय सिंचाई मंत्री थे उन्हीं की अध्यक्षता में निर्णय हुआ था।

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पढ़ा नहीं है और कहा कि बगैर पढ़े जवाब दिया है। इसमें जो आपने पूछा है कि क्या सन् 70 में इस तरह का फैसला हुआ था, तो उसके सम्बन्ध में लिखा है 'जी हां' तो वह तो आपको बता दिया गया और जो फैसला हुआ था, ठीक है, उस पर हम अब अवश्य अमल करायेंगे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमार—

अमल करते हुए 7 साल हो गये हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

शारदा सहायक परियोजना, दशम मंडल, सिंचाई कार्य, लखनऊ द्वारा तिरपाल की खरीद

*8—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि वर्ष 1973–74 में शारदा सहायक परियोजना, के मण्डल दशम्, सिंचाई कार्य, लखनऊ एक ही फर्म के विभिन्न ब्रांचों से कोटेशन लेकर एक करोड़ रुपए के तारपोलीन बिना टेण्डर के खरीदे, जिसम सरकार का पचास लाख का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

दशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अन्तर्गत 3.57 लाख रुपये की 891 तिरपाल रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर मेसर्स हरिहर आटो मोबाइल्स, लखनऊ से क्रय किये गये। इस सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा जांच चल रही है। जांच उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

शारदा सहायक, खंड नवम, बाराबंकी के अधिशासी अभियन्ता के फर्जी चेक का भुगतान एवं जांच रिपोर्ट

*9—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में शारदा सहायक खंड नवम, बाराबंकी में जो 26,000.00 रु0 का अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर से फर्जी चेक एस0 बी0 आई0 बाराबंकी से कैश कराया गया ? क्या इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां। दो अधिशासी अभियन्ताओं की समिति द्वारा इस मामले की जांच करायी गयी। इस समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री शिव बरदान सिंह, कैशियर को लापरवाही के लिए दोषी पाया गया। उन्हे आरोप-पत्र देकर जांच अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक, खण्ड पंचदशम्, महमूदाबाद द्वारा की जा चुकी है। इस मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है। सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मामले में अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

बहराईच जिले में सरजू पम्प कैनाल के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा एवं ठेकेदारों का भुगतान

*10—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खंड बहराइच के अन्तर्गत जो सरजू पम्प कैनाल बन रही है उसके अन्तर्गत ली गयी भूमि का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

इस पम्प नहर के लिये सिंचाई खंड, बहराइच के अन्तर्गत अस्थायी रूप से अधिग्रहीत की गयी 199.143 एकड़ भूमि तथा स्थायीरूप से अधिग्रहीत की गयी 318.393 एकड़ भूमि में से 292.896 एकड़ भूमि का प्रतिकर किसानों को बांटा जा चुका है। शेष 25.497 एकड़ स्थायी भूमि के प्रतिकर देने की कार्यवाही की जा रही है।

*11—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खंड बहराइच के अन्तर्गत जो सरजू कैनाल पम्प के ठेकेदारों ने मिट्टी खोदने का काम 1975–76 में किया था वह काम निर्धारित समय से पूरा हो गया था फिर भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

सिंचाई खण्ड, बहराइच के अन्तर्गत जो इस पम्प नहर के ठेकेदारों ने मिट्टी खोदने का काम वर्ष 1975–76 में किया था, उनमें से किसी भी ठेकेदार का भुगतान शेष नहीं है।

*12—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अवध विश्वविद्यालय के परीक्षाफल की घोषणा

*13—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध विश्वविद्यालय के द्वारा अपूर्ण घोषित बी0 ए0 प्रथम वर्ष के 1976–77 परीक्षा फल अभी भी घोषित नहीं किए गए ? अगर हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं। सभी अपूर्ण परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए जा चुके हैं। प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना लाल इन्द्राणी कुंवरि इन्टर कालेज, जिला उन्नाव का बन्द किया गया अनुदान

*14—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

दिनांक 28 सितम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मन्नालाल इन्द्राणी कुंवरि इन्टर कालेज, जैतीपुर, उन्नाव को अनुदान देते समय सम्बधित विभागीय अधिकारियों ने विद्यालय द्वारा दी गई सूचनाओं की कोई छान बीन की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त विद्यालय के प्रबन्धक ने सरकार से अनुरोध किया था विद्यालय का प्रान्तीयकरण कर लिया जाए ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कालीचरण—

जी हां। किन्तु बाद में पता चला कि विद्यालय ने धोखा देकर विद्यालय के परीक्षाफल का सत्यापन अन्य वर्ष की रिजल्टशीट से करा दिया था। अतएव, उसे अनुदान सूची से हटा दिया गया था ? तत्पश्चात् विद्यालय के प्रबन्धक ने विद्यालय के प्रान्तीयकरण हेतु प्रार्थना की, जिसे विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया है।

इंजीनियरिंग कक्षाओं में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*15—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग कक्षाओं में प्रवेश हेतु होने वाली आगामी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रखने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री काली चरन—

जी हां। इस प्रसंग में शासन ने 15 प्रतिशत के आरक्षण का निर्णय से लिया है। आगामी शैक्षिक सत्र से इस निर्णय के कार्यान्वियन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*16—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी —

[22-3-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत उत्तरित।]

युवराज दत्त डिग्री कालेज, लखीमपुर खीरी में एम0 काम0 की कक्षा खोलने संबंधी प्रार्थना-पत्र

*17—श्री नरेश चन्द्र—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युवराज दत्त डिग्री कालेज, लखीमपुर खीरी सम्बद्ध कानपुर विश्वविद्यालय में एम0 काम0 की कक्षा खोलने के लिए प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को दिया था? यदि हां, तो उसका निस्तारण करने में और एम0 काम0 खोलने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्री काली चरण—

जी हां। उल्लिखित पत्र विलम्ब से प्राप्त हुआ है। अगले शिक्षा सत्र के लिये विचार किया जायगा।

जिला पूर्ति कार्यालय में जनता—काउन्टर की सुविधा

*18—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि शासन ने यह घोषणा की थी कि कुछ जिला में आपूर्ति कार्यालय में जनता काउन्टर खोले जायेंगे? यदि हां, तो अब तक कितने जनता काउन्टर खोले गए?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

जी हां। जनता की सुविधा के लिये जिला पूर्ति कार्यालय बुलन्दशहर / बरेली / फतेहपुर / बहराइच / शाहजहांपुर / वाराणसी / गोरखपुर / मेरठ / सहारनपुर / फैजाबाद / बस्ती / आजमगढ़ / देवरिया / झांसी तथा मुजफ्फरनगर में काउन्टर खोले जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इन सभी जिला पूर्ति कार्यालयों में आवश्यकतानुसार काउन्टर खोले जा चुके ह।

गोरखपुर जिले के कतिपय विकास खंडों में बन्द पड़े हुये नलकूप

*19—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि कौड़ी राम-पिपरौल-खोराबार विकास खंड (गोरखपुर) के कितने सरकारी ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं उसके कारण क्या हैं तथा उसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या सरकार उनको ठीक कराने हेतु कार्यवाही कर रही है?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्नगत ब्लाकों में कोई सरकारी नलकूप दिनांक 31 जनवरी, 1978 को बन्द नहीं थे। शेष के बार में प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ़ के भवन का त्रुटिपूर्ण निर्माण एवं जांच

*20—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ राजकीय इन्टर कालेज में गत 5 वर्षों में कितना धन भवन निर्माण में व्यय किया गया है ? क्या उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि उक्त भवन की छतें वर्षा में टपकती हैं एक वर्ष के अन्दर प्लस्तर टूट गया है और फर्श धंस गयी है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उक्त शिकायत, जो उन्हें जुलाई, 1977 में मिली हैं की जांच करवाई है ? यदि हां, तो इस में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ़ के भवनों के निर्माण कार्य तीन चरणों में शासन द्वारा स्वीकृत किये गये थे और भवन निर्माण कार्यों के तीन चरणों में गत 5 वर्षों में 8.712 लाख रु0 व्यय किया गया है।

जी नहीं। दीवालों में क्रैक्स और नमी होने आदि की जानकारी है।

इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थीं परन्तु माह सितम्बर, 1977 में समाचार पत्रों में उक्त भवनों के त्रुटि पूर्ण होने का समाचार छापा था। इसकी जांच अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फतेहगढ़ ने दिनांक 3-10-77 को की थी। जांच में छोटी-छोटी कमियां देखी गई थी उनको ठीक करा दिया गया है। इसके उपरान्त इन कार्यों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर द्वारा भी दिनांक 30-11-77 को की गई थी। इन दोनों जांचों में प्रारम्भिक रूप से यह ज्ञात हुआ है कि भवन की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। परन्तु अधीक्षण अभियन्ता ने उक्त भवन को कई स्थानों से चुनाई एवं प्लास्टर का मसाला विधि पूर्वक निकलवाकर अन्वेषणालय, लखनऊ को जांच हेतु भेजा है जिसके परिणाम अभी अपेक्षित हैं।

*21—श्री ऊदल—

[7 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विधान सभा क्षेत्र कोलअसला, वाराणसी में प्राइमरी बेसिक पाठशाला एवं गौर कन्या जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग

*22—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोल असला वाराणसी में प्राइमरी बेसिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल कन्या तथा छात्रों के लिये गौर कन्या जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में उच्चीकरण हेतु उप शिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल वाराणसी, ने एक सर्वेक्षण करा कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (डा0 श्याम नारायण मेहरोत्रा) को अपने पत्र संख्या अ0 शा0 प0 सं0 बेसिक/858-60, दिनांक 2 जून, 1976 को भेजी है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? क्या उस सर्वे रिपोर्ट की एक प्रति सरकार सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा के विषय की व्यवस्था

*23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई इस आशय का पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 1977 को अथवा आस-पास किसी दिन मिला कि जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कालीचरण—

जी हां । माध्यमिक स्तर तक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा के विषय में सरकार द्वारा पहिले से ही व्यवस्था की गई है ।

*24—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[22-3-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

*25—श्री देवकुमार—

[भारत सरकार से संबंधित होने को कारण निरस्त ।]

ओहन डाइवर्जन विपर सिंचाई योजना की नहर में पानी का न चलना ।

*26—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सिचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ओहन डाइवर्जन विपर सिंचाई योजना की मुख्य नहर में सन् 1977 से अभी तक पानी क्यों नहीं चलाया गया ? क्या नहर कम चौड़ी होने तथा वर्षा के कटाव से मिट्टी भर जाने के कारण नहर में पानी के बहाव में अवरोध पैदा होता है ? यदि हां, तो उसके स्थायी हल के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री बलवीर सिंह—

इस नहर में वर्ष 1977 में पानी रबी तथा खरीफ की सिंचाई में चलाया गया ।

जी हां ।

जी हां ।

आगरा कालेज, जिला आगरा के विधि विभाग में प्रवेश और छात्र तथा अध्यापकों की संख्या

*27—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय, आगरा के अन्तर्गत चल रहे आगरा कालेज में इस वर्ष 1977 जुलाई-अगस्त में विधि विभाग में कितने ऐसे छात्रों का प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया गया है जिनकी प्रतिशत 40 से कम है तथा किन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिए गए हैं ?

श्री काली चरण—

आगरा कालेज, आगरा में वर्ष 1977 जुलाई-अगस्त में विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी ऐसे छात्र को विधि विभाग में प्रथम वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है जिसके स्नातक परीक्षा में अंक 40 प्रतिशत से कम हों ।

*28—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कालेज, आगरा में विधि विभाग में कितनी छात्र संख्या है तथा कितने प्राध्यापक इस समय सेवारत हैं ? क्या यह सही है कि छात्र संख्या के आधार पर कानून के प्राध्यापकों की संख्या कम है ? यदि हां तो क्यों ? क्या छात्र संख्या के आधार पर विधि विभाग, आगरा कालेज में प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी ? यदि हां, तो किस सत्र तक ?

श्री काली चरण—

आगरा कालेज में विधि विभाग में कुल 2,850 छात्र हैं तथा 26 शिक्षक है।

यदि छात्र संख्या व शिक्षकों पर वर्तमान कार्यभार के आधार पर किसी अतिरिक्त पद के सृजन का औचित्य निकलता है, तो वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखकर पद सृजन के मामले पर विचार किया जा सकेगा।

देवरिया जिले के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया में सीमेंट का वितरण

*29—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कौन-कौन से सीमेन्ट स्टाकिस्ट किन-किन विकास खंडों के लिए इस साल नियुक्त किए गये हैं तथा विकास खंड नौरंगिया में जून, 1977 से 17 सितम्बर, 1977 तक कितनी सीमेन्ट वितरित की जा चुकी है?

श्री हरिश्चन्द्र—

देवरिया जिले में 1977 में सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा कोई नया सीमेन्ट स्टाकिस्ट नियुक्त नहीं किया गया। विकास खंड नेबुआ नौरंगिया में जून, 1977 से 17 सितम्बर, 1977 तक 1,544 बोरी सीमेन्ट का विक्रय हुआ।

देवरिया जिले में ईद के अवसर पर चीनी का वितरण

*30—श्री श्रीनारायण—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा एवं पडरौना तहसीलों में दिनांक 16 सितम्बर, 1977 को ईद के अवसर पर भी ईद के त्यौहार हेतु चीनी नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों? क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार कष्ट करेगी?

श्री हरिश्चन्द्र—

जिलाधिकारी, देवरिया ने मुसलमान उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर ईद से पहले चीनी वितरण की व्यवस्था कर दी थी जिसके अन्तर्गत मुसलमाल उपभोक्ताओं ने चीनी प्राप्त भी की। जिला स्तर पर चीनी न मिलने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। अतः किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा नहर खंड सीतापुर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध ज्ञापन

*31—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि सीतापुर खंड शारदा नहर सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ उसी विभाग के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दिनांक 4 जून, 1977 को दिया था? यदि हां, तो उस ज्ञापन में अधिकारियों के खिलाफ मुख्य-मुख्य क्या अभियोग है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलबीर सिंह—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार शारदा नहर खंड सीतापुर के कर्मचारियों का एक ज्ञापन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को मई, 1977 में दिया गया। उक्त ज्ञापन में शारदा नहर खंड, सीतापुर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

अधिशासी अभियन्ता का उक्त खंड से स्थानान्तरण किया जा चुका है।

*32—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

*33—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

फैजाबाद जिले में मार्गों एवं पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*34—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद की चार सड़कों और एक राजकीय पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ियों के बारे में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक 29 नवम्बर, 1977 का पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उस बारे में क्या कायवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, प्रश्नगत चार मार्गों में से केवल एक मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से हुआ है, जिसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है। शेष तीन मार्गों एवं राजकीय पशुचिकित्सालय भवन का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराया गया था, जिनके सम्बन्ध में सम्बिन्धित विभाग को लिख दिया गया है ।

सहायक, नियंत्रक बांट तथा मांप के पद पर जिला पूर्ति अधिकारी की नियुक्ति

*35—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप विभाग में सहायक नियन्त्रक बांट तथा माप के पद पर सप्लाई आफिसर के लिये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त विभाग में योग्य एवं अनुभवी ज्येष्ठ निरीक्षक लगभग उसी वेतन-क्रम में उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति न करने का क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र—

सहायक नियन्त्रक, बांट तथा माप के पदों के अभी कोई सेवा नियम नहीं है । शासन की सामान्य नीति के अनुसार उक्त पदों के वर्ग-1 (वेतन मान 550 –1200) में स्वीकृत 8 पदों में से 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती और शेष पदों को वर्ग-2 (वेतन मान 400–750) में तैनात अधिकारियों की प्रोन्नति से तथा अन्यथा भरा जाता है ।

ज्येष्ठ निरीक्षक के (अराजपत्रित) पदों का वेतनमान 325–575 है जो जिला पूर्ति अधिकारी केपद के तीनों (राजपत्रित) वर्गों के वेतनमानों 650–1300,550–1200 तथा 450–950 से बहुत कम है । अत: पद के स्तर, वेतन तथा पर्याप्त अनुभव एवं ज्येष्ठता की कमी के कारण ज्येष्ठ निरीक्षकों की प्रोन्नति सीधे ही सहायक नियंत्रक, वर्ग-1 के पदों पर नहीं की जाती है । इनकी प्रोन्नति पहिले वर्ग-2 के पदों पर की जाती है ।

वर्ग-2 के पदों पर सर्वप्रथम 1973 में ज्येष्ठ निरीक्षकों को प्रोन्नति किया गया था । इन पर तैनात अधकारियों को पर्याप्त अनुभव में वर्ग-1 के प्रोन्नति कोटे के चारों पदों पर तुरन्त प्रोन्नत नहीं किया गया और कार्यहित में इन पदों पर 550–1200 तथा 650–1300 के वेतन मान के वरिष्ठ जिला पूर्ति अधिकारियों (जो पदेन सहायक नियंत्रक, बांट तथा माप भी होते हैं) को तैनात किया गया । जैसे-जैसे वर्ग-2 के अधिकारी अनुभव एवं योग्यता प्राप्त करते जा रहे है, उनको वर्ग-1 के पदों पर प्रोन्नत दी जा रही है । इस समय तक वर्ग-1 के प्रोन्नत के कोटे के चार पदों में से तीन पर वर्ग-2 के अधिकारी प्रोन्नत किये जा चुके हैं ।

बांट तथा माप विभाग के बांट तथा मांप निरीक्षकों के स्थायीकरण की मांग

*36—श्री सुख पाल पाण्डेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांट तथा माप विभाग ,उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कितने बांट तथा माप निरीक्षक है जिनकी सेवायें पांच वर्ष से अधिक हो गई है किन्तु उन्हें स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

बांट तथा माप विभाग में से ऐसे 61 निरीक्षक है जिन्हें पांच वर्ष से अधिक सेवा काल हो जाने पर भी स्थाई नहीं किया जा सका है । ये पद लोकसेवा आयोग की परिधि में आते हैं । उक्त निरीक्षकों का आयोग द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है । जब तक लोक सेवा आयोग इनकी नियुक्ति का अनुमोदन न करें इनको स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ताओं का अनशन एवं उनकी मांग

*37—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा एवं श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि 29 नवम्वर, 1977 को विधान भवन के समक्ष उत्तर प्रदेश के इन्जीनियर अपनी तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण तथा अन्य मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु क्रमिक अनशन कर रहे थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, इनकी मांगें है:—

(1) तदर्थ नियुक्ति सहायक अभियन्ताओं का नियमितीकरण तथा

(2) सनवाल समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना ।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

ललितपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग का फर्जी मस्टररोल

*38—श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जिले में अक्तूबर, 1977 में लगभग 37 हजार रुपये के फर्जी मस्टर रोल सार्वजनिक निर्माण विभाग में पकड़े गये हैं जिन्हें वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता ने पकड़ा था और इनके पूर्वाधिकारी ने इन्हें अपने पास रख रखा था, यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद मसूद खाँ—

ललितपुर के, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड से सम्बन्धित 36556 रुपये के मस्टर रोल में गड़बड़ी की बात वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता के कुछ अन्य शिकायतों की जांच के दौरान दिनांक 31–8–77 से 2–9–77 के बीच जानकारी में आई । यह सही नहीं है कि इन्हें वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता क पूर्वाधिकारी ने अपने पास रख रखा था वरन् यह मस्टररोल अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में रहें । इस मामले की जांच वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता से कराई जा रही है ।

*39—श्री रियासत हुसैन—

[11वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*40—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[69वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा जिले के इस्लामिया इन्टर कालेज के पब्लिक रिलीफ फंड व सरकारी अनुदान के विरुद्ध गबन की शिकायत

*41—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के इस्लामिया इन्टर कालेज, फिरोजाबाद को प्राप्त पब्लिक रिलीफ फण्ड व सरकारी अनावर्तक अनुदान में गबन व भ्रष्टाचार की शिकायतें आडीटर की निरीक्षण आख्या बावत वर्ष 1972-73 में मिली है और क्या जनता के भी शिकायती-पत्र मिले है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कालीचरण—

जी हां, । विभागीय कार्यवाही चल चही है ।

फैजाबाद जिले के भीटी-महरुआ बाजार मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

*42—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की भीटी-महरुआ बाजार रोड के पक्की न होने के कारण बरसात में उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी परशानी होती है और उनका सम्पर्क जिले के शेषभाग से टूट जाता है ? यदि हां, तो इसे पक्की कराने के बारे में सरकार की क्या योजना है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यह मार्ग जिला परिषद्, फैजाबाद का है । इसे पक्का करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

गोरखपुर जिले के पुरन्दरपुर-रानीपुर-खालिकगढ़ और नौतनवा खनवां मार्ग के निर्माण की प्राविधिक परीक्षक द्वारा निरीक्षण

*43—श्री श्याम नरायण तिवारी— (जिला गोरखपुर)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में पुरन्दरपुर रानीपुर, खालिकगढ़ तथा नौतनवा-खनवां सड़कों के निर्माण में जनवरी, 1976 में प्राविधिक परीक्षक द्वारा जांच करने पर कोई गड़बड़ी पाई गयी ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, निरीक्षण के पश्चात् कोष्ठ ने पुरन्दपुर-रानीपुर,-खालिकगढ़ मार्ग के निर्माण में 8942/—रुपया तथा नौतनवा-खनवां मार्ग के निर्माण में 4704 रुपये की कटौती करने की संस्तुति की थी । इस धनराशि की कटौती ठेकेदारों के देयकों से कर ली गयी है । उपरोक्त जांच में प्रकाश में आई अनियमितताओं के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

आगरा बेसिक शिक्षा परिषद् के जलवाहकों को वेतन-मान

*44—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि आगरा में बेसिक शिक्षा परिषद् के अमीन प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में जलवाहक कर्मचारियों की बेसिक पे (मूल वेतन) 30 रु0 है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस मूल वेतन को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कालीचरण—

बेसिक शिक्षा परिषद् के नगर क्षेत्र में स्थित स्कूलों में कार्यरत जलवाहकों का पुराना वेतनमान रुपये 25–1–30 तथा 30–1–40 था जिसे पुनरीक्षित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा द्वारा रुपये 165–215 का वेतनमान दिया जा रहा है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों के जलवाहकों का वेतनमान रुपये 20–1/2–25 है जिसके पुनरीक्षण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

गैर सरकारी डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों का राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान

*45—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों का वेतनमान, जो जनवरी, 1973 से लागू कर दिया गया है, उन्हें अब तक नहीं दिया जा रहा है जबकि प्रवक्ताओं को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों, यह वेतन उन्हें कब दिया जायगा ?

श्री कालीचरण—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा घोषित तथा राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिये स्वीकृत वेतनमान, जो 1 जनवरी, 1973 से लागू कर दिया गया है, उन्हें दिया जा रहा है।

शिक्षा अधीक्षकों एवं सहायक उपस्थिति अधिकारियों को पेन्शन दिये जाने की मांग

*46—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि 1964 की लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक सहायक अध्यापक से लेकर डिग्री कालेज तक के सब अध्यापकों के पद पेन्शन प्राप्त (पेन्शनेबिल) बना दिये गये हैं। यदि हां, तो नगरपालिकाओं के शिक्षा अधीक्षकों और सहायक उपस्थिति अधिकारियों को यह पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है जबकि उनकी योग्यताओं में प्रशिक्षित होना आवश्यक है ?

श्री कालीचरण—

जी हां। लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है किन्तु शिक्षा अधीक्षकों और सहायक उपस्थिति अधिकारियों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि वे अध्यापक की श्रेणी में नहीं आते।

सहायक अभियन्ताओं, सिंचाई का आन्दोलन एवं मांगें

*47—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि प्रदेश के सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 से आन्दोलन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं ? और सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, दिसम्बर माह में आन्दोलन पर थे। सहायक अभियन्ताओं की निम्नलिखित दो मांगें हैं:

(1) तदर्थ रूप से कार्यरत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सहायक अभियन्ताओं का नियमितीकरण मन्त्रि परिषद् द्वारा किया जावे।

(2) सन्वाल कमेटी की रिपोर्ट का कार्यान्वयन ।

तदर्थ रूप से कार्यरत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सहायक अभियन्ताओं के नियमितीकरण पर आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है ।

सन्वाल कमेटी की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का सार्वजनिक निर्माण विभाग में परीक्षण किया जा रहा है ।

बिजनौर और मेरठ के बीच गंगा नदी पर विदुर कुटी स्थान पर पुल का शिलान्यास

*48—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि क्या मेरठ और बिजनौर जिले को जोड़ने के लिये गंगा नदी पर विदुर कुटी नामक स्थान पर कोई पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि इस पुल का शिला विन्यास सन् 1974 में कर दिया गया था ? क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिजनौर जिले को मेरठ कमिश्नरी में सम्मिलित कर दिया गया है ? सरकार इस पुल को प्राथमिकता के आधार पर बनाने का निर्णय करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, किन्तु 1976 में यह निर्णय लिया गया कि उक्त पुल वहां न बन कर गंगा नदी पर रावली घाट में प्रस्तावित बैरेज के ऊपर बनाया जाय और दारानगर और रावली घाट के बीच एक सड़क बना दी जाय ।

सिंचाई विभाग द्वारा रावलीघाट पर बैराज का काम पूरा होने पर पुल का निर्माण किया जायगा ।

बाराबंकी जिले के ग्राम हरिहरपुर में नहर समानान्तर में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*49—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेगें कि भूमि नम्बरी 90 ब रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वांसी स्थित ग्राम हरिहरपुर कार्यस्थान परगना रुदौली तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी का अर्जन नहर समानान्तर सुल्तानपुर शाखा के अन्तर्गत सन् 1973 ई0 में किया गया था ? यदि हां, तो उसका प्रतिकर सम्बन्धित खातेदार को अब तक नहीं दिया गया है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

बाराबंकी जिले में ग्राम नरौली से ग्राम मसौली तक समानान्तर नहर के अतिरिक्त कथित तीसरी नहर का निर्माण

*50—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर शाखा (शारदा सहायक नहर) एवं सामानन्तर सुल्तानपुर शाखा (शारदा सहायक नहर) दोनों पर, 21 किलोमीटर ग्राम नरौली, परगाना रुदौली, तहसील राम सनेहीघाट, जिला बाराबंकी से 25 कि0 मी0 ग्राम मसौली, परगना रुदौली, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी तक उक्त दोनों नहरों के समानान्तर केवल 4 कि0मी0 के लिये ही तीसरी माइनर के निर्माण करने की योजना सरकार द्वारा विचाराधीन है ? यदि हां, तो तीसरी माइनर के बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं ।

गाजीपुर के डाक्टर एम० ए० अन्सारी इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अवैधानिक शुल्क व चन्दा लिये जाने की शिकायत

*51—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डाक्टर एम० ए० अन्सारी इन्टर कालेज, यूसूफपुर, जिला गाजीपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध उनके द्वारा आपातकाल के दौरान अवैधानिक शुल्क व चन्दा छात्रों से वसूल करने के सम्बन्ध में विभाग व सरकार को जो दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण—

जांच की गई और उसके परिणामों में से प्रधानचार्य एवं प्रबन्धक को आवश्यक आदेश एवं चेतावनी दे दी गई है ।

सीतापुर के महमूदाबाद के ट्यूबवेल की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच

*52—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के लिये निर्धारित ट्यूबवेल बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो वह क्या निश्चित स्थान पर बनाया गया है अथवा किसी अन्य प्राइवेट ट्यूबवेल को सरकारी बना हुआ ट्यूबवेल करके दिखा दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराके रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां ।

पूर्व निश्चित स्थान से हटाकर यह नलकूप एक निजी व्यक्ति के बाग में लगा दिया गया है जो पक्की हदबन्दी से घिरा है न कि व्यक्तिगत नलकूप को राजकीय नलकूप घोषित कर दिया गया है । इसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा हो रही है । आख्या आने पर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

आख्या सदन के पटल पर भी रखी जायेगी ।

विकास खंड विशुनपुरा, तहसील पडरौना में नारायणी नदी व जुड़वनियां नाले से कटाव

*53—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वांचल के सर्वाधिक पिछड़े विकास खण्ड, विशुनपुरा (पडरौना तहसील) के ग्राम अरनहवां, चिरइहवा, चैती, बबुइया, माधी कोठिलवा मनिघौरा, सोनवल, धरोहरा, जटहा आदि बांसी व जुड़वनियां नाले के प्रति वर्ष बाढ़ नारायणी नदी (बड़ी गन्डक) के कटाव अतिवृष्टि आदि से ग्रस्त रहते हैं ? यदि हां, तो क्या इन गांवों के उद्धार हेतु मास्टर प्लान लागू किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में गंडक हाई लेबिल कमेटी की रिपोर्ट जो 1974 में प्राप्त हुई, उसके अनुसार छितौनी पिपरासी बांध के लिये 81.79 लाख रुपये एवं पिपरासी बांध के लिये

27.62 लाख रुपये की योजनायें बनाई गई हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं योजना आयोग से स्वीकृत हो चुकी है। जब बिहार राज्य अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करेगा तब इस बांध का निर्माण आरम्भ किया जायगा क्योंकि बांध की लम्बाई अधिकांशतः बिहार राज्य में है।

प्रश्न गत विकास खण्ड के क्षेत्र में जुड़वनियां नाले का निर्माण करने का निर्णय ले लिया गया है और निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ होगा।

प्रतापगढ़ जिले के पट्टी-कोहडौर व पट्टी-ढकवा मार्ग के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*54—श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की कोहडौर पट्टी मार्ग तथा पट्टी ढ़खवा मार्ग पर विगत 1 वर्ष के अन्दर कितना व्यय किया गया तथा उपरोक्त मार्गों की जांच के सम्बन्ध में आवास मंत्री, भारत सरकार, श्री राम किंकर ने कोई पत्र लिखा था? क्या प्रतापगढ़ के कतिपय विधायकों ने उक्त मार्गों के गड़बड़ घोटाले तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच हेतु कोई शिकायती पत्र दिनांक 5 अक्टूबर, 1977 ई0 को दिया था? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

माह अक्टूबर, 1976 से 30-9-77 तक पट्टी कोहडौर मार्ग पर 5.280 लाख रुपया तथा पट्टी ढखवा मार्ग पर 3.25 लाख रुपया व्यय हुआ। इन मार्गों की जांच के सम्बन्ध में श्री राम-किंकर, आवास मंत्री भारत सरकार का कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ। प्रतापगढ़ के कतिपय विधायकों का शिकायती-पत्र दिनांक 5-10-77 प्राप्त हुआ है जिस पर जांच कराई जा रही है।

पश्चिमी गंडक नहर, खजुरिया शाखा, जिला देवरिया के टंडेल व बेलदार के स्थायीकरण की मांग

*55—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य पश्चिमी गन्डक नहर निर्माण तृतीय खण्ड खजुरिया शाखा के निर्माण खण्ड, देवरिया के अन्तर्गत कितने रेगुलेशन टेंडले व बेलदार कार्यरत है? उसमें से कितने ऐसे हैं जो सन् 1972 से ही कार्यरत हैं? क्या सरकार उनको स्थायी करने पर विचार कर रही है?

श्री बलवीर सिंह—

मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर निर्माण तृतीय खण्ड खजुरिया शाखा के निर्माण खण्ड देवरिया के अन्तर्गत 11 टेंडल तथा 122 बेलदार कार्यरत हैं। उसमें से 11 टेंडल तथा 121 बेलदार 1972 से या इससे पूर्व से कार्यरत हैं। उक्त समस्त कर्मचारी कार्य प्रभारित हैं कार्य प्रभारित कमचारियों को सीधे स्थाई नहीं किया जाता।

*56—श्री कृष्णा राय—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानातरित।]

मारवाड़ी प्राइमरी विद्यालय, जिला देवरिया के अध्यापक, श्री अनिरुद्ध मिश्र को कार्यभार ग्रहण न मिलना

*57—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मारवाड़ी प्राइमरी विद्यालय, देवरिया के किन-किन अध्यापकों को आपातकाल में डी0आई0आर0 में गिरफ्तार किया गया था और

जिन्हें जेल से छूटने और कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उप विद्यालय निरीक्षक एवं रिसीवर ने अपने पत्रांक 553, दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 द्वारा, शिक्षा निदेशक के आदेश का हवाला देते हुए उपस्थिति पंजिका पर पुनः हस्ताक्षर करने से रोक दिया था और पुनः जिन्हें शिक्षा निदेशक के पत्रांक 15688–828 दिनांक 20 मई, 1976 के अनुपालन में उप विद्यालय निरीक्षक देवरिया के पत्रांक 343, दिनांक 20 सितम्बर, 1976 का पालन प्रबन्ध समिति ने न करके अब तक कार्यभार न ग्रहण करा वेतन का भुगतान नहीं किया है तथा इस प्रकार के सरकारी आदेशों का पालन न करने के कारण सरकार प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण––

मारवाड़ी प्राइमरी विद्यालय, देवरिया के श्री अनिरुद्ध मिश्र को आपातकाल में डी0 आई0 आर0 में गिरफ्तार किया गया था और श्री अनिरुद्ध मिश्र को जेल से छूटने और कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उप विद्यालय निरीक्षक (रिसीवर) के पत्रांक 553, दिनांक 22-12-75 शिक्षा निदेशक के आदेश का हवाला देते हुए उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया था। परन्तु पुनः शिक्षा निदेशक के पत्रांक 15688–828, दिनांक 20 मई, 1976 के अनुपालन में उप विद्यालय निरीक्षक के पत्रांक 343, दिनांक 20-9-76 द्वारा श्री मिश्र को कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया परन्तु प्रबन्ध समिति ने अब तक कार्यभार ग्रहण न करा कर वेतन का भुगतान नहीं किया है तथा इस प्रकार सरकारी आदेशों की अवहेलना किया है। अब भी बार-बार लिखा गया है परन्तु प्रबन्ध समिति मौन है।

हमीरपुर जिले के सींचपाल एवं अमीनों (सिंचाई) की जेष्ठता सूची और उनका तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण

*58––श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)––

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जनपद सींचपाल एवं अमीनों की ज्येष्ठता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह––

हमीरपुर जनपद में स्थित नलकूप खंड, हमीरपुर, सिंचाई निर्माण खंड महोबा तथा अनुसंधान एवं नियोजन खंड, महोबा के सींचपालों की ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जा चुकी है।

उपरोक्त खंडों में से नलकूप खंड, हमीरपुर के अमीनों की ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर है। शेष अन्य खंडों की सूची प्रकाशित की जा चुकी है।

*59––श्री ओंकार नाथ––

जनपद हमीरपुर में सिंचाई विभाग में कितने सींचपाल, अमीन व अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक से सेवा करने के बाद भी अस्थायी हैं और क्यों ? क्या शासन इनके स्थायीकरण हेतु शीघ्र निर्णय लेगा ?

श्री बलवीर सिंह––

जनपद हमीरपुर में स्थित सिंचाई खंडों में 61 सींचपाल, 16 अमीन एवं 102 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्थाई है। मुख्यतः स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण इन्हें स्थायी नहीं किया जा सका। स्थायी पद उपलब्ध होने पर ही स्थायीकरण संभव होगा।

संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण एवं अवशेष वेतन का भुगतान

*60—श्री रमेश चन्द्र (जिला बांदा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन वेतन के निर्धारण के फलस्वरूप अगस्त, 1972 से फरवरी, 1975 तक के अवशिष्ट वेतन तथा फरवरी, 1976 तक की अवशिष्ट महंगाई का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राम प्रताप इन्टर कालेज, सिरसा, इलाहाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*61—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि राम प्रताप इन्टर कालेज, सिरसा, इलाहाबाद में गम्भीर अनियमिततायें व भ्रष्टाचार की शिकायतें शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है तथा इन अनियमितताओं के कारण इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 16-डी (3) के अन्तर्गत शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा 25 अक्तूबर, 1977 को एक कारण बताओ नोटिस विद्यालय को जारी किया गया था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी हां । शिक्षा निदेशक से संस्तुति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

*62—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

[6ठें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राजकीय प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर में विद्यार्थियों के चयन का आधार

*63—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर के वर्ष 1977-78 सत्र में प्रशिक्षण प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का चयन का आधार क्या था ? क्या यह सत्य है कि अधिक अंकों के प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

राजकीय प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर में शैक्षिक सत्र (1977-78) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के चयन का आधार परीक्षाओं में प्राप्त शुद्ध अंक ही न होकर नियमानुसार निर्धारित योग्यता-क्रम था । (सिद्धान्त संलग्न है) इन्हीं सिद्धान्तों पर मूल्यांकित योग्यता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1297-1299 पर)

*64—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर के यांत्रिक विभाग में कथित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

*65—श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री बृज लाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर में यांत्रिक विभाग में अधिशासी अभियन्ता पी0डब्ल्यू0 डी0 सुल्तानपुर ने कई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां अक्तूबर, सन् 1977 से आज तक की है जिसमें हरिजन या पिछड़ा वर्ग का एक भी आदमी नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो आरक्षण के सिद्धान्त का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर में विद्युत् तथा यांत्रिक विभाग में इस अवधि में कोई नवीन नियुक्ति नहीं की गयी। अतः आरक्षण सिद्धान्त के उल्लंघन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती, निरीक्षण गृह के क्वार्टरों का निर्माण एवं विद्युत् तथा पानी की व्यवस्था

*66—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, निरीक्षण गृह बस्ती के निकट जो राजकीय आवास के बाहर क्वार्टर की कालोनी बनी है वे क्वार्टर अब तक अधूरे बने है और उसमें विद्युत्, पानी तथा पंखा की सुविधा नहीं है और उन क्वार्टर को अब तक जिलाधिकारी के कब्जे में नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत 12 आवासों में से 2 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है और जिलाधिकारी द्वारा उनका आवंटन अध्यासियों को कर दिया गया है। इनमें बिजली की सुविधा उपलब्ध है। शेष 10 आवासों में से 4 आवासों में बिजली और पानी के अलावा रूफ टिरसिंग का काम होना बाकी है। इन 10 आवासों में बिजली और पानी की व्यवस्था की जा रही है। बिजली की फिटिंग कर दी गई है। बिजली के मीटर का कनेक्शन आवंटियों के द्वारा सिक्योरिटी जमा कर देने के बाद बिजली विभाग द्वारा दिया जाता है। पानी का कनेक्शन लेने के लिये नगरपालिका से प्रयत्न किया जा रहा है। सभी आवासों में हैण्ड पंप लगा दिए गए है। पंखों का प्राविधान है और आवासों के पूर्ण होने पर पंखे लगा दिए जायेंगे।

ये आवास पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित किए गए है। इनका प्रबन्ध सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाता है आवासों के पूर्ण होने की सूचना जिलाधिकारी को दी जाती है और तत्पश्चात् वे आवंटन की कार्यवाही करते है। इससे यह स्पष्ट है कि जिलाधिकारी को कब्जा देने का प्रश्न उत्पन्न नही होता।

रुड़की विश्वविद्यालय में एस0 एल0 ए0 के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध पत्र

*67—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की में इलोक्ट्रानिक एवं संचार विभाग में दो एस0 एल0 ए0 के पद पर अनियमित नियुक्तियों के बारे में श्री रामजी लाल सुमन संसद सदस्य का पत्र 1977 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त विषय में जांच करायी गयी है ?

श्री काली चरण—

जांच हो रही है।

बहराइच जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के व्यायाम शिक्षकों का वेतनमान

*68—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बहराइच जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के व्यायाम शिक्षकों को वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान, वित्तीय परामर्शदाता की स्वीकृति के बाद भी 1974 से अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जनपद बहराइच के परिषदीय व्यायाम शिक्षकों की त्रुटिवश 1-8-72 में जून, 1976 तक वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया परन्तु त्रुटि ज्ञात होने पर जुलाई, 1976 से बन्द कर दिया गया क्योंकि अभी तक परिषद् के व्यायाम शिक्षकों के पदों के वेतनमान का पुनरीक्षण शासन द्वारा नहीं किया गया है।

बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कथित आवेदन-पत्र

*69—श्री दयाराम भास्कर—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा माह जुलाई, अगस्त, 1977 में कुल कितने आवेदन-पत्र बी0टी0सी0 उत्तीर्ण प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुए हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

माह जुलाई/अगस्त, 1977 में प्रश्नकर्ता का बी0टी0सी0 उत्तीर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति विषयक कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

मुहम्मदपुर, जिला मिर्जापुर तथा फूलपुर जिला आजमगढ़ की प्राइमरी पाठशाला की मान्यता

*70—श्री दयाराम भास्कर—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ब्लाक मार्टीनगंज, मुहम्मदपुर, जिला मिर्जापुर और फूलपुर, आजमगढ़ के अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला को गत वर्ष 1976–77 में स्थायी मान्यता दी गयी ? यदि हां, तो उसे जिला परिषद् में क्यों नहीं सम्मिलित किया जा रहा है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता के पद और नियुक्ति

*71—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 से 1974 तक सिंचाई विभाग में कितने स्थाई अधिदर्शक सिविल (वर्तमान में जूनियर इंजीनियर) के पद स्वीकृत थे तथा उनके स्थान पर कितने व्यक्ति कार्यरत थे ?

श्री बलवीर सिंह—

सूचना निम्न प्रकार है—

वर्ष		स्वीकृत स्थाई पद	स्थाई किये गये अवर अभियन्ता की संख्या
1969–70	..	1,419	1,129
1970–71	..	1,419	1,271
1971–72	..	1,419	1,278
1972–73	..	1,783	1,398
1973–74	..	2,216	1,866

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद एवं प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का कोटा

*72—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त अवधि में सिंचाई विभाग में कितने सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद स्वीकृत थे एवं उनमें से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) का हिस्सा कितना था तथा उनके प्रति कितने प्रोन्नत सहायक अभियन्ता कार्यरत थे।

श्री बलवीर सिंह—

उपरोक्त अवधि में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के स्वीकृत पदों एवं उनमें से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता सिविल के हिस्से तथा उनके प्रति कार्यरत प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष		कुल स्वीकृत पद	प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का कोटा	प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का दिये गये पदों की संख्या
1969–70	..	1,065	213	161
1970–71	..	1,029	206	159
1971–72	..	1,207	242	248
1972–73	..	1,437	296	258
1973–74	..	1,557	319	275

*73—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[22-3-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत उत्तरित]।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेतरी बाजार, बस्ती की बस

*74—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेतरी बाजार, बस्ती में स्कूल बस गत अप्रैल, सन् 1977 से आकर खड़ी है, परन्तु अब तक किसी ड्राइवर की नियुक्ति न होने के कारण बस चल नहीं रही है, जिसके कारण छात्राओं को बड़ी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ड्राइवर की नियुक्ति कर बस को चालू कराने की व्यवस्था करेगी ? ताकि दूर की छात्राओं की असुविधा दूर हो सके ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

ड्राइवर की व्यवस्था की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति का आधार

*75—श्री चन्द्रपाल (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के विद्युत् अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति ज्येष्ठता सूची के आधार पर नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत् यांत्रिक) के पद पर तदर्थ प्रोन्नति अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है । इसमें उन्हीं अवर अभियन्ताओं के नामों पर विचार किया जाता है जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो एवं स्थायी हों ।

नियमित प्रोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जिसका मानदंड योग्यता (मेरिट) है । इस हेतु अवर अभियन्ता को स्थायी होना, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करना एवं अर्हकारी परीक्षा पास करना आवश्यक है ।

विद्युत् विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों (कार्य प्रभारित) और सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन मान में असमानता

*76—श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों (कार्य प्रभारित) के वेतनमानों से सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतनमानों में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो क्या इन असमानताओं को दूर करने हेतु आपने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वह कब से लागू होगी ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्नगत सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पदों का सृजन

*77—श्री जयराम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को रेगुलर न किये जाने हेतु वर्तमान समय में अब तक कौन-कौन से कितने-कितने पद स्वीकृत हुये हैं तथा यह भी बतायेंगे कि पिछले स्वीकृत पद जो कि अभी तक रिक्त पड़े हुये हैं उन्हें अविलम्ब भर जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

विवरण संलग्न है । निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ पद भरे नहीं जा सके हैं । ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता से छूट देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1300–1301 पर ।)

*78—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील में उप जिला परिषद् द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति का कोटा

*79—श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या यह सही है कि वाराणसी से ज्ञानपुर तहसील के लिये राज्य सरकार ने एक उप जिला परिषद् सन् 1955 में बनाई थी और उसके अध्यापकों की नियुक्तियां आदि एक अलग कोटे से होती थीं ? क्या यह बात भी सही है कि इस वर्ष अध्यापकों के चयन में उप जिला परिषद् में पहले की भांति अलग कोटा नहीं निर्धारित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

जी हां । जिला परिषद् से बेसिक शिक्षा परिषद् को प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के हस्तानान्तरण के पश्चात् पूरे जिले को एक इकाई मानकर, जैसा कि अन्य जिले के सम्बन्ध में होता है, अध्यापकों के पद के सृजन की स्वीकृति दी जाती है । इसी कारण उप जिला परिषद् के लिये अलग से पद सृजित नहीं किये गये ।

शाहजहांपुर, आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज की सहायक अध्यापिका के पद का विज्ञापन

*80—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज में एक सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति हेतु अक्तूबर, 1977 में सी0 टी0 ग्रेड में ज्ञापन समाचार-पत्रों में दिया गया और ज्ञापन में उक्त पद के लिये बी0 ए0 बी0 एड0 तथा हिन्दी संस्कृत में बी0 ए0 होना अनिवार्य रक्खा गया ? यदि हां, तो इन्टर सी0 टी0 की पोस्ट पर इस बन्दिश को लगाने का आधार क्या है ?

श्री कालीचरण—

जी हां । प्रश्नगत संख्या में सी0 टी0 वेतन क्रम का पद रिक्त था । उक्त रिक्त पद हेतु प्रबन्धक ने जो विज्ञापन किया वह नियमानुसार नहीं था । अतः विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

ईंटों के मूल्य एवं आकार का निर्धारण

1—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि क्या सरकार ने 1977 में पूर्वार्द्ध में उत्तर प्रदेश ईंट नियन्त्रण आदेश, 1971 में संशोधन करके जिलाधिकारियों को भट्ठों द्वारा ईंटों का आकार

तथा उनका मूल्य निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया था ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने जिलाधिकारियों ने उक्त आदेश के अन्तर्गत ईंटों का आकार निर्धारित कर दिया है ।

श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां। ललितपुर तथा पहाड़ी जिलों को छोड़कर जहां ईंटों के भट्ठे नहीं होते हैं। समस्त जिलाधिकारियों द्वारा ईंटों के आकार निर्धारित कर दिये गये हैं।

राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० का लाभ-हानि व लेखा विवरण एवं आडिट रिपोर्ट

2—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० की गत 3 वर्षों की बैलेंशशीट तैयार है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रत्येक वर्ष की लाभ-हानि का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र—

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के वर्ष 1974-75 के लेखे तैयार हैं। लाभ-हानि व अन्य लेखा विवरण एवं आडिट रिपोर्ट सहित निगम की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1974–75 की मुद्रित प्रतियां † सदन के पटल पर रखने हेतु विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

निगम के वर्ष 1975–76 के लेखे भी तैयार हैं। लाभ-हानि व अन्य लेखा विवरण एवं आडिट रिपोर्ट सहित निगम की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट 1975–76 को मुद्रण हेतु भेजा गया है। मुद्रण के पश्चात् उसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

निगम के वर्ष 1976–77 के लेखे भी तैयार कर लिये गये हैं और उनका आडिट किया जा रहा है यह आडिट पूर्ण हो जाने पर निगम की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1976–77 को भी लाभ-हानि व अन्य लेखा विवरण एवं आडिट रिपोर्ट सहित मुद्रित कराकर उसे सदन के पटल पर यथाशीघ्र रख दिया जायेगा।

आजमगढ़ के अहिरौली में टोन्स में ड्रेन व नाला निर्माण हेतु किसानों का प्रार्थना

3—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर, परगना अतरौलिया, ग्राम गौरी के किसानों ने पानी निकास के लिये ग्राम गौरी अभयपुर आदि ग्रामों से होकर अहिरौला टोंस में ड्रेन मिलाकर फसलों को डूबने से बचाने के बारे में दिनांक 1 सितम्बर, 1975 को मुख्य सिंचाई अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जिलाधीश आजमगढ़ को दिनांक 25 नवम्बर, 1975 उपरोक्त संघ को दिनांक 16 मई, 1976 अ० अ० सिंचाई विभाग, फैजाबाद मुख्य सिंचाई अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिनांक 4 अक्तूबर, 1976 को सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश, कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को रजिस्ट्री पत्र द्वारा दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह—

जनपद आजमगढ़ तहसील फूलपुर परगना अतरौलिया के किसानों ने पानी निकास के लिये ग्राम गौरी अभयपुर आदि ग्रामों से होकर अहिरौला के पास टोन्स में ड्रेन एवं एक और नाले के निर्माण के लिये जो प्रार्थना-पत्र दिये थे उनमें से दो प्रार्थना-पत्र सिंचाई विभाग में उपलब्ध हैं।

---

† छापी नहीं गयी।

उपरोक्त ग्रामों का जल निकास एक प्राकृतिक नाले से होता है यह नाला विभागीय ड्रेन नहीं है। इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जलमग्न क्षेत्र को जल निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिये परसोई ताल से टोन्स नदी तक लगभग 8.5 किलोमीटर लम्बी ड्रेन को समुचित क्षमता के बनाने के लिये सर्वेक्षण करके, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

फैजाबाद जिले थिरुआ नाला व कोहड़सा नाले को गहरा किये जाने की मांग

4—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थिरुआ नाला व कोहड़सा नाला को गहरा करने तथा थिरुआ नाला पर ग्राम खूखूतारा के दक्खिन तथा ग्राम भारीडीह के पूरब व पक्के बांध बनाने के बारे में उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 14 नवम्बर, 1977 का पत्र मिल गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और यह काम कब तक पूरा हो जायगा।

श्री बलवीर सिंह—

जी हां। प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-11-77 का पत्र प्राप्त हुआ है। मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच करने के बाद थिरुवा नाले के किनारे स्थित ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये 3.73 लाख रुपये का प्राक्कलन बनाया गया है जिसके अनुसार टेस्ट वर्क के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से कार्य करवाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को लिख दिया गया है। कोहड़सा नाले के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

क्षेत्रीय खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय, हसनगंज क्षेत्र, लखनऊ द्वारा ली गयी जगह के किराये का भुगतान

5—श्री देव कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय, हसनगंज क्षेत्र, लखनऊ ने अपने कार्यालय के उपयोग के लिये कार्यालय से संलग्न जो अतिरिक्त भाग 1 जून, 1974 से किराये पर लिया उसके किराये का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस अनियमितता के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र—

मामले की जांच की जा रही है। यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि क्षेत्रीय खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय, हसनगंज क्षेत्र, लखनऊ के लिये अतिरिक्त जगह कब से ली गयी है। यह ज्ञात हो जाने पर अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

फैजाबाद जिले के ग्राम सभा में नाला निर्माण संबंधी प्रार्थना-पत्र

6—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा के तलाब से 2 मील 2 फर्लांग लम्बा नाला निकालने के बारे में उन्हें श्री सीताराम सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट, सभा जनपद फैजाबाद का दिनांक 9 नवम्बर, 1977 का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 14 नवम्बर, 1977 के पत्र के साथ मिला है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायगा।

श्री बलवीर सिंह—

जी हां।

संबंधित स्थलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा उसके पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

फर्रुखाबाद जिले के प्रसार अध्यापकों की प्रोन्नति

7—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में पिछले 15 वर्ष से सेवारत सी० टी० वेतन क्रम के प्रसार अध्यापकों की एल० टी० वेतन-क्रम में प्रोन्नत नहीं किया गया है। यदि हां, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

ज्येष्ठता के आधार पर अर्ह प्रसाराध्यापकों को प्रोन्नत किया गया है।

आगरा जिले के राजबहा टरमीनल की नहर पट्टी को पक्का किये जाने की मांग

8—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या सरकार को पता है कि आगरा जिले में रजबहा टरमीनल (नहर) की पट्टी दिगनेर से ऊंचा तक पक्की हो गई है और इस पट्टी कोधि मिश्री तक पक्का करने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो इस उपरोक्त पट्टी को कब तक पक्का किया जा रहा है।

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, आगरा जिले के रजबहा टरमिनल की नहर पट्टी को दिगनेर से ऊंचा तक 5 किलोमीटर तक की दूरी में जिला परिषद् आगरा द्वारा पक्का कराया गया है। उसे और आगे पक्का कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कें और पम्पिल–बहवलपुर–गौरखेड़ा सड़क का पक्का करने की मांग

9—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1976, दिनांक 10 जनवरी, 1977 तथा 16 जनवरी, 1977 को अपराध ग्रस्त जनपदों के सुझावों पर विचार करने हेतु हुई बैठकों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तीन चरणों में लिंक सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन व्यय करने का निर्णय लिया गया था ? उनमें से कितनी सड़कों के निर्माण हेतु शासन फर्रुखाबाद जनपद के लिये विचार कर रहा है और वह निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

16–1–77 को कोई बैठक नहीं हुई। 31–12–76, 10–1–77 तथा 11–1–77 को हुई बैठकों में सात अपराध ग्रस्त जनपदों में मार्गों के निर्माण पर तीन चरणों में 1,183–36 लाख रु० व्यय करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। किन्तु केवल प्रथम चरण में 299.04 लाख रु० की लागत पर 255.20 कि० मी० सड़कों का निर्माण ही स्वीकृत हुआ है। फर्रुखाबाद जनपद में दो सड़कें (लम्बाई 30–80 कि० मी० तथा लागत (34.00 लाख रु०) स्वीकृत है। शेष दो चरण अभी स्वीकृत नहीं हैं।

10—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा फर्रुखाबाद जनपद को अपराधी बहुल क्षेत्र घोषित होते समय ग्रामों के दूर क्षेत्रों में सड़कें बनवाने की योजना के अन्तर्गत जनपद में कौन-कौन से क्षेत्रों में सड़कें बनवाने का विचार है? क्या शासन कम्पिल बहवलपुर रोड जहां आज पहुंचना अन्यन्त कठिन है और जिस रोड पर कई वर्षों से मिट्टी का काम हो चुका है। पक्का निर्माण कार्य पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रदेश के सात जनपदों में अपराधों की रोकथाम हेतु मार्गों/पुलों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जनपद में छिबरामऊ तथा कन्नौज क्षेत्रों में (1) तरा जाकेट तालग्राम ताहपुर-इन्दरगढ़ मार्ग व (2) थटिया खेरनगर औसीर मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है।

कम्पिल बहवलपुर गौरखेड़ा मार्ग का निर्माण जिला सीमा तक स्वीकृत है जिसमें से प्रथम 5.00 कि0 मी0 पक्का किया जा चुका है तथा शेष 11.00 किलोमीटर भाग पर भी कार्य प्रगति में है।

श्री गांधी स्मारक सुन्दर लाल इन्टर कालेज, जिला पीलीभीत के छात्रों की हड़ताल

11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज, बिलसंडा, जिला पीलीभीत में दिनांक 7 सितम्बर, से 19 सितम्बर, 1977 तक जो हड़ताल रही वह किसक द्वारा प्रेरित थी? तथा इस बार में शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कालीचरण—

विद्यालय में हुई हड़ताल विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रेरित बतलाई गई है। संस्था के प्रबन्धक को छात्रों की मांगों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विभागीय निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री मुख्तार अहमद, ग्राम खंडवारी, जिला आजमगढ़ का पानी निकासी हेतु पत्र

12—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत तहसीलदार सदर के ग्राम खन्डवारी जो शारदा सहायक खन्ड 32 के उत्तर साइड में स्थित है, पानी का निकास न होने के कारण भारी क्षति स बचने के लिये उक्त ग्राम के निवासियों न पानी निकास हेतु मुख्य मंत्री को दिनांक 26 जून, 1977 व 14 जुलाई, 1977 को मुख्य अभियन्ता सिचाई, उत्तर प्रदश सिचाई मंत्री को पत्र दिया गया है, दिनांक 27 जुलाई, 1977 को पुन: मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदश, लखनऊ को और जिलाधीश, आजमगढ़ को दिया ? यदि हां, तो पानी निकास हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां,

श्री मुख्तार अहमद, ग्राम खांडवारी पोस्ट संजरपुर जनपद आजमगढ़ का दिनांक 27-6-77 का एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। दिनांक 14-7-77 व 27-7-77 के कोई पत्र प्राप्त नहीं हुये।

आजमगढ़ जनपद के सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम खंडवारी के क्षेत्र से पानी निकास हेतु मंगई नदी तक ड्रेन के निर्माण करने का प्रस्ताव है। इनका सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ड्रेन के निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाया जा रहा है।

अनुसंधान एवं नियोजन खंड (प्रथम व द्वितीय) मिर्जापुर के कर्मचारी एवं अधिकारी तथा रख-रखाव पर व्यय की धनराशि

13—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में दो डिवीजन सर्वे हेतु एक वाणसागर योजना 2—चुनार के पास कब से कार्य कर रही है ? इसमें कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है ? और अब तक प्रत्येक मास में तनख्वाह, टी0 ए0, डी0 ए0 तथा रख-रखाव एवं आफिसों पर कितने लाख रुपये खर्च हो चुका है ? क्या वह अनुसन्धान विभाग (सिंचाई) उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है ?

श्री बलवीर सिंह—

मिर्जापुर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अनुसंधान एवं नियोजन कार्यों हेतु दो प्रंखड कार्यरत है दोनों का मुख्यालय मिर्जापुर है। अनुसंधान एवं नियोजन प्रखंड प्रथम मिर्जापुर, 26—12—72 से कार्यरत है। इस प्रखंड में दिनांक 31—1—78 को 6 अधिकारी तथा 40 कर्मचारी कार्यरत थे। दूसरा प्रंखड अनुसंधान एवं नियोजन खंड द्वितीय मिर्जापुर दिनांक 18—10—72 से कार्यरत है। इस प्रखंड में 31—1—78 को 6 अधिकारी तथा 42 कर्मचारी कार्यरत थे। उक्त दोनों प्रखंड वाणसागर एवं अन्य योजनाओं के अनुसंधान एवं नियोजन का कार्य कर रहे हैं। चुनार के पास कोई खंड कार्यशील नहीं है।

उक्त दोनों खंडों में दिनांक 31—1—78 तक अधिकरियों/कर्मचारियों के वेतन, टी0 ए0, डी0 ए0 तथा रख-रखाव एवं आफिस पर हुए व्यय का मासिक विवरण संलग्न है। अनुसंधान एवं नियोजन कार्य पर व्यय सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1302—1303 पर)

वाराणसी जिले के कतिपय ग्रामों में नलकूप का छिद्रण एवं नलकूपों की मांग संबंधी पत्र

14—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1976—77 में स्थान भटपुरवा तथा बरकसपुर, ब्लाक पिडरा एवं स्थान चिलविकला, फतेहपुर, महिमापुर, ब्लाक बड़ागांव तथा 1977—78 के लिये स्थान घरसोना शाहपुर, तैंलारी, कहरका, जगदीशपुर, पूर्वी एवं धर्मलपुर ब्लाक पिडरा तथा सगुनहा ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में सरकार ने ट्यूबवल मंजूर किया था और उसके लिये शासनादेश भी हो गया था ? यदि हां, तो क्या अब तक बोरिग नहीं की गयी ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र माननीय सिंचाई मंत्री को 6 सितम्बर, 1977 को लिखा था जिस पर उन्होंने उक्त स्वीकृत शुदा ट्यूबवेलों को बोरिग करने का आदेश दिया है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां।

पिंडरा ब्लाक के ग्राम बरबसपुर तथा ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम चिलबिला एवं फतेहपुर में नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है तथा ग्राम महिमापुर में नलकूप बनाने का कार्य इस वर्ष के कार्यक्रम में प्रस्तावित है। ग्राम भटपुरवा में आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण नलकूप नहीं लगाया जा सका।

ब्लाक पिंडरा के ग्राम धरसौना, शाहपुर तिलारी तथा जगदीशपुर (पूर्वी) एवं ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम सगुनहा में भी नलकूप का छिद्रण किया जा चुका है। नलकूपों की आबंटन की संख्या को ध्यान में रखते हुये चयन समिति ने जिन ग्रामों का अनमोदन वर्ष 1977–78 में वाराणसी जनपद में नलकूप बनाने के लिये किया, उनमें ग्राम धर्मलपुर एवं कहरका नहीं शामिल हो सके। इसलिये इन ग्रामों के नलकूपों का छिद्रण न हो सका।

प्रश्नकर्ता का दिनांक 6–9–77 को कोई पत्र नहीं मिल सका।

15—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान भरथीपुर बसनी पश्चिमीपुर ब्लाक, बड़ागांव व रामपुर, द्वितीय रतनपुर व चेहरा बिन्दा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में टयूबबेल लगाने हेतु 17 जुलाई, 1977 को एक पत्र लिखा था और दूसरा पत्र 17 सितम्बर, 1977 को लिखा था ? यदि हां, तो क्या माननीय सिंचाई मंत्री ने आदेश दे दिया है कि उपरोक्त स्थानों में सर्वे करके टयूबबेल लगा दिये जायं।

श्री बलवीर सिंह—

जी हां। प्रश्नकर्ता का दिनांक 17 जुलाई, 77 का सिंचाई मंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें इन ग्रामों में नलकूप लगाने का सुझाव दिया गया है। इस पर विचार करने के आदेश सिंचाई मंत्री जी ने दिये हैं। नलकूपों का छिद्रण जनपद में जिला सलाहकार समिति के सुझावों पर जिला चयन समिति द्वारा अनुमोदित ग्रामों में ही किये जाने का प्राविधान है।

16—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

लक्ष्मण प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालेज, मथुरा के प्रधानाचार्या की सेवा समाप्ति

17—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस प्रकार की जानकारी है कि लक्ष्मण प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालेज, मथुरा की प्रधानाचार्या को बालिका विद्यालय निरीक्षिका आगरा के बगैर अनुमोदन के दिनांक 20 सितम्बर, 1970 से सेवामुक्त कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उन्हें आज तक उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त बकाया का भुगतान कर दिया जावेगा ?

श्री बलवीर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर, दैनिक जागरण के शीर्षक, "ऐतिहासिक स्थलों पर अवैध कब्जे से नागरिक क्षुब्ध" की जांच की मांग

18—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि कानपुर से प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार-पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के "ऐतिहासिक-स्थलों पर अवैध कब्जे से नागरिक क्षुब्ध" शीर्षक समाचार की जांच का कार्य किसी अधिकारी को सौंपा गया तथा अब तक की जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

समाचार की जांच नहीं करायी गयी ।

बांदा जिले के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

19--श्री राम सजीवन--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बांदा जनपद के बाजीराव पेशवा द्वारा निर्मित लक्ष्मी नारायण का मन्दिर, गोरे साहब का तालाब, कंकाल महल तथा कनवारा रोड पर देवा बाबा का स्थान, हनुमान जी का मन्दिर तथा चिल्ला रोड पर स्थित शंकर जी का मन्दिर व तलैया की देख-रेख किन-किन ट्रस्टों द्वारा हो रही है ? क्या यह सत्य है कि उक्त धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

1--लक्ष्मीनारायण का मन्दिर--इस मन्दिर के संरक्षक महन्त प्रपन्नाचार्य बताये जाते हैं । ट्रस्टियों की नियुक्ति के संबंध में मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है । अतः यह बताना कि मन्दिर की देख रेख किन-किन ट्रस्टियों द्वारा हो रही है तथा इस पर किसका अनधिकृत कब्जा है, संभव नहीं है ।

2--गोरे साहब का तालाब--राजस्व अभिलेखों के अनुसार तालाब गांव सभा की सम्पत्ति है । इस पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

3--कंकाल महल--यह महल बाबू साहब की कोठी के नाम से जाना जाता है । राजस्व अभिलेखों में कोठी राजी रस साहब बहादुर मिसधार शुदा दर्ज है । इस कोठी पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं पाया गया है ।

4--कनवारा रोड पर देवा बाबा का स्थान तथा हनुमान जी का मन्दिर--राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह स्थान सीताराम पुत्र लाले व राम रतन पुत्र देवनाथ निवासी कटरा (बांदा) की सम्पत्ति है । मौके पर देवा बाबा का एक छोटी मढ़ी बनी है । इसी के पास चबूतरे पर हनुमान जी की मूर्ति रखी है ।

5--चिल्ला रोड पर स्थित शंकर जी का मन्दिर--राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह मन्दिर सीताराम पुत्र लाले व राम रतन पुत्र देवनाथ निवासी बांदा की सम्पत्ति है ।

6--तलैया--यह गांव सभा की सम्पत्ति है । इस पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है । प्रश्नगत स्थल और सम्पत्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के संरक्षण में नहीं है अतः शासन द्वारा कब्जे के संबंध में कोई कारवाई नहीं की गई ।

संगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला बांदा के सहायक अध्यापक श्री विजय बहादुर गुप्त की सेवा समाप्ति

20--श्री देव कुमार--

क्या यह सही है कि संगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिल्ला, बांदा में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री विजय बहादुर गुप्त को परिवार नियोजन न अपनाने के कारण दिनांक 30 सितम्बर, 1976 ई0 से कार्य मुक्त कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि श्री गुप्त ने शासन को कई प्रार्थना-पत्र कार्य मुक्त होने के पश्चात् दिये हैं ? यदि हां, तो श्री गुप्त को पदभार देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

संगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला बांदा में कार्यरत श्री विजय बहादुर गुप्त को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कठिनाई निवारण आदेश के अन्तर्गत 30–9–1976 से कार्यभार से मुक्ति के आदेश दिये गये थे। उनके विरुद्ध विद्यालय से अनुपस्थिति रहना, कर्तव्य के प्रति उदासीनता दिखाते रहना तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में कोई सहयोग न देने की शिकायतें थीं।

शासन को जो पत्र श्री गुप्त से प्राप्त हुये थे उन्हें शिक्षा निदेशक को प्रश्नगत प्रकरण में जांच कर आवश्यक कायवाही हेतु भेजा जा चुका है।

21—श्री रवीन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

मुजफ्फरनगर जिले के उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक श्री दुष्यन्त सिंह की सेवा समाप्ति

22—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर के वर्तमान डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल्स तथा उसी कार्यालय के एक लिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतों के आधार पर माह अगस्त, सितम्बर, 1977 में स्थानान्तरण आदेश दिया गया था और आदेश होने के उपरान्त पुनः उन्हें वहीं रोक दिया गया? यदि हां, तो स्थानान्तरण रोकने का क्या कारण है?

श्री कालीचरण—

प्रसंगत अवधि में उप विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर का स्थानान्तरण नहीं किया गया। केवल उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक श्री दुष्यन्त सिंह का स्थानान्तरण किया गया जिन्हें दिनांक 9–9–77 को कार्यभार से मुक्त भी किया जा चुका है।

मिर्जापुर जिले में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमान एवं अवशेष का भुगतान

23—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का वेतन 1 अगस्त, 1972 से बढ़ाया गया है? यदि हां, तो क्या सभी अध्यापकों को एरियर का भुगतान किया गया है?

श्री कालीचरण—

जी हां। केवल 131 अध्यापकों को छोड़कर शेष सभी को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार अवशेष का भुगतान किया जा चुका है।

सुल्तानपुर जिले के रानीगंज–बाजार शुकुल सड़क को पक्का किये जाने की मांग

24—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रानीगंज, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर से जो सड़क बाजार शुकुल को जाती है, उसको पक्की बनाने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) जिला झांसी का स्थानान्तरण

25—श्री रणजीत सिंह जूदेव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), झांसी का स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर झांसी से आगरा दो मास पूर्व कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), झांसी अपने साथ कुछ अध्यापिकाओं की पत्रावलियां भी उठा लाई है जिसके कारण वहां पर वेतन नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कालीचरण—

जी हां, प्रशासकीय आधार पर श्रीमती ई0 शांगलू का स्थानान्तरण 30 जून, 1977 को कर दिया गया था ।

वह अपने साथ कोई भी पत्रावली नहीं ले गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसान इन्टर कालेज, महीउद्दीनपुर, जिला मेरठ की आडिट रिपोर्ट

26—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान इन्टर कालेज, महीउद्दीनपुर, मेरठ का शिक्षा विभाग की ओर से दिनांक 17-12-71 को आडिट हुआ था और उसमें गबन पाया गया ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री आडिट रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण—

जी हां, किन्तु आडिट के समय जो धन का गबन बताया गया था वह वास्तव में गबन नहीं था बल्कि एक खाते का दूसरे में अंकन हो गया था ।

आडिट रिपोर्ट † की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

गोरखपुर, वाराणसी, तथा फैजाबाद मण्डल के अभियन्ताओं द्वारा किया गया दौरा तथा सड़क व पुल का निरीक्षण

27—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद मंडल में जनवरी, 1975 से सितम्बर, 1977 तक प्रदेश के मुख्य अभियन्ता तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने किन-किन जिलों का किन-किन तारीखों में दौरा किया और दौरे के समय कितनी सड़क तथा पुल एवं नौका घाट का निरीक्षण किया ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

गोरखपुर, वाराणसी तथा फैजाबाद मंडल में जनवरी, 75 से सितम्बर, 77 तक प्रदेश के मुख्य अभियन्ता तथा संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं ने जिन तिथियों में जिन मंडलों का दौरा किया उसका विवरण संलग्न† है । दौरे के रास्ते में जो सड़क, पुल या नौकाघाट पड़े उनका निरीक्षण किया ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1304-1309 पर)

†छापी नहीं गयी ।

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के अन्तर्गत विद्यालयों में कथित बुक-क्राफ्ट टीचर की नियुक्ति

28—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में बांसगांव तहसील के किन-किन विद्यालयों में बुक-क्राफ्ट की पढ़ाई होती है और उसमें किस-किस विद्यालय में बुक-क्राफ्ट टीचर की नियुक्त के लिये जुलाई, 1977 में विद्यालयों ने लिखा है और उसमें से किन-किन विद्यालयों में नियुक्ति हुई और क्या यह भी सही है कि बुक-क्राफ्ट टीचर की नियुक्ति में ऐसे लोग भी नियुक्त हुये हैं जो उसके लिये न आवेदक थे और न पात्र ही थे ।

श्री कालीचरण—

प्रश्नगत तहसील के दो विद्यालय गांधी इन्टर कालेज, महुआपार एवं इन्टर कालेज, ककरही में जूनियर कक्षाओं में कला के साथ बुक-क्राफ्ट की पढ़ाई होती है । जुलाई, 1977 में किसी विद्यालय ने बुक-क्राफ्ट टीचर की नियुक्ति हेतु निरीक्षक को नहीं लिखा । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का पे-रोल योजना के अन्तर्गत आर० डी० खाता एवं पास-बुक

29—श्री राम पति (जिला गोण्डा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1977 से सितम्बर, 1977 तक गोन्डा जनपद में कितने क्षेत्रों से अध्यापकों का पैरोल में आर०डी० खाता खोला गया ? वह पास बुकें क्या अध्यापकों को दिखाई गईं ? क्षेत्र कटरा बाजार मनकापुर, छपिया तरवीज की क्या स्थिति रही है ?

श्री कालीचरण—

गोंडा जनपद के 18 विकास क्षेत्रों में स्थिति बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों का फरवरी, 1977 से सितम्बर, 77 की अवधि में पैरोल योजना के अन्तर्गत आवर्ती जमा खाते (आर०डी० खाता) खोले गये तथा इच्छुक अध्यापकों को पास बुकें भी दिखाई गई । विकास क्षेत्र कटरा बाजार, मनकापुर तरबगंज स्थिति अध्यापकों का जनवरी, 1977 में तथा विकास क्षेत्र छपिया के अध्यापकों का फरवरी, 1977 म आवर्ती जमा खाते खोल गये ।

प्रदेश के कतिपय जिलों में कागज का आवंटन

30—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, तथा मुरादाबाद को पिछले तिमाही में कितना-कितना कागज एलाट किया गया और किन-किन लोगों को कितना-कितना कागज दिया गया ?

श्री कालीचरण—

† सूची संलग्न है ।

कतिपय विषय

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है अगर आप इजाजत दें तो....

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष--

आप कहिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, हम जानते हैं कि प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार है । इस सरकार के एक मंत्री ने यह कहा, रामपुर में, अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कि मेरा जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है मैं जनता पार्टी का मेंबर नहीं हूं । मेरा ताल्लुक सिर्फ आर० एस० एस० से है । यह उन्होंने तब कहा जब वह आर० एस० एस० की परेड देखने गये थे और जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गयी तो उनके एतराज करने पर उन्होंने कहा कि मेरा जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां जनता पार्टी की सरकार है या आर० एस० एस० या जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है ? यह व्यवस्था आपसे मैं चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है । कोई भी ऐसा वक्तव्य देता है, इस संबंध में आपके पास दूसरे नियम हैं, सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं । ज्यादा उचित होता आप अल्पसूचित प्रश्न के जरिये से इसकी सूचना मुख्य मंत्री जी से मांगते ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने इस पर निर्णय दे दिया है ।

श्री बाबू बदरे--

[× × × × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । मैंने इसको नहीं माना है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, ऐसा है कि विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली जो है उसमें नियम 32 में यह व्यवस्था की गई गयी है कि प्रश्नों के संबंध में, जिस दिन जो प्रश्न निश्चित होगा उसके एक दिन पहले उसका उत्तर लिखित रूप में सदस्य को मिल जायगा । लेकिन मान्यवर, प्रश्नों का उत्तर उसी दिन दिया जाता है । तो इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देवें कि सदस्य को एक दिन पहले उसका उत्तर मिल जाना चाहिये कि नहीं ।

नोट:--[× × × × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों का उत्तर एक दिन पहले मिलता है। यदि नहीं मिलता है, तो आप इसकी सूचना मेरे कक्ष में दें।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

मान्यवर, जानकारी कर लें कि किसी को एक दिन पहले नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष--

सदन का समय इस तरह नष्ट करना कोई माने नहीं रखता है। श्री सुखपाल पाण्डेय, आप बारबार अवज्ञा करते हैं और व्यवधान डालते हैं। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्य अपनी निजी जानकारी पर आधारित मामलों को उठायेंगे तब चर्चा की आज्ञा देंगे अथवा अखबारों में छपी सूचनाओं के आधार पर उठायेंगे तब। इसकी मैं व्यवस्था आपसे चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न किया है वह व्यवस्था का नाम लेकर अव्यवस्था का प्रश्न उपस्थिति करता है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल मरैला, अकबरपुर, जिला फ़ैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल, मरैला, अकबरपुर जिला फैजाबाद के प्रबंध में व्याप्त, भ्रष्टाचार कुप्रबन्ध, गुन्डागर्दी, बुनकर विरोधी नीति की ओर माननीय सदन तथा शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इस कताई मिल की स्थापना सघन बुनकर क्षेत्र होने के कारण बुनकरों को रोजगार देने के लिये सूत सुलभ कराने के उद्देश्य से किया गया था परन्तु आज टांडा, अकबरपुर, जलालपुर, दोस्तपुर, हंसवर, भूलेपुर, लोरपुर, सिकन्दरपुर तथा अनेक गांव के बुनकर एक-एक धागे के मुहताज हैं।

नियुक्तियों के संबंध में कोई नियम नहीं है और न कर्मचारियों को निकालने में ही कोई नियम है। बहुतों से कहा जाता है कि जिला सेवायोजन से नाम आने पर नियुक्त किया जायेगा जबकि 100 नियुक्तियां बिना सेवायोजन से नाम मांगे ही की गयी है इसी प्रकार राजनैतिक कारणों से 100 कर्मचारियों को निकाला गया है। दिनांक 21 अप्रैल, 1977 को मिल का उद्घाटन हुआ। नसबंदी की ज्यादतियों के विरोध स्वरूप तथा अन्य कारणों से हंगामा हुआ तथा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार नाराज होकर उस मिल पर अपने निजी व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त किया जो राजनीतिक भावनाओं पर मिल का प्रशासन चला रहा है।

प्रदेश राज्य की कताई मिलों में सबसे अच्छी होते हुये भी अप्रैल, 1977 के बाद से सूत घटिया बन रहा है कारण है कि खराब रुई अच्छी रुई के दाम पर खरीदी जा रही है।

मिल में देशी पिस्टल वालों की सीधी भर्ती की जाती है। इस मिल के चार कर्मचारी डकैती में पकड़े जा चुके हैं। गुन्डों को इस कारण अवैधानिक तौर से भर्ती किया जा रहा है। ताकि कुप्रबन्ध तथा राजनैतिक कारणों से निकाले गये कर्मचारी अपनी जबान न खोल सकें।

अतः मान्यवर, के माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय तथा अविलम्ब, अकबरपुर, जलालपुर, टांडा में सूत बिक्री केन्द्र खोलकर बुनकरों के लिये सूत की व्यवस्था तथा मिल प्रशासन दुरुस्त किया जाय और शांति स्थापित की जाय।

जिला परिषद्, देवरिया के कार्याधिकारी द्वारा परिषद् के पच्चीस कर्मचारियों को सेवा से अलग किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जिला परिषद्, देवरिया के कार्याधिकारी के कमांऊ खाऊ नीति के कारण जिला परिषद् के 9 डाक्टरों, 8 चपरासियों, 2 कर समाहर्ताओं और 3 पेड अपरेंटिस वैक्सीनेटरों को दिनांक 31-3-78 को बिना किसी शासनादेश के सेवा से निष्कासित कर दिया गया। जिला परिषद के जिन चिकित्सालयों के डाक्टरों को सेवा से हटा दिया गया है वहां के गांवों के लोगों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जिससे रोगियों के जीवन मृत्यु की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। निष्कासित कर्मचारियों के सामने जहां एक तरफ बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है वहीं दूसरी तरफ उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति आसन्न है। कार्याधिकारी, जिला परिषद् देवरिया ने सरकार की नीतियों के विपरीत कर्मचारियों को सेवा से वंचित कर सरकार को बदनाम करने का काम किया है।

अतः मैं आज आपकी आज्ञा से माननीय सदन में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री का ध्यान लोक स्वास्थ्य एवं निष्कासित कर्मचारियों के परिवारों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति की तरफ आकर्षित करते हुए समस्त 22 कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल करने की मांग करता हूं।

श्री मित्रसेन, सदस्य, विधान सभा की मिल्कीपुर, फ़ैजाबाद में होने वाली जन सभा में पुलिस की साजिश से पथराव तथा हमला होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विगत 11 फरवरी को विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में स्थित अमानीगंज बाजार में होने वाली अपनी जनसभा पर किये गये पथराव एवं प्राणघातक हमल की घटना शासन तथा सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, 11 फरवरी के एक सप्ताह पूर्व दिनांक 29 जनवरी को इसी स्थल पर हमारी एक जनसभा को स्थानीय पुलिस की खुली कारस्तानी और उसक द्वारा उकसाये गये दलाल और अराजक तत्वों द्वारा भंग कराया गया था।

श्रीमन्, पहली जनसभा दिनांक 29 जनवरी, 1978 के पीछे स्थानीय पुलिस ने जो नापाक हरकतें तथा कुकृत्य अपनी उपस्थिति में अपने कारिन्दों से करवाया उसकी सूचना जिला प्रशासन को लिखित दी गई और वस्तुस्थिति से विधिवत् अवगत करा दिया गया।

मान्यवर, दिनांक 11 फरवरी, 1978 की दूसरी जनसभा की सूचना सुरक्षात्मक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को दे दी गयी थी किन्तु मान्यवर, 11 फरवरी को 2 बजे जैसे ही हम और हमारी पार्टी के नेतागण सभा स्थल अमानीगंज पहुंचते हैं एक स्कूल की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन]

बाउण्डरी में बैठे स्थानीय पुलिस दरोगा और सिपाहियों ने अपने कुछ सामन्ती एजेन्ट और असामाजिक तत्वों के समूह में लड़कों के साथ सभा पर पत्थर फेंकवाने का संचालन किया जिससे पचासों कार्यकर्ताओं को चोटें आयीं। चोट लगने से लोग सभा स्थल से पीछे हट गये सभा स्थल पर खड़ी जीप को तोड़-फोड़ दिया गया और चाकू से जीप के पहिये फाड़ दिये गये जिससे काफी आर्थिक क्षति हुई। इतना ही नहीं अपितु जान से मार डालने के लिए हम लोगों की घेराबन्दी कर ली गयी। कुछ स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल टेलीफोन द्वारा जिलाधीश, फैजाबाद को दी।

घटना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फैजाबाद ने जब अधीक्षक पुलिस से संपर्क किया तो वे क्लब सूटिंग में थे और उप पुलिस अधीक्षक, बैंडमिन्टन खेल रहे थे। श्रीमन्, किसी प्रकार इस दुर्घटना से क्षतिग्रस्त जीप के साथ हम लोगों ने 11 बजे रात को जिलाधिकारी, फैजाबाद के आवास पर उनसे भेंट की और चोटों से क्षतिग्रस्त जीप को दिखाया। तत्पश्चात् डी0आई0 जी0 पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को भी क्षतिग्रस्त जीप के साथ वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया।

दिनांक 12-2-78 को प्रातः लिखित रूप में सारी घटना का विशेष विवरण जिलाधिकारी, फैजाबाद को दे दिया गया। इसी सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 16 फरवरी को गृह सचिव उत्तर प्रदेश तथा माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को भी लिखित रूप में दे दिया गया किन्तु मान्यवर खेद इस बात का है कि पुलिस प्रशासन जिसके हाथों में सुरक्षा की गारन्टी है अगर वही प्रशासन का जिम्मेदार अंग यह गैर जिम्मेदाराना हरकत तथा निन्दनीय कुकृत्य अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए करता है तो सामान्य जनता की सुरक्षा कैसे अक्षुण्ण रह सकती है।

मान्यवर, जब विधान सभा सदस्यों के साथ पुलिस तोड़-फोड़ की कार्यवाही करके उन्हें अपने तिकड़म का शिकार बना सकती है तो सामान्य जनता का विश्वास उसे कैसे प्राप्त हो सकता है।

श्रीमन्, यह घटना उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है जिसे आपने भी पढ़ा है। आपके फैजाबाद आगमन पर मैंने आवश्यक कार्यवाही की मांग की थी। आपने अधिकारियों से बात करके अवश्य आवश्यक कायवाही होगी ऐसा आश्वासन दिया था।

किन्तु मान्यवर, इन मुलजिमाना हरकतों को करने वाले पुलिस कर्मचारियों तथा उनकी सामन्ती सांठगांठ में पलने वाले तत्वों का बाल भी बांका न हुआ।

अतएव मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ रहा उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा न जाय और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इसके लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करें तथा शासन को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें कि निश्चित समय में कृत कार्यवाही का स्पष्टीकरण सदन को दें।

चित्रकूट में आयोजित रामायण मेले में नाटककारों तथा साहित्यकारों का अपमान किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, 2 अप्रैल, 78 को चित्रकूट में रामायण मेले में हिन्दी व तुलसी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान प्रसिद्ध नाटककार बुद्धिजीवी व साहित्यकारों का प्रशासन द्वारा अपमान व उपेक्षा की गई इससे साहित्यकारों में काफी क्षोभ व असंतोष व्याप्त है।

---

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2 अप्रैल, 1978 को हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर राम कुमार वर्मा जो कि इस मेले में आमंत्रित किये गये थे और जो तुलसी साहित्य के अधिकृत विद्वान हैं, को मंच पर जाने से प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने रोका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो0 डाक्टर माता प्रसाद जायसवाल द्वारा उनका परिचय कराने के बावजूद यह कहा गया कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा को देखते हुए इनका मंच पर जाना ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ अन्य विद्वानों, जिसमें काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर डाक्टर त्रिभुवन सिंह, डाक्टर क0 पी0 सिंह, डाक्टर राम वचन सिंह की भी उपेक्षा की गयी।

इसके फलस्वरूप हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध व जानीमानी कवियित्री महादेवी वर्मा ने क्षोभ व्यक्त किया और इससे सम्पूर्ण बुद्धिजीवियों एवं साहित्यकारों में भ्रम व क्षोभ फैल गया है।

मेरी निश्चित यह धारणा है कि जनता पार्टी स्वभावतः विद्वानों एवं साहित्यकारों का सम्मान करने में आस्था रखती है। डाक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि शासक से बड़ा दार्शनिक हुआ करता है।

मैं आपके जरिये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि रामायण मले का आयोजन जो कि यह ऐतिहासिक कार्य है, में अगर किसी प्रशासन के अधिकारी द्वारा किसी साहित्यकार या विद्वान का अपमान या उपेक्षित व्यवहार किया गया है तो साहित्यकारों का सम्मान रखते हुए सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए और सदन में एक बयान देना चाहिए ताकि भ्रम हटे और जनता पार्टी की साख बढ़े।

मान्यवर, मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी दो शब्द कह दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

अभी माननीय शतरूद्ध प्रकाश जी ने जो रामायण मेले में कवि साहित्यकारों के अपमान की सूचना दी है, उससे कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। उचित होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें जानकारी प्राप्त करके स्थिति को स्पष्ट कर दें। वैसे क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें अभी कुछ बतलाने की स्थित में हैं या नहीं ?

*मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

मान्यवर, इसमें जानकारी करने के बाद ही बता सकूंगा।

झांसी नगर मैजिस्ट्रेट, श्री राम सेवक मिश्र तथा अन्य साथियों द्वारा नशे की हालत में झांसी मेडिकल कालेज की लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरे निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी से दिलाने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, माह मार्च, 1978 के प्रथम पखवारे में झांसी नगर मैजिस्ट्रेट (श्री रामसेवक मिश्र) एवं अन्य साथियों सहित शराब पीकर झांसी के मेडिकल कालेज में जाकर लड़कियों से अश्लील व्यवहार किया था जिससे संबंधित थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई जबकि यह घटना नगर में भीषण चर्चा का विषय बनी हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा]

क्या सरकार को इस घटना की सूचना है ? और शासन ने कोई कार्यवाही स्थानान्तरण आदि की, की है या नहीं ?

बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उन्नाव जनपद में नंगे खुले बिजली के तार छू जाने से अनेक मृत्युओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व की निम्न सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

गत 31 मार्च को उन्नाव जनपद के थाना गंगाघाट अन्तर्गत ग्राम दिवारा निवासी 30 वर्षीय सुखराम नामक युवक की खैरहा फार्म के निकट लगभग 3 सप्ताह से नंगे पड़े विद्युत् प्रवाहित 11 हजार वोल्ट के तार से चिपक कर दुखद मृत्यु हो जाने का समाचार मिला है। बताया जाता है कि युवक कानपुर से चना बेचकर घर वापस आ रहा था और उसका पैर जमीन पर पड़े हुए बिजली के तार से छू गया। इस सम्बन्ध में ग्रामीणों ने अनेकों बार विद्युत् विभाग के कर्मचारियों से कहा कि इस प्राण घातक तार को तुरन्त हटा दिया जाय, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही की और इस ओर कोई ध्यान न दिया। फलतः उपरोक्त दुखद घटना घटी। इसके अतिरिक्त इन तारों के स्पर्श से कुछ समय पूर्व पश्चिमी गंगाघाट निवासी एक पन्द्रह वर्षीय बालक भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। किन्तु उपचार हो जाने के पश्चात् उसकी स्थिति में सुधार हो गया था। तीसरी घटना लगभग 6 माह पूर्व की है कि एक व्यक्ति जो दिवारा ग्राम का ही निवासी था। बिजली के ढ़ीले पड़े तारों के स्पर्श से काल कवलित हो गया था। एक बकरी की भी इन तारों के स्पर्श से जान जा चुकी है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर आशा करता हूं कि वह संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी तथा मृतकों के आश्रितों को मुआवजा प्रदान करेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विद्युत् मन्त्री जी का ध्यान मैं इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह देखें कि तार छूने से मृत्यु हुई है और अब तक उसकी क्या व्यवस्था हो सकी जिससे कि आगे मृत्यु न हो सके।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1974-75†

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1974-75 कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सत्रहवां) आदेश, 1977 †

बेसिक शिक्षा उपमंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग 10 की अधिसूचना सं0 5346/15-10-77-206-77, दिनांक 5 अक्टूबर, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सत्रहवां) आदेश, 1977 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

फैजाबाद जिले में पागल कुत्ते के काटने की घटना की जांच रिपोर्ट पर आधारित स्थिति की टिप्पणी ††

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से फैजाबाद जिले में पागल कुत्ते के काटने की घटना की जांच रिपोर्ट पर आधारित स्थिति की टिप्पणी सदन के पटल पर रखता हूं।

ग्राम्य विकास मंत्री, श्री जमुना प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार के अवहेलना की जो सूचना मुझे प्राप्त हुई उनको ले रहा हूं।

माननीय श्री श्यामधर मिश्र, सदस्य, विधान सभा ने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री, श्री जमुना प्रसाद बोस के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय श्री मिश्र का कहना है कि ग्राम्य विकास मंत्री, श्री जमुना प्रसाद बोस ने 3 अप्रैल, 1978 को चित्रकूट में सम्वाददाताओं को यह बतलाया कि जिला परिषद, क्षेत्र समितियां तथा ग्राम पंचायतों के चुनाव यथा विधि से होंगे। माननीय श्री मिश्र का कदाचित आशय जैसा कि इस सूचना के साथ संलग्न समाचार-पत्र दैनिक जागरण से प्रतीत होता है यह है कि ग्राम्य विकास मंत्री ने सम्वादाताओं को यह बतलाया कि उक्त निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होंगे। माननीय श्री मिश्र का कहना है कि इस तरह जब सदन चल रहा हो तो नीति संबंधी प्रश्न सदन के बाहर घोषित करना मर्यादा के विरुद्ध है।

इस सदन में इस प्रकार की व्यवस्थायें दी जा चुकी हैं.....

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, थोड़ा सुन लीजिए। श्रीमन्, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, आप हमसे काफी जानकार हैं, यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है और साथ ही साथ मर्यादा का भी प्रश्न है। यह सदैव सदन की मर्यादा के विरुद्ध होता है कि कम से कम जब सदन चल रहा हो या यहां पर सदन तत्काल होने वाला हो उसके तत्काल पहले भी मंत्री लोग नीतियों के प्रश्नों को प्रकाशित करते हैं। यदि सदन चल रहा है तो नीतियों

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण क पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम धर मिश्र]

के प्रश्न सदन में उपस्थित होने ही चाहिए। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि पिछले सप्ताह ही यह प्रश्न के रूप में यहां आया था और कृषि मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि यह प्रश्न विचाराधीन है। यह स्पष्ट नहीं हो सका। चित्रकूट में जाकर संवाददाताओं से इसका स्पष्टीकरण हुआ कि ग्राम सभा और क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों के चुनाव सीधी विधि से होंगे। मैं यह समझता हूं कि यह नीति का प्रश्न है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न मैं समझता हूं और अगर नहीं है तो कम से कम मर्यादा का प्रश्न अवश्य है।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह रहा था कि जो यह प्रश्न है वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तो है नहीं क्योंकि पहले भी इस पीठ से इस बात की व्यवस्था दी गयी है। मर्यादा और औचित्य का प्रश्न अवश्य है। पहले भी कई मर्तबा इस बात का यहां से निर्देश दिया गया है कि जब अधिवेशन होता है तो माननीय मंत्रीगण को, पत्रकारों को वक्तव्य देने के प्रलोभन का संवरण करना चाहिये और उन्हें सदन की गरिमा को कायम करने के लिये इस तरह के वक्तव्य सदन में ही देने चाहिये। मैं पुनः मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सदन बैठा हो तो नीति सम्बन्धी घोषणायें पहले सदन में ही की जानी चाहिये।

सिंचाई मंत्री तथा गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक और कांस्टेबिल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे दो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आज ही प्राप्त हुए हैं। श्री राम आसरे वर्मा का माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध है और श्रीराम गोविन चौधरी का गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक और कांस्टेबिल के विरुद्ध हैं। मैं इन प्रश्नों को कल लूंगा। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो कल मैं माननीय सदस्यों से भी सहायता लूंगा।

4 अप्रैल, 1978 की कार्य सूची में नत्थी 'ङ' में श्री हरी सिंह के नाम से फ़र्जी संशोधन छापने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने एक सूचना दी है कि दिनांक 4 अप्रैल, 1978 की कार्यसूची में नत्थी 'ङ' में श्री हरी सिंह, सदस्य, विधान सभा का जो संशोधन छपा है उसके विषय में श्री हरी सिंह ने लाबी में अनेक सदस्यों तथा माननीय न्याय मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह से कहा कि उन्होंने कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है तथा वे इनके प्रस्तावों के विरुद्ध हैं। माननीय श्री तोमर का कहना है कि यह गंभीर आरोप है जिससे सदन की मर्यादा तथा सम्मान का हनन होता है तथा इस गंभीर मामले की जांच विशेषाधिकार समिति के द्वारा कराई जाय।

पहले मैं चाहूंगा कि माननीय श्री हरी सिंह यहां उपस्थित हों तो इस पर प्रकाश डालें।

(श्री हरी सिंह के अनुपस्थित होने पर)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मैंने श्री हरीसिंह का संशोधन पढ़ा है। वह बीसियों साल के मेरे मित्र हैं। जितनी क्लिष्ट हिन्दी संशोधन में थी उसे पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि हरीसिंह ऐसे हिन्दी के विद्वान कैसे हो गये? मैं उस संशोधन के विषय में स्पष्ट जानकारी करने गया। हरी सिंह जी ने कहा कि मैंने कोई संशोधन नहीं दिया। जब संशोधन का अर्थ उनको बतलाया गया कि इसमें कुछ टैक्स बढ़ाये जाने का प्राविधान है तो वह बहुत रुष्ट हुए और ललकारते हुए लाबी में चले गये और श्री ओम प्रकाश सिंह भी वहां थे हम समझ नहीं पाये कि वह किस वजह से नाराज थे। नाराजगी की स्थिति में जब उनको संशोधन के इम्प्लिकेशन के बारे में अलग से बतलाया गया तो वह बहुत दुखित हुए और कहा कि मैंने कोई ऐसा संशोधन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं अपने क्षेत्र में जाकर कैसे कहूंगा कि विधायक टैक्स बढ़ाने की बात करता है। विशेष बात यह है कि सदन में जो संशोधन हम देते हैं और जो सदस्य के नाम से आता है वह कार्यवाही का अंग होता है और यह बड़ी भारी जिम्मेदारी की बात है। होने यह लगा है कि कुछ कम पढ़े लिखे लोगों से नौकरशाही के कुछ अफसरान टाइप करा कर संशोधन पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। इस संशोधन की स्वीकृति राज्यपाल से ली जा चुकी है और क्योंकि आर्थिक मसले से यह सम्बन्ध रखता है इसलिये यह गंभीर मसला है। लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिये कि कौन लोग इस तरह के संशोधन को लाने के लिये जिम्मेदार हैं और माननीय सदस्यों को बिना उसका अर्थ समझाये उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिये मंत्री जिम्मेदार ह अथवा शासन का कोई आदमी जिम्मेदार है। यह प्रश्न न किसी दल का है, न किसी व्यक्ति का है यह प्रश्न सदन की मर्यादा का है। मैंने अपना कर्तव्य समझा कि सदन के सामने सही तथ्य लाऊं। इसके अतिरिक्त भी कुछ तथ्य मेरे सामने आये जिनको मैं अनावश्यक रूप से सदन के सामने नहीं लाना चाहता। इसमें कुछ व्यक्ति इंवाल्व हैं। लिहाजा यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

कल के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 के खण्डों में प्राप्त संशोधनों के प्रस्ताव आया था जो कि श्री हरीसिंह के नाम से है। संशोधन का रूप इस प्रकार है "खण्ड 2 द्वारा संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 3 में प्रतिस्थापना के लिये प्रस्तावित उपधारा (1) में, खण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—"परन्तु दिनांक 22 मार्च, 1978 को और उसके पश्चात् होने वाली डीजल आयल की प्रथम बिक्री पर विक्रय मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायेगा।"

इस सम्बन्ध में श्री हरीसिंह मुझसे कक्ष में जाकर मिले थे और उन्होंने अपना रोष प्रकट किया था कि यह संशोधन उनके नाम से फर्जी है, गलत दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय श्रम मन्त्री और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अपना निर्णय देने से पहले कि इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेजूं या न भेजूं, कि वे कृपया इसकी जांच करें कि यह संशोधन किस प्रकार श्री हरीसिंह के नाम से आया, किस अधिकारी ने दिया, क्या उनके हस्ताक्षर हैं जो आपके विभाग के पास है, कृपया इस सम्बन्ध में शीघ्र जांच करने के बाद मुझे अवगत करायें। उसके बाद इस पर मैं अपना निर्णय दे पाऊंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव की दो सूचनायें मिली हैं। एक श्री देव बहादुर सिंह जी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री हामिद रजा खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 1978 को कोतवाली बरेली में, उनको जान से मारने के लिये किये गये फायर के सम्बन्ध में लिखाई गयी रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मुझ से श्री हामिद रजा खां मिले थे और मैंने उनकी शिकायत को माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया था।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

इस सम्बन्ध में सूचना मिलने के बाद व्यवस्था कर दी गई है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री राम नरेश यादव—

उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, 27 फरवरी, 1978 की घटना बरेली में घटी और उसके पहले 18 अक्टूबर, 1977 को माननीय सदस्य ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी जान-माल का खतरा है। मुख्य मन्त्री जी ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा गया कि आपका पत्र जान-माल की सुरक्षा से सम्बन्धित प्राप्त हुआ। उस पर उचित कार्यवाही की जा रही है। इस पर भी 27 फरवरी को उन पर हमला कर दिया गया। अगर समय से ही उनके जान-माल की रक्षा की गई होती तो उनक ऊपर यह प्राण-घातक हमला न होता। इसलिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह सूचना आपको दी गई है। माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं और नियमावली के अनुसार यह हक उनको उपलब्ध है। तो मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि माननीय सदस्य ने अपनी जान सुरक्षित नहीं समझी। कौन सी व्यवस्था उनके जान-माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में की गई है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने यह प्रार्थना की थी कि उनकी सुरक्षा के लिये उन्हें गैंडो दिया जाय। मैंने उनकी प्रार्थना को माननीय मुख्य मंत्री और गृह सचिव के पास भेज दी थी और मुझे यह बताया गया था कि उनको सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

दूसरा प्रश्न उन पर हमले का था। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दे चुके हैं और आज अभी बजट पर चर्चा होगी। माननीय देव बहादुर सिंह जी आपने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया है। यदि मैं स्वीकार भी करूं तो आप जानते हैं 4 बजे के बाद ही इस पर चर्चा हो सकती है। इसलिए अभी माननीय श्यामधर जी बजट पर अपना भाषण देंगे उसमें पर्याप्त अवसर मिलेगा इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसमें कुछ प्रबन्ध हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वस्त कर चुके हैं।

दूसरा प्रश्न श्री श्यामधर मिश्र ने दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को सुल्तानपुर से आती हुई सरकारी बस के एक ट्रक से टकरा जाने के कारण कुछ विधायकों तथा 40 अन्य व्यक्तियों का घायल होना है। तो इसी प्रकार की सूचना नियम 51 में भी मुझे प्राप्त हुई है और मैंने उसको स्वीकार किया है। कल मैं स्वयं बलरामपुर अस्पताल में गया था। मैंने देखा वहां पर 3 विधायक जो कि आहत हुए हैं उसमें श्री यादव को काफी चोट है उनकी हड्डी निकल गयी है। तो नियम 51 में मैंने इसे स्वीकार किया है और मैं चाहूंगा कि माननीय परिवहन मंत्री आज ही इस सम्बन्ध में, क्योंकि माननीय सदस्य उन सदस्यों के बारे में चिंतित भी हैं, सूचना प्राप्त करके वक्तव्य दे सकें, तो अच्छा होगा।

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

मैं दे दूंगा।

1978–79 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा शुरू होगी।

श्री श्याम धर मिश्र—

एक सदस्य—

मान्यवर, यह श्री श्यामधर जी नहीं हैं क्योंकि वह टोपी पहन कर आते थे।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह मेरी लाचारी है यह मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। श्रीमन्, यह पहला दिन है.....

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, इससे पहले कि आप शुरू करें मैं कहूंगा कि मैं समय निश्चित करना चाहता हूं। नेताओं को 25 मिनट और मंत्रियों को भी 25 मिनट, मुख्य मंत्री के लिए कोई समय नहीं। लेकिन क्योंकि आप विरोधी पक्ष की तरफ से प्रथम इस विवाद का शुभारम्भ कर रहे हैं अतः आप अपना भाषण 45 मिनट में समाप्त करें।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेता यह आप जानते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो अब मालूम होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

यह उन्होंने अपनी कठिनाई उपस्थित कर दी इतना बोलने का माद्दा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

साधारण सदस्यों के लिये 10–10 मिनट का समय होगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, जो दिघे साहब ने 1978–79 के बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं उन पर चर्चा का यह पहला दिन है। साधारण तौर से यह बजट मार्च में ही पास हो जाना चाहिये था, लेकिन अभी भी असाधारण स्थिति लगती हैं। अभी अप्रैल में बहस शुरू हो रही है और मई में जाकर के लगता है यह पास होने वाला है। तो आपातस्थिति एक दूसरे तरह की पहले थी पता नहीं अब कैसी स्थिति आई कि इतना विलम्ब हुआ और सरकार ने इस सदन के सत्र को इतने विलम्ब से बुलाया और लेखानुदान के रूप में लाये। इस असाधारण स्थिति के रूप में 17 मार्च, को काफी विलम्ब से सदन को बुलाया। इसका नतीजा क्या होगा? पिछले साल तो जो हुआ वह बिलकुल असाधारण स्थिति थी चुनाव के बाद यह हुआ था तो लेखानुदान जरूरी था, विलम्ब जरूरी हो गया था। हम लोग सशंकित थे कि जो कुछ मांगें पास होंगी उसमें काम कम होंगे या फिर खर्च कम करने पड़ेंगे।...

लेकिन इस साल हम उम्मीद कर रहे थे, अब जो मांगें पेश होंगी, वह अपने समय से पहली अप्रैल से लेकर पूरे साल तक लागू होंगी। अब क्या होगा मई में पास होगा, जून–जुलाई से शुरुआत होगी। इसका नतीजा यह होगा कि फिर इस साल बजट और सरेन्डर और शायद पहले से अधिक।

कल वित्त सचिव ने एक बड़ा सुन्दर भाषण हम लोगों को तिलक हाल में सुनाया, उसमें वित्त मंत्री भी थे और दूसरे बहुत से सदस्य थे। वह बात हमारे बहुत से सदस्यों को अच्छी तरह मालूम हैं, लेकिन हम उसको दोहरा रहे है, वह बात यह है कि हर साल के लेख का बजट जो तैयार किया जाता है,वह 5 अक्टूबर से शुरू हो जाता है और बाकी फरवरी से होते हुए वह दिसम्बर तक जाते-जाते विभागों में पूरा हो जाता है और फरवरी में आपके सदन में वह आ जाता हैं। पिछले साल का जब हम पास कर रहे थे यहां अक्टूबर महीने में तभी विचार हो रहा था इस वर्ष के सम्बन्ध में। तो इस सम्बन्ध में हमारी एक दिक्कत तो थी ही, पिछले साल की बातें जो दोनों सदनों में कही गईं, जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए, उस पर कितना सुझाव माननीय मंत्रियों ने दिया, मैं नहीं जानता। मैंने कोशिश की और 7 बड़ी-बड़ी पुस्तकों को थोड़ा-थोड़ा देखने की। उन्हें मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देखने की कोशिश किया है। मैं समझता हूं कि जितने सुझाव दिये गये माननीय सदस्यों की ओर से दोनों तरफ से कटौतियों पर और बजट के समर्थन में, ज्यादातर बातें वह नहीं हैं यहां इसमें। कारण यह था कि 5 अक्तूबर से शुरू हुआ और दिसम्बर तक खत्म हो गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां वह तरीका नहीं है जो केन्द्र में है माननीय सदस्यों के जितने भाषण होते हैं, उनके बिन्दु लेकर, आवश्यक बातें लेकर सम्बन्धित मंत्रियों और सचिवों के सामने रखे जाते हैं और दूसरे बजट के पहले रखे जाते हैं। अब यह अधिकार मंत्रियों का है कि वह उसे संशोधित कर दें या अस्वीकार कर दें या स्वीकार कर लें।

मेरी धारणा यह है कि इस साल यह बात नहीं हुई और इसीलिए जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें तमाम चीजें जो लोगों के दिमाग में थीं, वे उस अपने रूप में इसमें नहीं आई है, यानी उसका समन्वय इसमें नहीं किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि बजट में सब चीजें विपरीत है। मैं इस पर विस्तार से बाद में आऊंगा, लेकिन एक

समन्वय की दृष्टि से आपको देखना पड़ता है। पिछले बजट पर क्या हुआ ? क्या मंत्रियों ने हम लोगों के सुझावों पर गौर किया। यह ठीक है कि आप एक-एक भाषण को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या-क्या विन्दु या प्रश्न हमने रखे, आपने उनको देखा, उनको स्वीकार किया, इन्कार किया या उनको संशोधित किया। उनके बारे में यदि आप बताएगें तो हमें आप से बड़ी आशा बंधेगी, हमें बड़ी खुशी होगी। हमें आशा है वित्त मंत्री जी उसके बारे में हमको कुछ बताएंगे। जब मैं आय-व्ययक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मैं जानता हूं, जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह एक नियोजित तब्दीली का साधन है और बजट एक प्रतीक है और उससे प्रतिबिम्ब मिलता है कि किस दिशा में आप जाना चाहते हैं। बजट आये चाहे न आये, बिलम्ब से आये, या पहले, चाहे सरकारी शासन रहे या गवर्नरी शासन रहे, या जनता का शासन रहे, यह तब्दीली तो रोज हो रही है। जो कल था वह आज नहीं। जो कल होगा वह परसों नहीं रहेगा। लेकिन देखना यह है कि जो हमारा आपका उद्देश्य है, सुनियोजित जिस दिशा में आप चलना चाहते हैं, जो लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर इस बजट द्वारा बढ़ रहे हैं।

आपने शुरू में कहा वर्तमान बजट के माध्यम से अब प्रदेश सरकार बेरोजगारी कम करने, कृषि व लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने, आर्थिक विकास की दर तेज करने, आदि के लिए कृत संकल्प है। आपने पृष्ठ दो पर कहा है "जनता सरकार को एक बहुत कमजोर और जर्जर आर्थिक ढांचा प्राप्त हुआ।" आप वित्त मंत्री के नाते इसकी जांच कराएं और हमें बताएं कि क्या यह बात सही नहीं है कि इस देश में जब आजादी आयी 1947 में, तो कम से कम एक करोड़ व्यक्ति बिना खाये मर गये, भूख से। क्या यह बात सही नहीं है कि जब आपने दूसरी क्रान्ति की, जैसा कि आपने महामहिम राज्यपाल के पिछले अभिभाषण में कहलाया था कि दूसरी क्रान्ति हुई, एक क्रान्ति हुई आजादी की और दूसरी क्रान्ति आप कहते हैं कि आपने की, जब अबकी दूसरी क्रान्ति आयी तो क्या यह बात सही नहीं है कि 2 करोड़ टन गल्ला इस हिन्दुस्तान की सरकार ने आपके देश और प्रान्त में रखा था, तब यहां से निकाला गया। क्या यह बात सही नहीं है कि 4 हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा, 1977 में जब आप जीत कर उन कुर्सियों पर विराजमान हुए, तो क्या यह बात सही नहीं है कि रिजर्व बैंक में जो सोना पड़ा है वह कितना सोना पड़ा है, और क्या यह बात सही नहीं है कि एक साल में उस सोने को आप बेचने जा रहे हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि जो 2 करोड़ टन गल्ला था उसमें 50 लाख टन गल्ला आप रख नहीं सके, सड़ गया ? क्या 4 हजार करोड़ की जो विदेशी मुद्रा थी उसमें से आयात और निर्यात नीति के कारण कमी नहीं होती जा रही है ? (व्यवधान) मुझे कहने दें। मोहन सिंह जी को समय मिलेगा। मैं मोहन सिंह जी का जबाव नहीं दे सकता। उन्हें मौका मिलेगा उत्तर देने का क्योंकि मैं उनके बाद नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

आपस में एक दूसरे पर प्रहार न कीजिये।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं नहीं कहता कि बहुत सुन्दर शासन था। लेकिन जो आज इस देश में हालत रही है उसमें जो शासन करने आता है उसकी दिक्कतों को आपने स्वयं एक साल में महसूस कर लिया है, तीस वर्ष में कांग्रेस ने महसूस कर लिया है कि प्रगति करने में क्या-क्या बाधाएं हैं। पृष्ठ 1 पर लिखा है "प्रति व्यक्ति आयोजनागत परिव्यय", आपने कहा है कि बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश का प्रति सैंकड़ा, प्रति हजार कम ग्रोथ रेट होने के, बावजूद इसको, हमारे यहां जो इनवेस्टमेंट हुआ, तो केन्द्रीय सहायता कम रही। आज ही कम नहीं रही, 30 वर्ष कम रही। कम से कम डाक्टर सम्पूर्णानन्द से तो सभी को जानता हूं। केन्द्र

[श्री श्यामधर मिश्र]

से बराबर इसी बात पर लड़ाई रही है। आपके विभाग में यह सब किताबें थी। श्रीमती नायर यहां पर बैठी हुई हैं, उस समय पार्लियामेंट की सदस्या रही है, और आप भी श्रीमन् संसद के सम्मानित सदस्य रहे हैं। वित्त सचिव की ओर से बराबर किताबें बटती रही हैं जो कि श्रीमती नायर के पास होंगी। आज जरूरत है कि केन्द्रीय सहायता बढ़ाई जाये। पार्लियामेंट के सदस्य चाहे सरकारी दल के रहे हों या विपक्षी दलके रहे हों जो उस समय थे इस बात के लिए तैयार थे कि जो केन्द्रीय सहायता है उसको बढ़ाया जाये। आपने इस पर बड़ा जोर दिया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैंने पिछली सरकारों से भी पूछा है कि उत्तर प्रदेश जब यह कहता है कि हमारी केन्द्रीय सहायता बढ़े, वित्त आयोग आया आपने अपना केस बनाया। आपके केस को मैंने समझने की कोशिश की, मेरी उससे सहानुभूति है, लेकिन यहां जरूरी होगा मैं कहूंगा कि होना चाहिए। क्या केन्द्रीय सरकार पर निर्भर राज्य अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते है, नहीं सिद्ध कर सकते है। इस पुस्तिका में जो आंकड़े हैं वह सिद्ध करते हैं, आप इस पुस्तिका जिसको श्री मधुकर दिघे ने भाषण दिया उसके पन्ना 27 को देखें। "आय-व्ययक अनुमान 1978–79। अब मैं आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों की चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार आगामी वर्ष की कुल प्राप्तियों का अनुमान 1691.02 करोड़ रु0 है जिसमें 1272.41 करोड़ रुपये की प्राप्तियां राजस्व लेखे में तथा 418.61 करोड़ रुपये की प्राप्तियां पूंजी लेखे में होंगी।

श्रीमन्, इन संख्याओं को याद रखें। 312.14 करोड़ रु0 केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 318.47 करोड़ रु0 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान। इसके माने हैं कि 1200 करोड़ रुपये में 630 करोड़ रु0 केन्द्र का है और 418.61 करोड़ रु0 जो है उसमें 387.64 करोड़ रुपया ऋण है। इसके माने यह हैं कि 16 सौ करोड़ रुपये में 6 सौ और 4 सौ यानी 10 सौ करोड़ रुपया बाहर से आता है। जब यह हालत है तब आप प्रस्ताव रखते हैं। यहां की सरकारें पहले की और आज की भी इस बात पर लगी है कि किसी तरह से चीप स्लोगन देकर ड्रग रिलीफ दे दे, लेकिन कम करो इसको। कोई इसका हामी हो लेकिन मैं तो नहीं हूं। अब मैं व्योरेवार आता हूं। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि वाजिब टैक्स लगाया जाय और वाजिब जनता को रिलीफ दिया जाय और आवश्यकता होने पर रुपया सेन्टर से लिया जाय। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर 100 करोड़ रुपये का यह नुकसान हो जाता है तो 100 करोड़ रुपये का वहां का नुकसान जाता है।

मान्यवर, मैंने जोड़ा है। आप प्रोहिबिशन को ही लीजिए। प्रोहिबिशन की पालिसी कौन कहेगा कि खराब है, आप भी कहेंगे कि खराब नहीं है, लेकिन व्यवस्था क्या होनी चाहिये। इस साल 20 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 60 करोड़ और 5 वर्ष में छठी पंचवर्षीय योजना में हमारे वित्त मंत्री जी का 2 1/2 सौ करोड़ रुपया कम हो जायगा, वित्त मंत्रीजी का घट जायगा। इसके लिए आपने एक शब्द लिखा दिया कि हम आशा करते है कि केन्द्रीय सरकार अनुदान देगी। आप निराश हो जायेंगे। केन्द्रीय सरकार जैसे पहले थी, बदलती हुई भी वैसी ही है, वे ही मुद्दे है, वे ही कमीशन्स है, वे ही तरीके हैं। 50 करोड़ रुपये का लगान लगा दिया पर आपने 3 1/4 एकड़ पर लगान छोड़ दिया मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। माननीय चौधरी चरण सिंह, जो इस समय गृह मंत्री हैं, उनकी निश्चित धारणा है और राय है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस सदन का रिकार्ड मौजूद होगा उसे देख लें। उन्होंने कहा था कि वे इस राय के हैं कि उचित लगान उसी से लिया जाय, छोटे और बड़े किसानों से, लेकिन जो इनपुट्स है, पानी, खाद और बीज है उनको वे उचित कीमत पर और कम कीमत पर दिए जायं और गल्ले की कीमत अधिक दी जाय।

आज खाद की कीमत वही है जो वर्ष 76 व 77 में थी, पानी की कीमत बढ़ रही है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं पर गन्ना सड़ रहा है, गुड़ की हालत आप देख चुके हैं, उसकी चर्चा

यहां पर हो रही है। गेहूं और चावल की दशा भी आपने देख ली है। माननीय मुख्य मंत्री जी 125 रुपये प्रति क्विन्टल गेहूं की कीमत का आग्रह कर आये हैं जोर दे आये हैं लेकिन वे निराश होकर लौट आये हैं। वायदा किया था कि 150 रुपया प्रति क्विन्टल का दाम देंगे लेकिन 125 रुपया भी नहीं मिलेगा, जैसा कि केन्द्र की हालत है। वे तो तमाम सूबों की परिस्थिति को देखकर ही तय करते हैं। यह पर भाषणों में कहा गया था कि 150 रुपया गेहूं का दाम होगा, लेकिन हुआ क्या? आपातकाल के पहले की बात है कि यह कहा जाता था कि कांग्रेस सरकार ने गन्ने और लकड़ी की कीमत में कोई भेद नहीं कर रखा है। 16 रुपये प्रति क्विन्टल की कीमत पर सूखी लकड़ी मिलती है और 12 1/2 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से गन्ना बिक रहा है। आज वही हो गया है। लकड़ी अब 25 रुपये क्विन्टल हो गयी, तो मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिये मैं कह रहा हूं कि आपकी यह नीति कि नहीं, सवा तीन एकड़ अलाभकर जोत, लाभ कर जोत है, इसमें आपको आना चाहिये। इसमें विवाद हो रहे हैं बीसों वर्ष तक। 12 एकड़ का किसान अब तो सीलिंग लग गयी है, 12 एकड़ का किसान कोई लाभ कर नहीं है। एक चपरासी ढाई-तीन सौ रुपया पाता है। 12 एकड़ का किसान अगर बहुत मेहनत करेगा तो शायद 5 हजार पा जाय सालाना वरना तीन हजार का पाना बड़ा मुश्किल उसको होगा।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

सवा 6 एकड़ नहीं माना, सवा 6 एकड़ अलाभकर ये लोग नहीं माने, ये बड़े किसान के भक्त हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, लक्खीसिंह जी।

श्री श्यामधर मिश्र—

इसमें तो मैं आप से कहता हूं कि विरोधी दलों से बैठकर आपको राय करनी चाहिये। अगर कांग्रेस ने गलती की है, तो आप गलती मत कीजिये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने गलती की है, तो भी विरोधी दल से राय लीजिये, क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जो टैक्सेज लग रहे हैं, इससे जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी स्वयं कह गये कि इससे हमारे प्रदेश का कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है और आज क्या हो रहा है? एक ओर तो सवा तीन एकड़ के नाम पर छोड़ते हैं, दूसरे उतना ही 10 रुपये असिंचित और 20 रुपये सिंचित के नाम पर और लोगों को बढ़ रहा है कहां से किसान कौन सा अमीर हो गया, आप सोचिये, समझिये और चेष्टा करिये, जगलरी मत करिये फीगर्स के नाम पर 16 करोड़ का घाटा और 18 करोड़ का बयान, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, इस सरकार ने बहुत वायदे किये, क्रान्ति युग लाने वाली बात थी, मैंने उस समय कहा था कि लम्बी-लम्बी बात नहीं होनी चाहिये, स्लोगन जो हैं वह ठीक नहीं होता, काम ठीक होता है, क्रांति कहने से नहीं आयेगी, काम करने से आयेगी। स्लोगन आप दीजिये लेकिन उसके साथ काम होना चाहिये। सालभर में आप देखिये, आप कहते हैं कि बेरोजगारी बेकारी, मंहगाई, इन तमाम चीजों को आप देखिये, जितना मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा आप रिकार्ड देखियेगा, आपके सदस्य कहेंगे, आप तो मुझे सुनना नहीं चाहते, लेकिन उनको सुनना पड़ता है, आप सुनते हैं। न्याय मंत्री जी बैठे-बैठे यह कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। तो आज अन्याय का राज्य है, विधि का राज्य श्रीमन् नहीं है। न्याय मंत्री जी बैठे हैं, सुन लें। इन्होंने वायदा किया था कि व्यक्तियों का राज्य खत्म होगा, अपने मैनीफेस्टो में कहा था कि आपत्तिकालीन स्थिति, व्यक्तियों की बात, वह तो आपत्तिकालीन स्थिति खत्म होगयी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से काम हो रहे हैं, व्यक्तिवाद चल रहा है ट्रांसफर्स में

[श्री श्यामधर मिश्र]

नियुक्तियों ने, जिला परिषद के भंग करने में, म्युनिसिपैलिटीज के भंग करने, मण्डीज के मनोनयन में, कोआपरेटिव्स के मनोनयन में, यह व्यक्तिवाद है कि विधि का वाद है ? अभी मैं आता हूं माननीय न्याय मंत्री जी की ओर, उसके पहले थोड़ी सी बात कह लूं। जिस तरह से ट्रांसफर्स हो रहे हैं, हमें यह बताया जाय, अब मनानीय मुख्य मंत्री जी चले गये, बतायेंगे या बाद में बतायेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री और माननीय उद्योग मन्त्री जी मौजूद हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

धन्यवाद। क्या यह बात सही है कि मेरठ के डी0 आई0 जी0 का तबादला कोई शासकीय कारण से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत कारणों से हुआ? यह क्या सही है कि संभल के एस0 पी0 या डी0 एस0 पी0 एक अच्छे व्यक्ति थे। इस समय जो राइट हुआ तो हमारे दल के लोगों ने खबर दी है कि वहां की जनता उनको चाहती थी। उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कोई शासकीय कारण नहीं था। 3 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, क्या यह सही नहीं है कि कोई गाइड लाइन ट्रांसफर और नियुक्ति के सम्बन्ध में नहीं है। आप जब खुश होते हैं तो ट्रांसफर कर देते हैं या रोक देते हैं। पहले नारायण दत्त पर लांछन लगाया जाता था, मिसेज गांधी पर लगाया जाता था कि स्वेच्छा से करते हैं और अब दो-दो महीने में 4—6—8 महीने में जब चाहें अफसरों के तबादले हो जाते हैं, जैसे शतरंज की बाजी खेल रहे हैं। यह विधि का राज्य है ? विधि का राज्य कैसा? यह तो आपका निजी राज्य है। न्याय मंत्री बैठे हैं, इन्टरवेंशन में बतायें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी 16—17 एडवोकेट्स नियुक्त किये जा रहे हैं और उसमें सब उनकी ओर से कोई नियम नहीं, कोई गाइड लाइन नहीं। जो पहले के नियम हैं उनका उल्लंघन करके जातिवाद पर किया जा रहा है। क्या यह विधि का राज्य कहा जायगा ?

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

यह बिल्कुल गलत है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं खुश हूं अगर ऐसा है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो थोड़ा आपको उत्तेजित करने के लिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

हमें उत्तेजित क्यों करेंगे ? तो ऐसी चीजें हैं। आजकल एक बड़ी चर्चा है—रिजर्वेशंस की सर्विसेज में। मैं सही आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ अभिशाप बड़ी कौमों ने किया है। इस देश में कुछ पाप किये हैं, उसकी प्रतिक्रिया है, यह सही है। लेकिन आप कोई ऐसा कदम न उठायें कि जातिवाद खड़ा हो जाय प्रदेश में और देश में। जातिवाद उन्मूलन आन्दोलन एक ओर जयप्रकाश जी, आप लोग, हम लोग उठाना चाहते हैं और यह हमको मिलकर उठाना है यह कोई बात नहीं है कि हमारा और आपका दल करे, हम इसके पक्ष पाती हैं, लेकिन आप ऐसा कोई कदम उठायें जिसमें कि जाति प्रहार हो, जाति संघर्ष

हो, उसको आपका पुनर्विचार करना चाहिये। आप देखें कि चौधरी चरण सिंह जी का वक्तव्य आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

लक्खी सिंह जी, बीच में न बोलें।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय चौधरी चरण सिंह का वक्तव्य आया। गुप्ता जी आपके नेता हैं, उनका वक्तव्य आया। आप नहीं कह सकते, आप मुझे दकियानूसी कह सकते हैं, उन्हें तो नहीं कहोगे कि वे दकियानूसी हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों पर विचार होना चाहिये।

एक सदस्य—

हो रहा है।

श्री श्यामधर मिश्र—

जल्दी होना चाहिये। वैसे आपके अध्यक्ष ने कहा कि जल्दी विचार होगा। तो उन बातों पर विचार करें। जो जातिगत बातें हैं, आज हो क्या रहा है? इससे जो आपकी क्षमता है वह घटती है। आपके मंत्रियों को बहुत सी बातें नहीं पता चलतीं। जब आप मंत्री थे, अध्यक्ष जी, तो आपको नहीं पता चलती थी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामधर जी, बिहार में बिड़ला भी पिछड़ी जाति में हैं और बनिया भी पिछड़ी जाति में आ गये ह।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, बहुत सी बातें नहीं बतायी जाती हैं, मैं यह कह रहा था। मैं भी छोटा सा मंत्री रह चुका हूं। मुझे भी बहुत सी बातें नहीं मालूम हो पाती थीं। यह मेरा कहना है। यह जो पिछड़ेपन के नियम हैं उनको मान्यवर, आप देख लें। मैंने पढ़ने की चेष्टा की। मैं समझता हूं यही सदन में अगर देखा जाये तो सबसे बड़ी संख्या, मेरा अन्दाज है, हरिजनों की है जो 85 या 86 है। इसके बाद यादव लोग आते हैं। (व्यवधान) मेरी बिरादरी के लोग ज्यादा नहीं हैं। जाट भी यहां कम हैं। आज अगर यह होगा कि एक बिरादरी के नाम पर एक रिजर्वेशन आप नौकरियों और प्रोमोशन में करेंगे तो एक विवाद खड़ा हो जायेगा। यह ऐसा मसला है कि इसको सर्वदलीय स्तर पर तय किया जाये। इसके लिये मेरे पास कोई सुझाव नहीं है, लेकिन इसको आप को तय करना है। इसको जातिगत प्रश्न नहीं बनाना चाहिये।

मैं यह भी पढ़ रहा था और देखा कि इस सरकार की कोई वेज पालिसी नहीं है। आपने कह दिया कि गेहूं 105 रुपये क्विन्टल होगा। आपने यह भी कह दिया कि साढ़े 4 या 4 रुपये मजदूर पायेगा। पर आपन यह तय नहीं किया कि कम से कम आमदनी कितनी होगी और ज्यादा से ज्यादा आमदनी कितनी होगी। एक भाषण सुनता था पहले कि एक से दस तक का अधिक से अधिक अन्तर होगा, आज कोई कह सकता है कि अन्तर 1 और 10 का या इसके बीच का है। आज भी यह अन्तर एक से 50 तक का है। मैं पूछता हूं कि आपने बजट में इसके लिये क्या प्राविधान किया? यह भी नहीं बताया है कि आप कितने दिन में यह करेंगे?

आपने क्रेडिट लिया है डाक्टरों की प्रैक्टिस बन्द करने का। कुछ हद तक यह ठीक हो सकता है। लेकिन इससे जो खराबियां निकल रही हैं उनको भी देखना होगा। अगर

[श्री श्याम धर मिश्र,--]

माननीय दिघे जी बीमार पड़ेंगे या कोई मंत्री पड़ेगा तो किसी डाक्टर की यह हैसियत नहीं कि वह उनको देखने न आये। मगर एक बेचारा साधारण आदमी अगर बीमार होगा तो वह देखने नहीं जायेगा, जायेगा तो छिपकर जायगा जो करप्शन होगा। फिर आपने इनको 2700 रुपये अधिक से अधिक सीमा की जो खूंटी पर टांग दिया है इसका क्या आधार है? क्या दिघे जी बतायेंगे कि यह 2700 की सीमा किस आधार पर रखी है? सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की सेलरी जब साढ़े 3 और 4 हजार तक रखी है तो इनको 2700 की खूंटी पर क्यों टांग दिया है। इसी का फल है कि आज जो टेलेन्ट्स डाक्टर्स और इन्जीनियर्स का है वह अमेरिका, लन्दन और जर्मनी आदि देशों में जा रहा है जहां से वह 2-4 हजार डालर तक प्राप्त करता है।

श्रीमन्, इसमें बड़ी चर्चा है खेती के सम्बन्ध में। कहा गया है कि अगले साल 215 लाख टन गल्ला हो जायगा। इस साल 200 लाख टन हुआ है। तो हमें एक बात बतायी जाय?

श्री अध्यक्ष--

कृपया अपनी बात आप 6 मिनट में समाप्त कर दीजिये।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

काम की बात बोलिये।

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूं, 10 मिनट आप दे दें। मैं काम की ही सब बातें कर रहा हूं। मन्त्री जी कह रहे हैं कि काम की बात बोलिये। मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि एक मेडिकल यूनीवर्सिटी कायम होगी। आपने वायदा किया था कि मेडिकल यूनीवर्सिटी लखनऊ में कायम होगी जैसा कि मेडिकल इंस्टीटयूट दिल्ली में है। लेकिन हमने इसके बारे में बजट में कहीं नहीं देखा। आपने मेडिकल, यूनिवर्सिटी का वचन दिया था तो उसको क्यों नहीं किया जा रहा है इसका उत्तर दीजियेगा।

आप सेल्स टैक्स के बारे में कहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि इसको हटायेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह 240 से 260 करोड़ रुपये हो जायगा। तो यह परस्पर विरोधी बातें आप करेंगे, जनता को कब तक आप अन्धेरे में रखेंगे। एक ओर कहते हैं कि हटायेंगे और दूसरी ओर कहते हैं कि 260 करोड़ करेंगे तो कैसे चलेगा? आप बतायें? राम प्रकाश जी यहां बैठे हैं। मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं, उनसे इस बात का ताल्लुक है। अभी वह वहां गये थे। वाराणसी के इलाके से ताल्लुक है। भदोही के एरिया का ताल्लुक है, कालीन उद्योग से इस बात का ताल्लुक है। मेरी मांग है कि ज्ञानपुर को आप औद्योगिक जिला बना दें। वहां पर बहुत सी समस्यायें हैं, मन्त्री जी जानते हैं। मेरा ख्याल है मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। राबर्ट्सगंज बहुत पिछड़ा जिला है इसको एक अलग जिला बना दें।

एक बात और कहना चाहता हूं। इस सदन में हम बैठते हैं, विधान भवन में हम बैठते हैं। आप का अनुभव मेरे अनुभव से बहुत ज्यादा है। माननीय सदस्यों को भी बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 16 सौ और 2 हजार करोड़ के बजट में 2-4 वर्ष की योजना में जिस तरह से केन्द्र में सेन्ट्रल हाल है तो उस टाइप की यहां कोई चीज हो और यहां के लिये नया विधान भवन बनायें। मैं यह कह सकता हूं कि विधान सभा के सदस्यों को रहने की जगह जितने पुराने ढंग की उत्तर प्रदेश में है शायद ही एक या दो बड़े प्रान्तों में होगी। आप स्वयं देखें। मैं तो साउथ गया हूं, नार्थ गया हूं लेकिन विधान मंडल के सदस्यों के रहने के लिये . . .

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)––

विदेश गये हैं ?

श्री श्याम धर मिश्र––

मैं तो विदेश सात बार गया हूं । लेकिन मैं वहां की बात नहीं कह रहा हूं । मैं वहां की बात कह रहा हूं जहां श्रीमन्, शतरुद्ध प्रकाश जी रहते हैं । विधान मंडल के सदस्यों के रहने की जगह के सम्बन्ध में दुर्व्यवस्था है पता नहीं माननीय सदस्यों के क्या हाल ह । मैं तो देखता हूं कि काफी दुर्व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिये । इसमें पेनी वाइज पाउंड फुलिस वाली बात नहीं होनी चाहिये । इस पर आप ध्यान दें । (लाल बत्ती जलने पर)

शिक्षा मंत्री जी से सम्बन्धित बात को कहकर मैं बैठूंगा जिससे आप अपनी लाल बत्ती बन्द कर सकें । वह यह है कि वाराणसी मंडल में एक भी एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी नहीं है और बकिया हर जगहों पर एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी हैं । हमारे जितने डिग्री कालेज हैं वह एफीलियेट हो रहे हैं फैजाबाद या गोरखपुर यूनिवर्सिटी से तो अब वाराणसी में एक एफेलिएटिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिये और वह ज्ञानपुर कालेज को यूनिवर्सिटी बनाना चाहिये । इसकी मांग जनता युवा ने किया है ।

श्री अध्यक्ष––

गोपीगंज में नहीं ।

श्री श्याम धर मिश्र––

वही नहीं । मैं ज्ञानपुर में कह रहा हूं । अभी वहां जनता युवा के लड़कों ने भूख हड़ताल किया था तो आपके अधिकारियों ने वहीं जाकर उसको तुड़वाया और कहा कि आपकी मांग मैं रखूंगा । अब चूंकि समय समाप्त हो गया इसलिये मैं बैठ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष––

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस पक्ष से जो लोग महामहिम राज्यपाल के भाषण पर बोल चुके हैं उनसे पहले उनको अवसर मिलना चाहिये जो बोले नहीं हैं चूंकि यह मेम्बर्स की शिकायत है ।

*श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस बजट के समर्थन में कुछ बोल रहा हूं । मान्यवर, आज 30 साल के बाद, जो उधर के माननीय सदस्य बैठे हैं जो कहते है कि अच्छा नहीं है लेकिन आज हमारा बजट 30 साल के बाद, ऐसा बजट बना है जो असली लोकतांत्रीय बजट है इसमें आजतक कांग्रेस शासन काल में जो 30 साल में नहीं हुआ वह हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट को हरिजनों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों और काश्तकारों के हित में बनाया है । इस बजट में हरिजनों, अल्पसंख्यकों और गरीबों को जो राहत मिली है वह 30 साल में नहीं मिली है । हमारे भाई जो उधर बैठे हैं कहते है कि इन्द्रा के कार्य काल में बहुत अच्छा हुआ और वह हरिजनों के हितैषी बनते हैं । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन की घटना है कि वाराणसी में जिसमें बाबू जगजीवन राम जी ने डा0 सम्पूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया था । लेकिन सच में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नन्दराम—]

जो इन्द्रा के पुजारी थे उन्होंने मूर्ति को धुलाया । तो बाबू जगजीवन राम के हाथ लगाने से उस मूर्ति को क्यों धुलाया गया जबकि वह कहते हैं कि हम हरिजनों के हितैषी हैं ? इसलिय आज हरिजनों के लिये जो इस बजट में काम किया गया है वह 30 साल में नहीं किया गया है ।

(इस समय 1 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द पति यादव पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, इसके साथ ही मेरा एक यह भी सुझाव है कि गन्ने क मामले में जिस तरह यह लोग कह रहे है और गांव-गांव में किसानों तथा जनता पार्टी के लोगों को जिस तरह उकसाते हैं और भ्रमक प्रचार करते है वह ठीक नहीं है । मेरा निवेदन है कि आज जब इस मामले पर बहस चल रही है तो मुझे कहना है कि वास्तव में गन्ना किसानों की हालत सोचनीय है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र चरथावल जिला मुजफ्फरनगर जहां 10–15 गांव है वहां ओला पड़ा है । जिससे गेहूं की फसल बरबाद हो गयी है । इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे वहां के जिन काश्तकारों का गन्ना है उनके लिये क्या यह व्यवस्था मंत्री जी करायेंगे कि जिनका गन्ना खड़ा है, चूंकि वह एक मिल एरिया है रोहाना और शामली, और सरकार की योजना है कि जहां ओला पड़ा है,उनका गन्ना मिल में जल्दी से जल्दी ले लिया जाय ताकि किसान अपने खेत में दूसरी व्यवस्था कर सकें ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक सुझाव रखना चाहता हूं । हरिजनों की बात हमारे दूसरी तरफ के माननीय सदस्य उछाल रहे हैं । वह जनता पार्टी में फूट डालना चाहते हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से आपक माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का सख्ती से मुकाबला किया जाय । जिलाधीश, एस0 पी0 को जोरदार शब्दों में लिखा जाय । हालांकि मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया है लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से ढिलाई हो रही है । कहीं-कहीं ऐसा हो रहा है कि थानाध्यक्ष दोनों तरफ से रुपया लेता है । 28–29 तारीख को एक घटना है ।

मेरे गांव के पास ताजपुर कला गांव है । वहां हरिजन और कुछ दूसरी बिरादरी के लोग रहते है । वहां हरिजन बस्ती के नाम से भूमि एलाट हुई थी ।इस पर लोगों में झगड़ा चलता रहा । एक दिन आस पास के कुछ आदमी इकठ्ठा हुये और बंदूक व दूसरे हथियार लेकर हरिजनों पर चढ़ आये ।उनके बिटौड़े और कूड़ी वगैरह को काफी नुकसान हुआ । जिलाधीश और एस0 पी0 को मालूम नहीं था । पुरकाजी के थानाध्यक्ष को मालूम था । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि वह इसकी उचित जांच करवायें उस थानाध्यक्ष को निलम्बित करें । उसमें सरकार का कोई दोष नहीं उस थानाध्यक्ष को निलम्बित किया जाय और जांच की व्यवस्था की जाय । हमारे यहां काश्तकार के पास एक तो झोटा बुग्गी है और दूसरा ट्रैक्टर ट्राली है । काश्तकार परेशान है । ट्रैक्टर और ट्राली पर टैक्स है । टैक्स लगे, मैं इन्कार नहीं करता । लेकिन अगर काश्तकार अपने निजी कार्य से उसमें गन्ना, गुड़ या अनाज ले जाता है तो उस समय उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये । हां अगर किराये के लिये काम में लाता है, किसी बारात को ले जाता है तो जरुर टैक्स लगे। परिवहन मंत्री जी यहां नहीं है ।

एक बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं । 65 स्कूटर्स का कोटा आया । उसमें हरिजनों का कोटा पता नहीं कहां गया । एक भी हरिजन को नहीं मिला । कम से कम हरिजनों का 15 फीसदी सुरक्षित रहना चाहिये । जनता पार्टी में हमारा विश्वास है और उसने बड़े काम किये है । लेकिन यहां इसी जगह जहां विधान बनता हो वहां इस तरह की बात हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है । शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डी0 आई0 और एस0 डी0 आई0 का रिजर्वेशन कोटा है लेकिन वह कोटा पूरा नहीं है । एक मिसाल देना चाहता हूं मुजफ्फर नगर की । बिहारी लाल थे जिनको प्रोन्नति करके प्रौढ़ शिक्षा में भजा दिया गया । हम मुख्य मंत्री जी से मिले भी थे । उसके बाद शिक्षा निदेशक से मिले, शिक्षा सचिव से मिले ।

उन्होंने कहा कि इसकी बहुत सी शिकायतें है । मैंने कहा कि इतने लोगों ने लिखा है, जिनमें विधायक भी है और मंत्री भी हैं, तो शिकायत कैसे हुयी । फिर उसको प्रधानाचार्य बनाकर भेज दिया गया ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि रिजर्वेशन का ध्यान पूरा-पूरा होना चाहिये । एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं कि हमारे उधर के जो माननीय सदस्य हैं, वे बहुत झल्ला रहे हैं क्योंकि वे 30 साल से सत्ता में रहे है । सत्ता की याद आती है । इस सिलसिले में मुझे एक मिसाल याद आती है। मान्यवर, एक चौधरी साहब ने एक घंटा घड़ी ले ली और उसको अपने मकान में लगा दिया । चौधरी साहब के घर में चूहे बहुत थे । एक दिन छत से एक चूहा गिरा । घड़ी का एक हिस्सा खुला था और वह चहा उसमें चला गया । घड़ी में जब 12 बजे का घंटा टन्न-टन्न बजा तो मारे दहसत के वह चूहा मर गया । फिर दो दिन में उस चूहे का बदन फूल गया और उसके कारण घड़ी का चलना बंद हो गया । चौधरी साहब ने अपने लड़के से टाइम पूछा तो लड़के ने बताया कि पिता जी घड़ी बंद है । उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि घड़ी तो बड़ी अच्छी कम्पनी की थी और 500 रुपये की थी, ऐसा क्यों हुआ कि घड़ी चलना बंद हो गयी । जब उन्होंने घड़ी देखा तो पता चला कि उसमें चूहा मरा है । उनके लड़के ने कहा पिता जी इसमें घड़ी का ड्राइवर ही मरा पड़ा है । तो यही हाल आज उधर के माननीय सदस्यों का है, मान्यवर इन लोगों ने हरिजनों और पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों का इतना खून चूसा है कि वे 5–7 साल तक होश में नहीं आ सकते ।

मान्यवर, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हू । भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 31 तारीख को मुजफ्फरनगर गयी थीं । हमारे मुजफ्फरनगर के डी0 एम0 और एस0 पी0 ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था । जिस वक्त वे सात-साढ़ें सात बजे के करीब जा रही थीं, तो किसी लड़के ने उनको एक ढेला फेंक कर मार दिया । अब उसको हमार माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने सदन में बहुत बड़ा हल्ला मचाया कि इन्दिरा गांधी पर घातक हमला हुआ और चाकू से हमला हुआ । लेकिन, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल निराधार है । मेरा उस पार्टी से निवेदन है कि अब उसके लोग कुछ तो सच्चाई पर अपने को आधारित रखें । मान्यवर, यह कहना कि इन्दिरा जी पर घातक हमला हुआ, बिल्कुल निराधार है, चाहे उसकी सी0 आई0 डी0 से क्यों न तहकीकात करालें । वहां के डी0 एम0 और एस0 पी0 ने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया था । काफी जनता थी । अब किसी बच्चे ने ढीला फेंक दिया तो उसको हमारे तिवारी जी द्वारा यह कहा जाय कि इन्दिरा जी पर चाकू से घातक हमला हुआ यह बिल्कुल निराधार है ।

मान्यवर, जो इस जनता पार्टी ने बजट बनाया है, वह पिछले 30 सालों में नहीं बना । इसमें हरिजनों और काश्तकारों और अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े हित की बातें हैं । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी)

श्री अधिठाता—

पूर्व इसके कि माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें मै यह कह देना चाहता हूं कि विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि इतने बड़े दल के सदस्य हैं 351 । परंतु कभी-कभी यह देखा गया है कि कोरम का अभाव हो जाता है । कभी आधे घन्टे के अंदर तीन चार दफा कोरम का अभाव हो जाता है । मैं जो मंत्री जी यहां बैठे हुये ह, उनसे अनुरोध करुंगा कि इसकी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ।

एक सदस्य---

डेढ़ से ढाई बजे तक कोरम नहीं रहता है ।

श्री अधिष्ठाता---

मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी प्रथा चली आ रही है कि इस समय कोरम का चैलेंज नहीं किया जाता लेकिन विशेष रूप से कोई सदस्य उस को चैलेंज करता है तो कोरम की तुरंत व्यवस्था करनी पड़ती है ।

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, यहां पर ऐसी परिपाटी रही है कि पहले लन्च होता था । लन्च की पद्धति अब समाप्त कर दी और एक से दो बजे तक यह परिपाटी डाल दी गयी कि इस वक्त कोरम के सिलसिले में कोई प्रश्न नहीं उठायेगा । इस प्रश्न को उठाने से आप को परेशानी हुई है । आम तौर से सभी सदस्यों को इसका ध्यान रखना चाहिये ताकि आप के लिये कोई कठिनाई न उत्पन्न हो ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका कहना दुरुस्त है । मैंने पहले ही कहा कि परिपाटी उसकी भले ही है लेकिन जब चैलेंज हो जाता है तो एक मजबूरी हो जाती है ।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सदन के सामने वित्त वर्ष 1978-79 का बजट भाषण प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं । लेकिन श्रीमन्, साथ ही यह भी कह देना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक मान्यतायें होती हैं यदि उन मान्यताओं की कहीं भी अवहेलना होती है तो सुझाव के तौर पर मैं भी अपने विचार सरकार के सामने रखना चाहूंगा ।

श्रीमन्, इस समय माननीय सदस्य श्याम धर जी नहीं है, नहीं तो उन्होंने जो सदन के सामने प्रश्न उपस्थित किया था उसका विवरण मैं सदन के सामने रखता लेकिन वह नहीं हैं इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि जनता पार्टी ने विदेशों से ऋण बढ़ाया, रिजर्व बैंक में सोना कम किया, उन्होंने सन् 1947 से कितनी पूंजी बढ़ाई । जब से अंग्रेज यहां से गये हैं मालूम होता है उस समय हिन्दुस्तान का एक-एक व्यक्ति विदेशों का महाजन था, पावना था, एक भारतीय पर कर्जा 50 रूपये था लेकिन जिस समय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपी गयी है देश का प्रति व्यक्ति कर्जदार 256 रुपये का था । खयाल करें किस जरजर स्थिति में आपने देश को सौंपा है जनता पार्टी के हाथ में ? हम उस जर्जर अर्थ व्यवस्था को ले कर आगे बढ़ना चाहते हैं । हम पार्टी की मदद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार विचलित न हो लेकिन अगर वह विचलित होगी तो हम कांग्रेसियों की तरह इन्दिरा गांधी के भाट व चारण नहीं बनेंगे बल्कि हमेशा मार्ग दर्शन का काम करते रहेंगे । लेकिन बजट भाषण में जो कुछ उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने किया है वह मुझे केवल औपचारिक मात्र दिखाई देता है ।

हमारा ध्येय यह है कि नारायणदत्त तिवारी जी ने जैसा बजट भाषण प्रस्तुत किया था वैसा ही हम भी कर दें तो यह औपचारिक मात्र होगा । इस भाषण में उन मुद्दों का उल्लेख नहीं है जिनका उल्लेख होना चाहिये था । एक निश्चित धारणा और ध्येय हमारा होना चाहिए था और प्रदेश को उठाने के लिये एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए था और हमारी सारी योजनायें परिक्रमा के रूप में उसके चारों ओर दौड़नी चाहिए

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

थी लेकिन इसकी कहीं इसमें झलक नहीं है। डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि कांग्रेसी सरकार अगर गांव के लिये स्वच्छ जल एवं स्वच्छ पाखानों की ही व्यवस्था करे दे तो वह उसको साफ कर देते लेकिन आज भी वही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। हम आज भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि इस देश व प्रदेश के अन्दर हम इतने समयके अन्दर स्वच्छ जल व पाखानों की व्यवस्था कर देगें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम इन खामियों को पूरा नहीं करते हैं तब तक हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकेगें। 10 मार्च, 77 को जब कांग्रेस की शक्ति कमजोर हुई तब यह सोचा गया कि कुछ ऐसा वायदा करो कोई ऐसा प्रस्ताव करो ताकि यह सदन जनता की स्वाधीनता को कायम रखने में सक्षम हो और यह प्रस्ताव किया गया कि 1 जनवरी से लेकर 7 मई तक बजट चलेगा और उस प्रस्ताव में यह भी पास किया गया कि 90 दिन का सत्र चलेगा लेकिन पिछला जो हमारा सत्र चला वह मात्र 45 दिन का था। डाक्टर लोहिया कहा करतें थे कि कोई भी सदन, कोई भी पंचायत साल में 9 महीने चलना चाहिए। अगर हम डाक्टर लोहिया का नाम लेते हैं और उनक पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो सदन को वह संकल्प लेना पड़ेगा कि सदन साल के 9 महीने से कम न चले।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर लोहिया अंग्रेजी के विरोधी थे। माननीय वित्त मंत्री जी जेल गये होंगें। 57 से 71 तक कोई साल नहीं गया जब कि हमारे ऐसे लोगों ने जेल यात्रा न की हो। माननीय मंत्रीजी गांव के लिये योजनायें बनाना चाहते हैं लेकिन किसी किसान को कैसे समझायेंगे डायरेक्ट "मेंलिग पद्धति" के क्या माने होते हैं और कुटीर उद्योग धन्धों के विकास के लिये "ग्रोठ सेंटर्स" के क्या अर्थ होते हैं।

ऐसे ही शासन के रिसोर्सेज, मोबिलाईजेशन, मिल्क रेट आदि के बारे में है। इन कारणों से आप हिन्दुस्तान और प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर अच्छा प्रभाव नहीं डालने जा रहे हैं। डाक्टर लोहिया कहते थे कि हमारे साथी हिन्दी बोलते-बोलते अंग्रेजी में बोलने लगते हैं ताकि उसमें बैठे हुए लोग और प्रदेश की जनता यह न समझे कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती या वे अंग्रेजी नहीं समझते। श्रीमन्, मैं साफ कहना चाहता हूं कि आपका ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसे कि गांव के लोग जान सकें, गांव का किसान जान सके। आज आपको देखकर वे दूर भागते हैं। आपकी योजनायें गांवों तक जानी चाहिए। इस बजट भाषण में दो काम अच्छे किये गये हैं और वे सराहनीय है–भूमि सेना और आरक्षण। ये दोनों डाक्टर लोहिया की भावनाओं के अनुरूप हैं। जहां आपने भूमि सेना का उल्लेख किया उसके बारे में मैं नहीं कहता कि कितने लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है जोकि खेती के लायक इस्तेमाल हो सकती है। 16 लाख एकड़ बंजर जमीन ऐसी है जो खेती के लायक हो सकती है मैंने पढ़ा है, वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है कि ऐसी जमीन उत्तर प्रदेश में कितनी है, किन्तु उन्होंने आंकड़ें नहीं दिखाये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो बंजर भूमि है वह खेती के लायक हो। तब तो आपका मकसद साफ हो जायगा। आरक्षण के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा होती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपके दो मिनट रह गये हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जनता पार्टी के लोग भी आरक्षण के विरोध में कभी-कभी भाषण दे देते हैं। यह हमारे चुनाव घोषणा पत्र का मसविदा है। उसमें हमने साफ लिखा है कि हम काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों से 25 से लेकर 33 प्रतिशत तक नौकरियां सुरक्षित रखेंगें। उन्होंने इसे आर्थिक न मानकर जाति से सम्बन्धित माना है। उत्तर प्रदेश में 120 जातियां है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर इस वायदे

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

पर आप ठीक है और पांच वर्ष का आपने वायदा किया है तो उसे आपको मानना होगा। अगर आप समझते हैं कि यह आर्थिक हो तो इस सदन को भंग करें, जनता के बीच में चलें तब मालूम होगा कि इसकी दिशा क्या है। इस मसले को जात-पांत से ऊपर उठकर देखना होगा। आप कहते हैं कि आरक्षण नहीं होगा। आज से तीन हजार वर्ष पूर्व यह आरक्षण रखा गया था कि ब्राह्मण के लिये पढ़ना, राजपूत के लिये शासन करना, वैश्य के लिये धन उपार्जन करना। यह सब पहले से चला आ रहा है। शूद्रों और हरिजनों के लिये सेवा करने का काम था। बिना आरक्षण के वे आज कीड़े-मकोड़ों की तरह से काम कर रहे हैं। इसलिये क्या आप चाहते हैं कि इनका विकास न हो? अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े तो आपको गांधी और डाक्टर लोहिया की भावनाओं का आदर करना होगा। मैं उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जाति के और दूसरी जातियों के लोग है उनके आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है एक मिनट में समाप्त करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के कितने हैं 55 प्रतिशत, लेकिन नौकरी में 1 प्रतिशत हरिजन 19 प्रतिशत नौकरी में, 2 प्रतिशत और द्विज कितने है 16 प्रतिशत लेकिन नौकरी में 88 प्रतिशत है। तो आज आप चाहते है कि हिन्दुस्तान में आन्दोलन खड़ा हो। तो आप उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण कर दो हम देख लेंगे कौन आगे बढ़ता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट भाषण का समर्थन करता हूं।

*श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस बजट भाषण के सम्बन्ध में मुझे जो आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि वित्त मंत्री महोदय, ने जो बजट इस बार प्रस्तुत किया है वास्तव में वह ऐसे बजट है कि जिससे 30 सालों से जो वर्ग और क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं उसका विकास संभव हो पायेगा। इस जनता सरकार गांवों की ओर चली का जो नारा दिया है उसके अनुरूप गांवों के सुधार की दृष्टि से बजट भी बनाया है। जो सारा खर्च होगा उसका 40 प्रतिशत गांवों पर किया जायगा। गांवों की उन्नति के लिये लिंक रोड बनाने के लिये या वहां पर सड़कों का निर्माण करने के लिये, कुछ कुटीर उद्योग का निर्माण करने के लिये, बिजली उपलब्ध करने के लिये प्राविधान किया है। गांवों में सस्ती खाद उपलब्ध हो सके, बीज उपलब्ध हो सक। इस दृष्टि से बजट बनाने का प्रयत्न किया है। इससे बेकारी भी दूर होगी और गांवों का विकास होगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख भी होता है, कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रदेश के एक जिले को पूरी तरह से उपेक्षित छोड़ दिया गया है। इस समय इस सदन में संभवतः एक ही सदस्य वहां के उपस्थित है मैं समझता हूं कि वह भी मेरी भावनाओं से परिचित होगें।

हमारा जिला लखीमपुर है उसके विकास के लिये कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हों उसमें मैं समझता हूं कि शायद ही किसी स्कूल को ग्रांट मिलने जा रही हो, चाहे वह परिवहन का क्षेत्र हो शायद हीं वहां कोई नया बस रूट लिया जा रहा हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले वहां पर गोलागोकरननाथ में एक बस डीपो बनने की स्कीम थी उसका भी बजट में प्राविधान नहीं है। गोलागोकरननाथ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पर्यटन विभाग को चाहिए था कि वहां के तालाब को सुधारने के लिये, उसके रख-रखाव के लिये विशेष व्यवस्था करते। वह इतना प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है लेकिन उसकी घोर उपेक्षा की गई है। उसकी तरफ पर्यटन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का क्या वर्णन करूं कि काफी प्रदेश में सड़कें बनने जा रही हैं, बहुत से सुधार और विकास के कार्य होने जा रहे हैं, लेकिन लखीमपुर जिला पुन: उपेक्षित कर दिया गया है। लखीमपुर जिले से हरदोई जाने के लिये जो मुख्य मार्ग है, वह भी कच्चा पड़ा हुआ है अभी तक वह पक्का नहीं बना है। उस मुख्य मार्ग पर एक बहुत ही छोटा सा पुल कछना नदी पर बनना है, जो शायद 5–7 लाख रुपये में बन सकता है, लेकिन वह भी इतनी महत्व-पूर्ण मार्ग पर नहीं बनाया गया है। उस मुख्य मार्ग पर कछना नदी पर पुल बनाने की व्यवस्था इस बजट में नहीं है। मैं स्वास्थय मंत्री जी को थोड़ा धन्यवाद अवश्य दूंगा कि उन्होंने गोला गोकरन नाथ में जो 50 हजार की आबादी का नगर है, जहां पर पहले जिला परिषद् का जो अस्पताल था, उसमें केवल 500 रुपये की दवाएं आया करती थी, किन्तु अब स्वास्थ्य मंत्री ने उसके बारे में हमको आश्वासन दिया है कि उसको अब एक सरकारी अस्पताल स्वीकार कर लिया गया है। जिनसे मेरा निवेदन है कि वह इस बात का ध्यान दें कि वहां पर अच्छी-अच्छी दवाएं और अच्छे उपकरण शीघ्र उपलब्ध कराये जा सकें, जिससे 50 हजार वहां के लोग लाभान्वित हो सकें और अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें। वहां पर चैत्र मास में एक माह का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें 30–25 लाख आदमी प्रति वर्ष आते हैं, इसके अलावा सावन में भी बड़ा मेला लगता है और प्रति मास की अमावस्या को वह मेला लगता है। इसके होने से वहां की आबादी के अलावा आने वाले तीर्थयात्रियों के लिये भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सकेगी।

यहां पर वित्त मंत्री जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है और विशेष अनुरोध है, क्योंकि लखीमपुर जिला हर मायने में पिछड़ा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री भी उस जिले को भूल गए हैं। लखीमपुर भी वह जिला है, जहां विकास कार्य होना है। एक बात और मुझे कहनी है लखीमपुर जिले के बारे में, इस जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिलों को छोड़कर, पूर्वी और मध्य के जिलों में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, लेकिन उस तराई के क्षेत्र में गन्ने और धान की फसल पर जो ध्यान दिया जाना चाहिये, वह नहीं दिया जा रहा है। वहां पर क्रेशर्स वाले गन्ना उत्पादकों को उचित दाम नहीं दे रहे हैं। मिलों को जितना गन्ना पेरना चाहिये, वह नहीं पेरा जा रहा है। मेरे जिले की गन्ने की दृष्टि से भी हालत बहुत खराब है।

हमें उद्योग विभाग के बारे में भी कहना है। जब सभी विभाग हमारे जिले को भूलने लगे हैं तो यह भी भूलने लगा है। क्योंकि हमारे यहां कहीं भी कोई ग्रोथ–सेन्टर नहीं है। इसलिये राजस्व विभाग भी हमारे जिले को भूल गया है, क्योंकि हर जिले में वहां कुछ न कुछ विकास करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई है। मेरा उनसे निवेदन है कि मितौली में तहसील बना दी जाए और गोला गोकरनाथ में सब रजिस्ट्रार का आफिस खोल दिया जाए।

एक बात विशेष जिसकी इन दिनों बड़ी चर्चा है मैं कहना चाहता हूं और वह है ला एण्ड आर्डर की सिचुवेशन के बारे में। जैसा कि यहां पर अनेक जिलों की यहां बात आई कहीं पर हिंसा हुई कहीं पर उपद्रव हुए और कहीं पर तरह-तरह की वारदातें हुई। इन पर मेरा आज स्पष्ट आरोप है कि जो युवा कांग्रेस के लोग हैं, वे जगह-जगह इस प्रकार की हिंसा करा रहे हैं। इनका पता इंटेलीजेंस विभाग को लगाना चाहिये और उनकी गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखी जानी चाहिये।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मेरी इस पर आपत्ति हैं, इस तरह से किसी पार्टी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आप इसका ध्यान रखें।

श्री राघवराम मिश्र--

मेरे नगर में ही युवा कांग्रेस के एक सज्जन हैं, जो 'नवजीवन' के प्रेस रिपोर्टर भी हैं और जो इस दिशा में विशेष रूप से जागरूक हैं। उनकी हरकतों से हम लोगों ने वहां निपट लिया है। उन्होंने मोरार जी देसाई का नंगा चित्र बनाया, चरणसिंह के प्रति गालियां लिखीं, उन्होंने मेरे बारे में गालियां लिखीं। युवा कांग्रेस के लोगों ने रात के समय दीवारों पर राष्ट्रीय नेताओं के गंदे-गंदे चित्र बनाये। उन लोगों ने मौरार जी देसाई के बारे में यहां तक लिखा कि तुम दूध का उपयोग नहीं करते तुम मूत्र पियो। उनके मुंह में मूत्र डालते हुए दिखाया गया। इस प्रकार का कुकृत्य इंदिरा युवा कांग्रेस के लोगों ने किया है। रात में लिखते समय, उन्होंने चौकीदार को भी मारा और सिपाहियों को भी ललकारा। जनता पार्टी के लोगों की सावधानी के कारण कोई हिंसक वारदात नहीं होने पायी। जिस तरह से इंदिरा युवा कांग्रेस के लोगों ने वहां हिंसक वारदातें उत्पन्न करने की कोशिश की है वे और स्थानों पर भी करते होंगे और हिंसक वारदातें उत्पन्न हो जाती होंगी। यह युवक कांग्रेस के लोग जिनका कांग्रेस (आई) से सम्बन्ध है, शायद यह भूल गये हैं कि किस तरह से विरोधी दलों में रहना चाहिये। इंदिरा गांधी कहा करती थीं कि आन्दोलन के, प्रदर्शन के दिन लद गये हैं। यह भी कहा करती थी कि विरोधी दल केवल हिंसा की बात करता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री राघवराम मिश्र--

अभी दो मिनट और बोलना है।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट और बोलिए।

श्री राघवराम मिश्र--

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि शायद कांग्रेस (आई) के लोगों को विरोधी दल में रह कर जिस प्रकार शान्तिपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए उनको नहीं आता। उनके दिमाग में हिंसा की बात आती हैं। यही अपने भाषणों में कहते हैं और प्रत्येक जिले में हिंसक वारदातें कराने का षड्यन्त्र कर रहे हैं। जनता पार्टी और सरकार को इस मामले में सावधान रहना होगा।

मुझे एक बात और कहना है। खास तौर से रिजर्वेशन की बात की जा रही है। हमारे कुछ सदस्यों ने कहा है, हमने इसको अपने घोषणापत्र में स्वीकार किया है। मेरा यह कहना है कि इस रिजर्वेशन की बात को लेकर कांग्रेस (आई) के लोग हिंसा की वारदातें पैदा करने जा रहे हैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन यह है कि वह पिछड़े लोगों का रिजर्वेशन तो करें लेकिन एक सीमा बांध दी जाय कि इस सीमा के लोग गरीब है, चाहे वे किसी जाति के हों, उसके बाद पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दें उसके बाद अन्य लोगों को प्राथमिकता दें। लेकिन चाहें कोई करोड़पति हो, लखपती हो, कमिश्नर हो उसको सुविधायें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन जो आदमी गरीब हैं

उसको सुविधायें नहीं प्राप्त हो रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधायें अवश्य दी जायं लेकिन गरीबी की सीमा रखी जाय। उसमें सभी जातियों के लोग लाये जायें। फिर पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दी जाय।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह बजट पेश किया। बजट को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पुराने खाके मे नये रंग भरे हैं। जिसमें खुशनुमाई, खूबसूरती दी है, लेकिन उस आर्टिस्ट की कलाकारी की दाद देनी पड़ती है। जिसे यह गलतफहमी पैदा होती है कि यह परिवर्तन लायेगा, खुशहाली लायेगा। कुछ ऐसा आभास होता है। जहां तक सामाजिक और आर्थिक तवदीलियों का सवाल है, मेरा ख्याल यह है कि इस बजट से कोई तवदीली ऐसी नहीं आवेगी जिसे महसूस किया जा सके। यह जरूर है कि कुछ तरक्की की ओर कदम बढ़ते हुये दिखाई देते हैं। लेकिन यह कदम उसी पिछली सरकार के पद चिन्हों पर रखा गया है।

मान्यवर, जहां तक प्रदेश में हिंसा का वातावरण है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, सभी का यह जिम्मेदारी है कि हिंसा का जो वातावरण पैदा हो गया है उसे खतम किया जाय और एक अमन की ख्वाहिस पैदा हो, लेकिन जो पुलिस विभाग है उसके अन्दर कोई तब्दीली नहीं आयी है और उनके वही रवैये हैं जो पिछली सरकार में थे। जो रवैया पुलिस का पिछली सरकार के जमाने में था वही आज भी है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है। जो पुलिस विभाग है उसकी जो प्रणाली है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, भले ही किसी आर्थिक मसले को लेकर कोई जुलूस निकला हो, उसको लाठी गोली दबाने में वह सफल नजर आया हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग जितने भी मुकदमें दायर करते हैं वह ज्यादातर झूठे होते हैं। सभी लोग जानते हैं किस तरह से झूठे मुकदमें चलते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस के सिस्टम को बदलना पड़ेगा और जो एन्टी करप्शन के लिये रुपया रखा गया है वह कम है और जो संदिग्ध चरित्र के पुलिस मैंन हैं उनको हटाना चाहिए। और उनमें मनोवैज्ञानिक टेस्ट होना चाहिये आया कि वह रखने लायक है या नहीं।

मुझे खुद तजुर्बा है कि एक पुलिस के डी0 एस0 पी0 मुझसे नाराज हो गये और सरे बाजार में गोली चल गयी। मेरे क्षेत्र में एक नवजवान के पास दो पुलिसमैन आये और उससे कहा कि चाय पिलाओ और कहा कि 100 रुपया दो। उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। वह गांव के बाहर उनको पहुंचाने आया तो उन्होंने उससे कहा कि थाने चलो। मैं कहना चहता हूं कि पुलिस और जनता क बीच जो फासला बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिये लोगों को मुवावजा देना चाहिये। एक बूढ़े बाप का नवजवान लड़का मरा और एक लड़की विधवा हुई। तो मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन एक थानेदार ने मेरे सामने कहा कि यह कैसा आई0 जी0 है कि कहता है कि मारपीट न करो। बहुत से थानेदारों के पास पैसा वसूल करने के लिये बहुत से तरीके हैं। एन्टी करप्शन पर जो पैसा रखा गया है उसको बढ़ाया जाय।

मान्यवर, जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों की खुशहाली का दर्द अकेले सरकार के दिल में नहीं है, उनका दर्द इस ओर के लोगों को भी है। और अगर मैं यह कह दूं कि वे आपसे खुश नही है, तो बेजा नहीं होगा। वे इसलिये खुश नहीं है। क्योंकि उनको अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता है। उनको पर्याप्त सुविधायें नहीं मिलती हैं और जितनी ज्यादतियां उसके साथ होती हैं। वह बड़े दुःख की बात है। कहने के लिये तो कहा जाता है कि उचित प्रबन्ध कर दिया

[श्री हामिद रजा खां]

गया कि किसान के गन्ने की पेराई होगी लेकिन आज गन्ना 5 या 5 1/2 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा है, और इसी भाव पर नहीं बल्कि 3 और 3 1/2 रुपये के हिसाब स बिक रहा है कि और अब तो किसान मजबूर होंगें कि उसको आग से जलाना पड़ेगा। मै तो समझता हूं कि जिस फैक्ट्री के एरिया में काश्तकार का गन्ना पड़ता है अगर उसकी पेराई नहीं होती है। तो सरकार उसे फैक्ट्री से गन्ने की कीमत दिलवाये।

एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। भूमिहीन लोगों के बारे में हर तरफ से हमदर्दी दिखाई जाती है। और यहां पर कहा गया कि उनको जमीन दी गयी। जमीन को बांट तो दिया गया लेकिन उन पर उनको कब्जा नहीं मिला। और अगर उनसे कहा जाता है कि तुम्हें कब्जा दिया गया है तुम इसमें उत्पादन बढ़ाओ और फसलें उगाओ तो देखने में आता है कि उन जमीनों पर कब्जा ही नहीं हुआ। उनको ऋण भी दे दिया जाता है उनसे ऋण की अदायगी का मुताल्वा किया जाता है तो वे कैसे उस रुपये की अदायगी करे तो उनकी तरफ खास तवज्जह देने की जरूरत है।

जो कोआपरेटिव फार्मिग है उस तरफ भी मौजूदा सरकार की कोई तवज्जह नहीं है। छोटी-छोटी जोतों से पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती है। और न खुशहाली भी आ सकती है। लेकिन अगर इन जोतों को कोआपरेटिव फार्मिग में लिया जाय तो एक अच्छा परिवर्तन हो जाय और पैदावार भी बढ़े और प्रदेश में खुशहाली भी आये। मैं तो समझता हूं कि काश्तकार को मुतमुईन करने के लिये यह काफी नहीं है कि 31/8 एकड़ का लगान छोड़ दिया जाय। उसके लिये आपको एक बात और सोचनी होगी कि आज जो नफरत बड़े काश्ताकारों में उनके प्रति है उनको दूर करने की बात मैं कहता हूं। आज जो देश और प्रदेश में पैदावार बढ़ी है, हरितक्रान्ति आयी है उसमें बड़े-बड़े काश्तकारों का ही हाथ रहा है बड़े काश्तकारों से मेरा मतलब उन काश्तकारों से है जो 10–12 एकड़ जमीन जोतते हैं उन्होंने पैदावार को काफी बढ़ाया है। हमारी जो अर्थ-व्यवस्था है उसमें उससे नफरत करके या उसको तकलीफ देकर इससे देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है।

यहां पर जिला परिषदों के मुलाजिमों की पेंशन, सरकारी सेवाओं के समान देने के सिलसिले में एक विधेयक लाया गया। जिला परिषदों के मुलाजिमों ने कुछ एजीटेशन किया और उससे पहले भी उनको पेंशन देने का वायदा हुआ लेकिन जिस प्रकार से सरकारी मुलाजिमों को सुविधायें और पेंशन दी जाती हैं। उनको नहीं दी जाती है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों मुलाजिमों का प्रोविडेन्ट फंड काटा जाता है। उसी प्रकार से जिला परिषदों के कर्मचारियों का भी काटा जाय और उनको वही सुविधायें मिलनी चाहिये जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है।

हमारे स्वायत्त शासन विभाग में बख्शियों की सर्विसेज को जिस प्रकार से सेन्ट्रलाइज कर दिया गया है उसी प्रकार से जिला परिषद् के मुलाजिमों की सर्विसेज को भी सैन्ट्रलाइज कर दिया जाय। इससे मैं समझता हूं कि उनको काफी सुविधा हो जायगी।

अब मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो राम गंगा खादर है, उसको इतना नजरअन्दाज किया जाता है कि वहां पर न तो कोई सड़क गयी है और न वहां पर 12–14 गांवों में कोई जूनियर हाई स्कूल ही है। पिछली साल भी गुजारिश की, कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सरकार इसकी तरफ तवज्जह देगी। जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी कुछ जनकल्याण

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और ऐसा महसूस करता हूं कि कुल मिलाकर यह बजट गरीबों को राहत पहुंचाने वाला है। बजट को देखने के पश्चात मैंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की गयी है । यह बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो हमारी सरकार बेरोजगारी कम करने, कृषि व लघु ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन बढ़ाने, आर्थिक विकास की दर तेज करने, ग्रामोन्मुख अर्थव्यवस्था को कार्यान्वित करने, हरिजनों और कमजोर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने, प्रदेश के हर सामयिक कार्यों में दृढ़ता लाने का प्रयास करने की कृत-संकल्प है। लेकिन मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो बजट प्रस्तुत होता है उस पर निगाह रखनी चाहिये। आय और व्यय दोनों का ही उपयोग सही ढंग से हो। योजनायें हमारी कागज पर ही अंकित होकर न रह जायं, वे कार्यान्वित हों। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि जो नौकरशाही है, वह इस समय बुरी तरह से हावी है। वह इस प्रयास में रहती है कि जो भी योजना बने, चाहे प्रदेश-स्तर की हो, जिला-स्तर की हो, उसका लाभ कहां से होता है तो अपने लाभ की ताक में बनी रहती है।

एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि विकास के कार्यक्रम अधिकांशतः उन्हीं जिलों में किये जाते हैं जहां के हमारे मंत्रीगण हैं। उन जिलों की आम उपेक्षा कर दी जाती है, जहां का कोई मंत्री या ऐसा कोई वरिष्ठ नेता नहीं है। मैं अपने उन्नाव जनपद को जो कि राजधानी से मिला हुआ है, उसको लेता हूं। मैं समझता हूं कि पूर्वांचल प्रदेश की पर्वतीय प्रदेश की, बुन्देलखण्ड की बड़ी जोरशोर से बातें की जाती हैं लेकिन उस जिले की गरीबी, पिछड़ेपन की तरफ दृष्टिपात किया जाय तो आप पायेंगे कि आज भी वह जिला सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है और उसकी स्थिति पूर्वांचल से भी बदतर हालत में है। इस बार भी उधर दृष्टिपात नहीं किया गया, न ही उद्योगों के मामले में, न सड़कों के मामले में, न चिकित्सा क क्षेत्र में और न उद्योग या बिजली के संबंध में। मान्यवर किसी भी जिले की उन्नति तभी सम्भव है जब वहां पर यातायात के साधन उपलब्ध हों। हमारे यहां उन्नाव जनपद में केवल एक ही राजमार्ग, उन्नाव-लखनऊ और दूसरा एक मार्ग है जो रायबरेली से हरदोई की ओर जाता है। इसके अतिरिक्त मार्गों की बहुत बड़ी कमी है। मार्गों पर हमारी सरकार ने (सम्पर्क मार्गों पर) मैं समझता हूं कि 50 करोड़ की व्यवस्था की है। वर्ष 78–79 में वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है कि 3147 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 459 अधबनी सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण होगा लेकिन हमारे जिले में कुछ भी नहीं है। जब कि यह चाहिए था कि इस उपेक्षित जिले की ओर ध्यान दिया जाता। हमने सुझाव दिया था पिछली बार कि हमारे यहां सड़कों की अति आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सड़कों के मामले में हमारा जो जिला पिछड़ा है उसमें वे सड़कें अवश्य बनायी जायेंगी––

गंज मुरादाबाद से बल्लापुर, सिरधरपुर पतसिया होकर नौबतगंज तक। दूसरी गंज मुरादाबाद से हाईपुर, ब्यौली, इसलामाबाद होकर बेहटा रोड। बरुघाट से जाजामऊ होकर दबौली तक। फिर मदार नगर से नगौड़ा, नई बजरिया दारापुर, खैरहन सेरइयां रसूलपुर होते हुये राजघाट तक एक है काली मिट्टी से अतरधनी तक।

इसके अतिरिक्त अधबनी सड़कें पड़ी हैं जो द्वितीय योजना में बनीं लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। एक है ऊगू से गौरिया, दूसरी बांगरमऊ से बरुआघाट, बांगरमऊ से लखनऊ और सफीपुर से परियर और काली मिटटी–दबौली सम्पर्क मार्ग है गौरिया से बेहटा रोड तक।

श्रीमन्, पुलों के संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि संचानकोट के सामने सई नदी पर पुल बन जाय और कोलवा के सामने कल्याणी पर पुल बन जाय तो स्थायी संचालन के लिए आवागमन सुलभ हो सकेगा। गंज मुरादाबाद से बल्लापुर जाने पर एक नाला पड़ता है, जहां

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी]

आज भी गर्मी के दिन आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिये आते हैं वह गले तक मंझा करके उसको पार करते हैं। इतने दिन हो गये आजादी प्राप्त किये हुये लेकिन उस ओर कोई व्यवस्था नहीं की गयी।

शांति-व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार ने 28.21 लाख का प्राविधान किया है। होमगार्डों के सदस्यों को प्रशिक्षण और भत्ता आदि दिये जाने के लिये और भत्तों की दरों में वृद्धि, जबकि ड्यूटी पर लगाये जाते हैं उस समय भी पारिश्रमिक अधिक दिया जाय, यह सराहनीय कार्य है। मैंने पहले कहा था कि उनकी हालत चौकीदारों से बदतर है, उसमें सुधार होना चाहिए। जहां तक प्रश्न उठता है शांति व्यवस्था का, आप रेडियो पेट्रोल कार प्रदान कर रहे हैं, टेलीफोन दे रहे हैं जीपे पुलिस को उपलब्ध करा रहे हैं और उनको आधुनिक रूप से सुसज्जित कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कांस्टेबिल को कितना वेतन मिलता है? यदि उसके घर में 6 प्राणी हैं तो उसका गुजारा मुश्किल है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे मंत्री जायं तो 24 घंटे वह खड़े रहें हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि कोई दुर्घटना न होने पाये। हम उनसे अपेक्षा करते हैं सुरक्षा की। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी वेतन बढ़ोत्तरी करें, उधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। साथ ही आज शांति व्यवस्था की हालत यह है कि कहीं भी जाय, उससे सभी आज परिचित हैं। कोई भी व्यक्ति आज अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कि कब कहां किस प्रकार हमला हो जाय। नौकरशाही, जो हमारे वरिष्ठ पुलिस आफिसर हैं वह मनमानी कर रहे हैं। उनको खुली छूट दे दी गयी है।

मैं उन्नाव जनपद को ही लेता हूं, जहां कि पुलिस अधीक्षक राजनीति के रंग में सराबोर हैं। उसक सम्बन्ध में यहां मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा, गृहमंत्री जी को भी पत्र लिखा और हमको उत्तर भी मिल रहे हैं कि "मैं कार्यवाही कर रहा हूं"। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीनों में उनकी कार्यवाही कब पूरी होगी, मैंने मांग की थी कि आप जांच कराइये सी0 आई0 डी0 से ताकि आप उन तथ्यों से परिचित हो सकें कि वास्तविकता क्या है। हो सकता है मैं आपको गुमराह कर रहा हूं? लेकिन जानकारी तो हासिल करें कि इसमें असलियत क्या है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद मुख्य मंत्री जी ने इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। अपने मन में कभी कभी सोचता हूं कि इसमें दोष मुख्य मंत्री जी का नहीं है। वह इतने सीधे और सज्जन आदमी हैं कि कोई ऐसा कठोर पग उठाना उचित नहीं समझते। हमें यह जानकर दुख हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वयं का 7 बीघा अरहर का खेत कुछ कांग्रेसियों ने काट लिया। तो जो व्यक्ति इतना सीधा और सज्जन हो कि अपने मामले में भी कुछ न कर सके तो क्या कहा जाये, यह उनकी सज्जनता का ही एक नमूना है।

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की बात है, बजट में उसके लिये 25 करोड़ रुपया खर्च करने का प्राविधान है। 100 अतिरिक्त ग्रामीण औषधालय खुलेंगे जिसमें 20 अनुसूचित क्षेत्रों में खुलेंगे। 150 एलोपैथिक औषधालय खुलेंगे। मगर हमारे उन्नाव जिले में एक भी नहीं खुलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका 2 मिनट का ही समय है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोलने का समय नहीं मिला, मुझे श्रीमन्, थोड़ा समय दे दें।

श्रीमन्, हमारे उन्नाव जनपद में एक राजकीय चिकित्सालय है जिसमें न कम्पाउन्डर है, न कोई नर्स है और उसके भवन की हालत इतनी जर्जर है कि वह भवन किसी भी समय गिर सकता है । एक दूसरे भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, पर 1 साल से वह भी बन्द पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों उसको भी रोक दिया गया है । पूर्व इसके कि कोई दुर्घटना हो, सरकार को इस अस्पताल के भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करा देना चाहिये ।

शिक्षा के संबंध में इस वर्ष 1978–79 में 2170 प्राइमरी स्कूल, 1020 जूनियर हाई स्कूल, 288 अनुवर्ती कक्षायें, 34 राजकीय हाई स्कूल 2 डिग्री कालिज 6 राजकीय हाई स्कूलों को इंटर स्तर तक और इंटर कालिजों में द्विपाली योजना खोलने का प्राविधान है, मगर उन्नाव जिले के लिये इस बजट में कुछ नहीं है । शिक्षा का प्रतिशत भी उन्नाव जिले में केवल 19.63 है जब कि इसके मुकाबले में देहरादून में 43.74, मेरठ में 28.14, आगरा 17.97, एटा 21.69, जौनपुर 21.23 है । उन्नाव जिले के लिये न लड़कियों के लिये न लड़कों के लिये कोई डिग्री कालिज खोलने की योजना रखी गयी है ।

उद्योगों के संबंध में भी यह कहना है कि जो उद्योग हमारे यहां लगे हैं वे भी उखड़ते चले जा रहे हैं । वे दूसरे जनपदों में जा रहे हैं । पिछले दिनों एक आटोमोबाइल काम्पलेक्स द्वारा 12 इकाइयां लगायी गयी थीं, जिनका माननीय उद्योग मंत्री जी ने निरीक्षण भी किया था, जिनमें 8 इकाइयां कार्यरत भी थीं, किन्तु आज वे भी इस स्थिति में हैं कि वे बन्द हो जायेंगी । उनके मजदूर बेकार होने जा रहे हैं, जो इंजीनियर बाहर से आकर वहां कार्य में लगे थे, वे उन कारखानों के बन्द होने के कारण अब दूसरी जगह जाकर नौकरी करेंगे । हमें उम्मीद है सरकार ऐसा होने नहीं देगी, मगर अब ऐसा हुआ तो सरकार का एक करोड़ रुपया पानी में चला जायेगा ।

बिजली की स्थिति में भी हमारे जिले में कोई सुधार की योजना नहीं रखी गयी है । अगले वर्ष 4700 ग्रामों में तथा 4 हजार हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण होगा, पर उन्नाव की इसमें भी उपेक्षा की गयी है । हमारे यहां अनेको गांव ऐसे हैं जहां बिजली की नितान्त आवश्यकता है।

पेयजल योजना के बारे में हमारे यहां कुछ नहीं रखा गया है । गांवों में पेयजल की सुविधाओं के लिये बजट में 6.90 करोड़ रुपया रखा गया है, 15,276 कुओं तथा 1000 डिग्गियों का निर्माण होगा । जल निगम द्वारा भी करीब 15 करोड़ खर्च करने का प्राविधान है, पर उन्नाव जिले के लिये कुछ नहीं है । वहां के जिलाधिकारी ने लिखकर शायद यहां पर भेज दिया है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है । हमारे जिले में 300 गांव ऐसे हैं जहां गर्मी के दिनों में एक-एक बूंद पानी के लिये लोग तरसते हैं । दरौली, सकहन राजपूतान परिवर, मोहान, हसनगंज आदि गांवों के लिये एक सामूहिक पेयजल लागू करनी चाहिये ताकि गर्मियों के दिनों में वहां लोगों को पानी मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

श्रीमन्, आधे मिनट में खत्म करता हूं । श्रीमन्, यही बात सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं । इस तरफ ध्यान दिया जाय । एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बजट में सब कुछ दिखाया गया है लेकिन पत्रकारों और छोटे समाचार-पत्रों के लिये क्या व्यवस्था की गयी है इस संबंध में इसमें कहीं कुछ नहीं दिखाया गया है । जबकि यह बार-बार कहा गया कि छोटे समाचार-पत्र आधार शिला है हमारे देश की ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अब स्थान ग्रहण करें ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि इन छोटे समाचार पत्रों और श्रमजीवी पत्रकारों की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये ।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं । पिछली बार जब इस जनता सरकार ने इस प्रदेश की हुकूमत को संभाला तो जैसा सबको पता है कि 100 करोड़ रुपये का घाटा हमको मिला था और विशेष अनुदान देने की वजह से 3 1/8 एकड़ जमीन तक लगान माफ कर देने से जो घाटा था वह और दूसरे घाटे 160 करोड़ रुपये तक पहुंच गये थे । लेकिन इस बार हमने देखा कि जो घाटा है वह 24.25 करोड़ रुपये रह गया है । तो इससे पता चलता है कि यही नीतियां चलायी गयीं और मुनासिब तरीके से इंतजाम किया गया जिससे घाटा कम होता चला गया ।

मान्यवर, इस प्रदेश की तरक्की के लिये एक उपाय है और वह उपाय है कि कृषि को प्राथमिकता दी जाय । जैसा कि बजट में प्रोविजन किया गया है, कृषि और देहाती इलाके के लिये 40 प्रतिशत बजट में प्राविधान किया गया है । तो अगर मुनासिब तरीके से काम किया गया और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि मुनासिब तरीके से इंतजाम हो, इसमें विधायक भी देखें, जिसको नौकरशाही कहते हैं वह भी देखे तो कोई वजह नहीं है कि तरक्की न हो । कृषि के संबंध में जो पिछले साल कीर्तिमान स्थापित किया गया है उसको मैं श्रीमन् के सामने बताना चाहता हूं । कृषि में कुछ अच्छे कदम उठाये गये उसका परिणाम यह रहा कि खरीफ में 54 लाख मी0 टन0 धान का उत्पादन हुआ । इसके पिछले वर्ष केवल 43 लाख मी0 टन का उत्पादन हुआ था । इसी प्रकार खरीफ का उत्पादन पिछले वर्ष 73.35 लाख मी0 टन था, इस वर्ष 75 लाख मी0 टन होगा । इन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि कृषि के संबंध में रुझान बढ़ रहा है । चाहे खाद के दाम कम करने के कारण हो या बिजली या पानी के मिलने के कारण हो, कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है । इस संबंध में निरन्तर प्रयास हो रहा है और उसका फायदा हम सबको मिल रहा है ।

हमारे प्रदेश की जो कैश क्राप है जिससे किसान को तुरन्त पैसा मिलता है वह है गन्ना । आलू भी ह, जैसा मेरे मित्र कह रहे हैं । तो गन्ने की फसल के बारे में जो इंतजाम हो उस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस प्रदेश में जब फसल कटाई का समय आ जाता है तो गन्ने का बेचना एक भार सा हो जाता है । गन्ने की कटाई के लिय मजदूर नहीं मिलते हैं । क्योंकि फसल की कटाई में उनको ज्यादा मुनाफा होता है इसलिये गन्ने को काटने के लिये वह तैयार नहीं होते हैं । इसलिये सरकार को चाहिये कि 31 मार्च तक प्रदेश में जितना गन्ना है उसकी पेराई हो जानी चाहिये । पेराई को पहले से शुरू करना चाहिये । सेंट्रल गवर्नमेन्ट और प्रदेश की गवर्नमेंट में जो बातचीत होती हैं उसमें देर हो जाने के कारण पेराई का सीजन देर से शुरू होता है । इससे काश्तकारों का नुकसान होता है । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पेराई देर से हो । यह मिल मालिक भी चाहता है । इसकी वजह यह है कि उनका परसेंटेज जो आता है वह ज्यादा आता है । तो सरकार की इस तरफ ध्यान देना चाहिये और गन्ने की पेराई का सीजन जल्दी शुरू किया जाय जिससे गन्ने की पेराई 31 मार्च तक खत्म हो जाय । दूसरा सुझाव यह है कि जो गन्ना कर्मचारी किसानों के लिए

पर्ची की व्यवस्था करते हैं उसमें बड़ी गड़बड़ी होती है । जिसके पास भूमि नहीं है, गन्ना बोया नहीं उसके नाम 75–100 गाड़ी का सट्टा किया जाता है । नक्शे में गांव नहीं है लेकिन उसका सट्टा करते हैं । इसमें कुछ चन्द लोग और असामाजिक तत्व छोटे किसानों को तंग करते हैं । जिन किसानों के पास 2–3 गाड़ी गन्ना है उनको यह लोग परेशान करते हैं । इसलिये कोई कर्मचारी या ग्राम सेवक फर्जी परताल करते हुए यदि पकड़ा जाय तो उसको बरखास्त करना चाहिये चूंकि वह फर्जी पड़ताल करते हैं ।

मान्यवर, शिक्षा के मामले में बड़ी प्रगति हुई है और जगह-जगह स्कूल खुल रहे हैं । इसमें मेरा एक सुझाव है कि कक्षा 5 तक जो अध्यापक स्कूलों में पढ़ाते हैं उन्हें उन्हीं स्कूलों में नहीं रहना चाहिये जो उनके गांव के पास हों, चूंकि उनको अच्छा वेतन मिल रहा है । जब तक यह अध्यापक लोग अपने गांव से 30 मील की दूरी पर नहीं रखे जायेंगे तबतक प्राथमिक शिक्षा में सुधार नहीं होगा । यह अध्यापक लोग यह करते हैं कि 12 बजे तक अपना काम करते हैं और फिर थके हुए स्कूल जाते हैं । वहां जाकर बच्चों से कह देते हैं कि पहाड़ा पढ़ो और किताब पढ़ो । वह अपना काम करते रहते हैं । अध्यापक उनको कुछ नहीं पढ़ाते हैं । इसलिये प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को 30 मील की दूरी पर रखना चाहिये तभी शिक्षा का अच्छा फायदा पहुंच सकता है ।

मान्यवर, यातायात के मामले में मैं कहना चाहता कि किसी प्रदेश की तरक्की यदि करनी है तो यातायात की प्रथम आवश्यकता है । हम जब तक दूर ग्रामों में नहीं पहुंच सकते हैं जब तक इस प्रदेश के गांवों को सम्पर्क मार्गों से न जोड़ दिया जाय । इसलिये ज्यादा से ज्यादा खर्चा हर गांव को जिसकी आबादी 1,500 है उसको सम्पर्क रोड से जोड़ा जाय । ऐसे कार्यक्रम चलायें जा रहे हैं तथा और उनको बढ़ाने की जरूरत है । जब वह गांव शहरों से जुड़ जायेंगे तभी तरक्की हो सकती है ।

मान्यवर, सुरक्षा के बारे में शोर ज्यादा मचाया जाता है कि सुरक्षा नहीं है । लेकिन मेरा सुझाव है कि हर जिले में पुलिस को मालूम है कि कौन असामाजिक तत्व हैं और कौन गुन्डे हैं, वह पहले मिनिस्टर द्वारा संरक्षण पाते थे लेकिन अब वह समाप्त होना चाहिये, उनको बाहर नहीं रहना चाहिये । उन पर सैकड़ों मुकदमें चलते हैं लेकिन फिर भी वह बाहर रहते हैं । इसलिये यदि सुरक्षा कायम रखना चाहते हैं तो पुलिस का काम है शातिर बदमाशों को, जिनके नाम उनको मालूम हैं जो बाजारों में गोलियां चलाते है उसको रोकने के लिये अन्दर रखना चाहये।

मान्यवर, उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं कि जैसे उद्योग सेंटर खोले जा रहे हैं, और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे जिले में कोई नहीं है, हर ब्लाक में दो सेंटर खोले जा रहे हैं, हर एक एम0एल0ए क्षेत्र में दो सेंटर खोले जा रहे हैं इससे पिछड़े इलाके को उन्नति करने का मौका मिलेगा । मान्यवर, हमारे बस्ती जिले में एक प्लास्टिक काम्प्लेक्स खुला लेकिन वह नाम में रह गया । उसमें कोई बढोत्तरी नहीं हुई। और सुनने में आता है कि शायद दूसरी जगह चला जाय । हम यह मांग करेंगे कि बस्ती बहुत पिछड़ा हुआ है और गरीब इलाका है । अगर यह कम्प्लेक्स यहां खोला तो उसकी बढोत्तरी की बात होनी चाहिये न कि उसको किसी दूसरी जगह ले जाने की ।मान्यवर, इस काम्प्लेक्स के लिये आस-पास की 75 एकड़ जमीन ली गयी थी और यह आश्वासन दिया गया था कि जिन परिवारों की जमीन ली गयी है उनको नौकरी में और ट्रेनिंग की सुविधा दी जायगी । जो एक दो यूनिट शुरू हो गये हैं उनमें यह व्यवस्था की जानी चाहिये । आरक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है । 30 साल से आरक्षण है । क्या गांव का घुरहू आगे बढ़ सका । वह नहीं बढ़ सका और वह जहां है वहीं है ।जो व्यक्ति पहले से आगे था उनको ही इस आरक्षण का फायदा पहुंचा और जो वाकई दबा और पिछड़ा हुआ था उसको फायदा नहीं मिला । दूसरे काका कालेलकर रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है तो उस समय परिस्थितियां दूसरी थीं । अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को हिन्दू और मुसलमान को लड़वाकर तबाह किया, दंगे

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह]

कराये, आज आवाज उठाई जाती है विभिन्न वर्गों की । तो यह जाति के आधार पर उचित नहीं है । हर जाति में पिछड़ा हुआ हो सकता है । अगर कोई कमजोर है तो उसके सिर पर हाथ रखें । अगर द्विज जाति का व्यक्ति है और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है तो उसके सिर पर भी हाथ रखें । अगर उसकी ओर ध्यान न दें तो यह मानवता के विरुद्ध है । इसलिये इसमें इतनी तरमीम होनी चाहिये कि जातिगत आधार न होकर जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, कमजोर है उसकी मदद होनी चाहिये।

श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मेरी दृष्टि में यह प्रगतिशील जट है और समग्र क्रांति की ओर दूसरा कदम है । पहला कदम पिछले साल के बजट मे उठाया गया था और अब यह दूसरा कदम है । इस बजट में चतुर्मुखी प्रगति का ध्यान रखा गया है खासतौर से उस क्षेत्र का जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं और जिसे महात्मा गांधी ने भारत की आत्मा कहा है । हमारे देश-प्रदेश में गांवों की संख्या अधिक है और इसमें गांव की ओर उन्मुख होने की बात है इसलिये इसको प्रगतिशील बजट ही कहा जायगा । जो काम 30 साल तक नजरन्दाज किया जाता रहा उसकी ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान गया है तो इस बजट को प्रगतिशील बजट ही कहा जायगा । श्यामधर जी ने कहा कि इसको मार्च में पास होना चाहिये । लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि उनके काल में किस तरह बजट पास होते रहे हैं । वह छोड़ कर भाग गये थे और हमने उसको अक्टूबर में पास कराया था । उन्होंने दूसरी बात यह कही कि प्रदेश में विधि का राज्य नहीं है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 20 महीनों में जब इमरजेंसी थी और मेरे जैसे हजारों व्यक्तियों को बिना मुकदमा दर्ज किये अन्दर बन्द कर दिया गया था तो क्या वह विधि का राज्य था । इस प्रकार पहले उन्हें स्वयं अपनी आत्मा की आलोचना करनी चाहिये। आपने कहा है कि यहां पर व्यक्तिवाद चलता है । लेकिन ऐसा नहीं है, मान्यवर । व्यक्ति वाद या एक व्यक्ति का राज्य तो पिछले 30 सालों में रहा, इमरजेंसी में रहा । लेकिन जहां सामुहिक रूप से निर्णय लिये जाते हैं, वहां व्यक्तिवाद कैसे ? इसी प्रकार से वेतन नीति के बारे में कहा गया । लेकिन यह जो पिछले 30 साल से नीति बनी है, उसके आधार पर प्रतिभा पलायन की बात है । तो इस नीति के कारण यह प्रतिभा पलायन की बात हो रही है जिसके बारे में विचार करना चाहिये ।

मान्यवर, इस बजट में खाद के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है, और उसमें 20 प्रतिशत रियायत दी गयी है । इसी तरह से बिजली की ओर ध्यान दिया गया है । उत्तर प्रदेश के देहातों में 6,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जा रही है । इसी तरह से सड़कों पर इतना खर्च किया जा रहा है जितना कि पिछले 30 सालों में किसी भी साल में खर्च नहीं किया गया। इस बजट में उससे भी कई गुना ज्यादा सड़कों के लिये रखा गया है। इसी तरह से जो पिछली कांग्रेस सरकार अधूरे पुल छोड़ गयी थी, उनको पूरा किया गया है । इसी तरह से अन्न के उत्पादन की तरफ भी इस सरकार का अभूतपूर्व ध्यान गया है । तो इस प्रकार देखें तो ये सभी चीजें हमारे सामने हो रही हैं ।

अब मैं, मान्यवर, अपने जिले सहारनपुर की समस्याओं के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे सहारनपुर में वान गंगा है । वह बरसात में 5/6 महीने चढ़ी रहती है । उसके उस पार लगभग 50 गांव बसते हैं और इस पार लगभग 200 गांव बसते हैं । इन 250 गावों का सम्पर्क लगभग 5/6 महीने छिन्न-भिन्न रहता है । वहां पर 5 लाख लोगों का जनजीवन प्रायः अस्त-व्यस्त रहता है । सारे यातायात के साधन

और वाहन इत्यादि सड़क के इस पार रहते हैं । अतः शासन से अनुरोध है कि वहां पर पुल बनाया जाय ताकि उन लोगों का जीवन ठीक से चल सके और इस तरह से जो 5/6 महीने परेशानी रहती है, वह न रहे ।

इसी तरह से, मान्यवर, मेरे जिले में एक सुभाषगढ़ क्षेत्र है । वहां पर 2 हजार एकड़ जमीन दलदल में है । सिर्फ एक ही फसल धान की होती है । बाकी 9 महीने जमीन खाली रहती है।

एक सदस्य—

लेकिन ये क्या कर सकेंगे यह सरकार ही दलदल में है ।

श्री राज कुमार शर्मा—

मान्यवर, इस सुभाषगढ़ क्षेत्र में 200 परिवार रहते हैं जो एक्स-सोल्जर्स हैं और पश्चिमी पंजाब से आये हुए हैं । ये लोग मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं और खर्च देने के लिये तैयार हैं कि वहां के दलदल को किसी तरह से दूर किया जाय । मेरा निवेदन है कि शासन वहां की इस समस्या को हल करने की कृपा करें ।

इसी तरह से, मान्यवर, एक पथरी-रुड़की मार्ग है मेरे जिले में जो पिछली कांग्रेस सरकार ने बनाया । उसकी मोटाई एक इंच रखी गयी थी । जुलाई की पिछली बरसात में वह सड़क उड़ गयी । इस तरह से इस रुड़की-पथरी मार्ग में 18 किलोमीटर में पूरी तरह से विध्वन्स हो गया । वहां वाहनों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है वे स्लो चलते हैं और यात्रियों को चलने में बहुत देर लगती है । पुराना मार्ग रुड़की-हरिद्वार एक साल से बन्द पड़ा है । बड़ी खेद की बात है कि उसमें एक फुटपाथ बनाना है और रेलिंग लगानी है लेकिन एक साल से न फुटपाथ कम्प्लीट हुयी और न रेलिंग कम्प्लीट हुयी पुल के दोनों ओर इस संदर्भ यह भी कहना है कि रुड़की-पथरी मार्ग जो टूटा पड़ा है, वहां पर 60 पैसे प्रति यात्री और 10 रुपये प्रति वाहन फीस लेते हैं । वैसे 10 रुपये प्रति वाहन है, लेकिन वे 60 पैसे फी आदमी वसूल कर रहे हैं । इसी कारण रुड़की के पास वैरियर पर दंगा हुआ । ट्रक और मोटर वालो ने चुंगी को तोड़ दिया और उसको वहां से हटा दिया । लेकिन वहां पर चुंगी बराबर ली जा रही है । शासन के अधिकारियों से और डी0 एम0 इत्यादि से कहा जाता है लेकिन वे ठीक जवाब नहीं दे पाते-न यह जवाब देते हैं कि चुंगी लेनी है और न यह जवाब दे पाते हैं कि चुंगी नहीं लेनी है । यह अव्यवस्था वहां हो रही है । रोज चुंगी पर झगड़े होते हैं । यात्री चुंगी देना नहीं चाहते । उनका तर्क यह है कि सड़क चूंकि बनी हुई नहीं है, टूटी है, हम रोड कर नहीं देंगे ।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र सहारनपुर में चकबन्दी की समस्या है । मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहूंगा कि मेरे शहर जहां में रहता हूं ज्वालापुर उसकी आबादी पचास हजार है लेकिन उसके आस-पास गांवों में डेढ़ लाख आबादी है। वहां पर कोई महिला अस्पताल नहीं है महिला कक्ष नहीं है जिससे प्रजनन का कार्य हो सके । हरिद्वार सात किलो मीटर है वहां पर है, लेकिन उस अस्पताल की हालत ठीक नहीं है । वहां पर रईश घरानों का इलाज बड़ी-बड़ी अच्छी तरह से होता है । हरिद्वार का अस्पताल यू0पी0 सरकार द्वारा संचालित होता है लेकिन गरीबों के इलाज की वहां पर उपेक्षा रहती है मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि ज्वालापुर में उन देहातों को देख देखते हुए एक महिला अस्पताल चाहे छोटे ही रूप में हो लेकिन महिला कक्ष हो, एक डाक्टरनी हो, कम्पाउन्डरनी हो, इस प्रकार छोटा ही स्टाफ हो, वहां पर खोलने की कृपा करें ।

[श्री राज कुमार शर्मा]

मैं शांति व्यवस्था के बारे में एक दो बात कहना चाहता हूं और उस के बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जेसा कहा वह सही नहीं है। ज्वालापुर में 26 जनवरी को मैं झंडा रोहण करने गया। डोरी पर हाथ रखा था कि यूथ कांग्रेस के बारह गुंडों ने जो इंदिरा गांधी की जय बोल रहे थे मुझे खींच कर नीचे गिरा दिया। मेरे साथी जो बचाने आये उन को भी मारा पीटा। दो पुलिस के सिपाही एक सब-इन्सपेक्टर जितेंद्र भी वहां पर थे। कांग्रेसियों के साथ मिले हुए होने के कारण और पुरानी दोस्ती के कारण उन्होंने मुझे नहीं बचाया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। ध्वज को पूजने के लिए जो सामान रखा था वह उन्होंने गिरा दिया। हमारे अशोक चक्र के ध्वज को उन्होंने गिरा दिया। मुझे वह दिन याद आता है कि 1948 का जब महात्मा गांधी के जय-जयकार के साथ महाराष्ट्र में घर जलाये जा रहे थे। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था और महात्मा गांधी की जय बोली जा रही थी। उसी प्रकार 1978 में 26 जनवरी को इंदिरा गांधी की जय-जयकार के साथ गुंडे आगे बढ़ रहे थे और मुझ पर हमला कर रहे थे, मुझे पीट रहे थे मुझे झंडा रोहण नहीं करने दिया गया। इस प्रकार शांति व्यवस्था खराब है। यूथ कांग्रेस के लोग पुलिस की दलाली कर रहे हैं। वे दंगे कर रहे हैं क्योंकि उनकी वह दलाली टूट रही है। जनता पार्टी के वर्कर भी जहां-तहां दंगा कर रहे हैं।

मैं सरकार का ध्यान बेसिक शिक्षकों की ओर भी दिलाने का प्रयास करूंगा। जो स्कूल टूटे पड़े हैं, जहां पर छत नहीं है छत टपकती है, उन स्कूलों की ओर भी ध्यान दें। बेसिक शिक्षा में जो सौतिया व्यवहार चल रहा है उसे खत्म करें। कुछ काम बेसिक शिक्षा परिषद् करेगा कुछ काम नगरपालिका करेगी। इस प्रकार का सौतिया व्यवहार खत्म करने के लिए या तो सारी बेसिक शिक्षा प्रणाली पुन: नगरपालिका को सौंप दी जाय या सारी की सारी पद्धति बेसिक शिक्षा परिषद् के हाथों में दे दी जाय। इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यबाद देती हूं . . .।

श्री अधिष्ठाता--

समय का ध्यान रखियेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस बात का भी ध्यान रखें कि हम महिलाओं के लिए पचास परसेंट समय दिया जाय यदि उतना भी नहीं दिया जाता है तो कम से कम पच्चीस परसेंट दो तो दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

सभी के लिये दस-दस मिनट हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो यह बजट पेश किया गया है मैं उसका विरोध करते हुए कुछ कहना चाहूंगी। एक तो यह जो पैसा खर्च किया जाता है और योजनायें बनायी जाती हैं उनकी सफलता की आधारशिला यह नहीं हैं, हमने कितना पैसा बजट में रखा पचास करोड़ रखा, सौ करोड़ रखा या हजार करोड़ रखा। रुपये से उस योजना की सक्सेस को हम नहीं आंक सकते। मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बात यह है कि उस योजना के पीछे उसकी आधार शिला जो है वह प्रगतिशील है या नहीं और उस पैसे का सदुपयोग होगा और उससे देश का कल्याण होगा या नहीं ? अगर आधार शिला प्रगतिशील नहीं है तो चाहे कितना ही पैसा खर्च क्यों न किया जाय वह पैसा बेकार जायगा और देश का उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

मिसाल के लिये शिक्षा के क्षेत्र को ही ले लीजिये 7 करोड़ रुपये का प्राविजन बजट में किया गया है जब कि पिछले वर्ष 7 करोड़ 83 लाख रुपया रखा गया था और उसमें भी 1 करोड़ 30 लाख खर्च नहीं हुआ था, वह सरेन्डर हो गया था । इस साल कम करके उसे केवल 7 करोड़ ही रखा गया है । मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगी कि शिक्षा के लिये जो रुपया रखा गया है उससे हमारी शिक्षा की प्रगति होगी या नहीं, रुपये का सदुपयोग होगा या नहीं । शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अशांति है और बेचैनी है । बड़ी अव्यवस्था है । छात्रों, अध्यापकों तथा क्लर्क्स को ले लीजिये आये दिन उनके द्वारा आन्दोलन किये जा रहे हैं । उनकी जायज मांगों को सुलझाने के बजाय उन पर लाठी का प्रहार होता है, गोली चलाई जाती है और जो छात्र मारे जाते हैं क्या वे हमारे बच्चे नहीं होते ? क्या हमारे ऊपर उनकी जिम्मेदारी नहीं है ? छात्रों पर चाहे कितना ही रुपया खर्च किया जाय उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि आप देखलें आज लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है । परीक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता । पता नहीं जुलाई में होगी या अगस्त में । उनकी एक-एक डिमांड यह हो रही है कि क्योंकि कोर्सेज पूरे नहीं हुए हैं इसलिये एक सत्र समाप्त कर दिया जाय जिससे इन छात्रों का एक साल बरबाद होगा । उनकी जिन्दगी बरबाद होगी, उनके माता-पिता की आशायें समाप्त होंगी ।

माध्यमिक शिक्षकों की यह मांग है कि उनकी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । क्या यह जायज डिमांड नहीं है ? जब तक प्राइवेट मैनेजमेंट शिक्षा के क्षेत्र में है तब तक हम शिक्षा में कोई सुधार नहीं कर सकते और न देश में शिक्षा में प्रगति ही कर सकते हैं क्योंकि यह प्राइवेट मैनेजमेंट भ्रष्टाचार का जनक है ।

मैं स्वयं एक शिक्षा के केंद्र से संबंधित हूं । मैं जानती हूं जो पैसा शिक्षा पर खर्च होता है वह लड़कियों की फीस से आता है या सरकार द्वारा दी गई अनुदान से आता है लेकिन बीच में फायदा उठाता है मैनेजमेंट । स्कूलों का चपरासी मैनेजमेंट के घर काम करता है, स्कूल की तरफ से टेलीफोन की उसको सुविधा है और दोनो पक्ष के माननीय सदस्य यह बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैनेजमेंट खर्च के झूठे वाउचर लगा कर उस रुपये को अपनी जेब में डालता है चाहे वह खर्चा भवन निर्माण के रूप में हो या फर्नीचर, बिजली आदि के रिपेयर्स के रूप में अथवा साइंस का सामान खरीदने के रूप में । लेकिन पैसा खर्च नहीं हुआ । मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि माध्यम शिक्षा ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में आपने क्या सोचा है ? इसके बारे में आपने कहीं जिक्र नहीं किया है । कहा जाता है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा तो पैसा खर्च करना होगा । किस बात का ? जितना पैसा शिक्षा के लिये है वह बच्चों का है या सरकार का है? मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और जो प्राइवेट मैनेजमेंट है जो एक प्रकार का पूंजीवाद है वह तुरन्त समाप्त होना चाहिये । जब तक यह नहीं होगा तब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में बिलकुल प्रगति नहीं कर सकेंगे चाहे आप 7 करोड़ का बजट रखें या 100 करोड़ का रखें । आज शिक्षा म असमानता है । जो योरोपियन स्कूल हैं उनकी परिपाटी अलग है । जो बेसिक स्कूल्स हैं, मोंटेसरी स्कूल्स हैं, प्रायमरी स्कूल्स हैं और ये जितने भी हैं उन सभी का अलग-अलग स्टैंडर्ड है और अलग-अलग फीसें हैं । क्या इससे देश में समाजवाद आ सकता है ? क्या देश की गरीबी दूर हो सकती है ? क्या गरीब और अमीर के बच्चे में सौहार्दपूर्ण भावना पैदा हो सकती है । एक ग्रामीण किसान के बच्चे में

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

और एक उच्च अधिकारी के बच्चे में क्या इमोशनल इन्टेग्रेसन हो सकता है । आप भाषणों मे लाखों करोड़ों रुपया क्यों न खर्च कर दें ,जुल्म रहेंगे, उन्हें हटा नहीं सकते । जो हमारे अधिकारी हैं वे ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपके दो मिनट और हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं सुझाव देना चाहती हूं कि शिक्षा में समानता होनी चाहिये । शिक्षकों की पेंशन के बारे में इस बजट भाषण में कुछ नहीं लिखा गया है । जो पेंशन दी जाती है, वह बिलकुल नगण्य है उसे बढ़ाना चाहिये । चाहे वे डिग्री कालेज के टीचर्स हों या माध्यमिक शिक्षक हों या प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हों, उनकी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिये और उसमें सुधार होना चाहिये ताकि वे बुढ़ापे में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट के बारे में एक बात कहना चाहती हूं कि इंडस्ट्री में चाहे कितना ही रुपया आप क्यों न खर्च कर दें जब तक आप श्रमिकों की समस्याओं को हल नहीं करेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त नहीं करेंगे, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है । जब तक आप मिल्स का राष्ट्रीयकरण नहीं करते, जब तक आप टैक्सटाइल मिलों को जिस पर हमारा चुनाव निर्भर है, राष्ट्रीयकरण नहीं करते तब तक न तो आप श्रमिकों की हालत सुधार सकते हैं और न ही उपभोक्ताओं की मदद कर सकते हैं तथा न ही इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से आपको कोई फायदा होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आपकी सरकार ने राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं सम्मानित सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि मैं तो उस वक्त भी लड़ती रही और अब भी लड़ूंगी । अब तो एक वर्ष आप लोगों को यहां पर हो गया, आप ही करामात कीजिये, कुछ चमत्कार दिखाइये आपने तो बड़े-बड़े वायदे किये हैं । आपने कहा था कि बेरोजगारी दूर करेंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे । इस बारे में आपने बजट में क्या प्राविधान किया है ? कहां आपने व्यवस्था की है । सड़कों के बारे में कहना चाहती हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

एक मिनट में समाप्त करती हूं।

श्री अधिष्ठाता—

एक नहीं, दो मिनट ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप कहते हैं कि गांवों की ओर चलिये । कब पहुंचेंगे, इसके लिये कोई निर्धारित समय नहीं है, चलते चलेंगे चलते जायेंगे और चलते रहेंगे।

गांवों की आप बात करते हैं कि हम उनकी तरक्की करेंगे । लेकिन जो गांवों की जिला परिषदें हैं और शहरों में जो नगरमहापालिकायें है उनका आपने बंटाधार कर दिया । जिला परिषदें समाप्त कर दीं । जिस एजेन्सी से डेवलपमेंट का काम होता है उस संस्था को समाप्त करके आप क्या आफिसरों को सिर पर लाद कर काम करायेंगे । जब जिला परिषदें समाप्त हुईं तो नई जिला परिषदों का चुनाव होना चाहिये था । (व्यवधान)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय)—

करनाल में चुनाव हो गया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रही हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें ।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमती बख्शी, श्री श्यामधर मिश्र के पीछे खड़ी होकर बोल रही हैं क्या वह उनके ग्रुप में आ गई हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हम तो इमोशनल इंटीग्रेशन में विश्वास करती हूं ।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । एक औरत के बाद औरत को बोलने का मौका दिया । अभी हमारी बहिन बख्शी दीदी ने अपने अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बात सदन में रखी कि यह सरकार बजट में ज्यादा रुपया खर्च कर रही है लेकिन उसके कुछ माने नहीं हैं और न उससे गरीबों का हित होने वाला है । मैं दीदी को जवाब तो नहीं देना चाहती हूं । मैं दीदी के साथ रही हूं, मेरा भी तजुर्बा है इसलिये मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने 1974 के बाद से मैं उससे पहले से सदन की सदस्या रही हूं, आश्वासन दिये कि हम हरिजनों के लिये इस तरह के काम कर रहे और भारी रकम उसमें खर्च करेंगे । उसने हरिजनों के लिये एक योजना बनाई थी कि हम 2 अक्तूबर और 15 अगस्त को ऐसी योजना कार्यान्वित करेंगे जिससे प्रदेश और देश के गरीब लोगों को, हरिजनों को यह अनुभव हो कि कांग्रेस सरकार हमारे लिये कितना बड़ा कदम उठा रही है । लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि उससे हरिजनों का कुछ भी लाभ नहीं हुआ । मिसाल के लिये दो अक्तूबर और 15 अगस्त के लिये एक योजना बनी थी कि इतने लाख रुपये हरिजनों के पेय जल के लिये खर्च किये जायेंगे ।

अधिष्ठाता महोदय, सरकारी रूप में तो वह भारी रकम खर्च की गई क्योंकि प्रश्न यह था कि वह दो अक्तूबर और 15 अगस्त को खर्च होना था जोकि हमारे राष्ट्रीय पर्व है । बरसात के दिनों में वह भारी रकम कुओं के खोदने में लगा दी । हरिजनों के नाम पर कुवें खोदने और उनकी मरम्मत में खर्च कर दिये । बरसात की वजह से उन कुओं में दो-चार फिट पानी रहा । अधिष्ठाता महोदय, मैं उस समय भूमि व्यवस्था कमेटी में सदस्या थी स्वयं मैंने देखा और इस समिति के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी देखा । जगह-जगह पर रस्सी में ईंट बांध कर कुवें में डाल कर देखा गया और देखने पर पता चला कि मुश्किल से एक हाथ पानी है यह हाल सावन के महीने में था । इस पर कमेटी ने चिंता भी व्यक्त की । तो इस तरह से हरिजनों के नाम पर करोड़ों रुपया पानी में बहाया गया यह इस बात का जीता-जागता उदाहरण है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती रामरति देवी]

जहां हमारी दीदी ने यह आश्वासन दिया कि ज्यादा रुपया देने से कुछ काम नहीं होता है, दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं दीदी के सामने कि जब यह अधिकांश रुपया सड़कों के नाम पर खर्च होता था पिछली सरकार ने खर्च किया,लेकिन जहां एक लाख रुपया खर्च हो रहा है और एक मील लम्बी सड़क बननी चाहिये, वह अधूरी की अधूरी रह गई, कंकरीट तक नही पड़ती है। लेकिन अब यह सब जगह हो रहा है, आपके जिले में हो रहा है। स्वयं हम लोगों के जिले में 3—3 किलोमीटर सड़कें, जो बहुत खराब हालत में थी, जिन पर रिक्शा चलना मश्किल और काफी कठिनाई से बैलगाड़ी उन पर चलती थी, उन पर अब मिट्टी पड़ गई है, कंकरीट पड़ गई है और वे चलने योग्य और आवागमन के लायक हो गई हैं। हमने थोड़े पैसे में बहुत काम कर दिखाया है। (व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में मैं समझता हूं कि नियम एक ही चलेगा। जितनी महिला सदस्या हैं, वे अपने टेबुल पर एक चमड़े का बैग रखे हुये हैं, तो यह सुविधा क्या केवल महिला सदस्याओं को ही प्राप्त है या सभी को है।

श्रीमती स्वरूपकुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह इनको प्रेजेन्ट कर दिया जायगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकट (जिला इटावा)—

हमारे साथी शतरुद्ध प्रकाश जी की एक बड़ी आकांक्षा है कि महिला सदस्याओं को बड़ी फैसिलिटीज हैं, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकेगी इस सदन या सरकार के माध्यम से कि उस स्तर पर या उस श्रेणी में शतरुद्ध जी भी पहुंच जायें।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने आपके मनोरंजन के लिये ही यह कहा है, आप उसको सिरियसली न लें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

जैसी उन्होंने—नान सीरियस बात कही है, वैसे मैं भी कह रहा हूं।

श्रीमती रामरति देवी—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमारी जनता सरकार ने एक अच्छा कदम और उठाया है जो पिछड़ी जातियों के लिये विशेष रूप से आरणक्ष की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि अब तक जो एक व्यवस्था पिछड़ी जातियों के लिये थी, वह केवल छात्रवृत्तियों में थी, अन्य आरक्षण की नौकरियों में कोई व्यवस्था नहीं थी और उन आधारों पर मैं यह कहना चाहूंगी कि जो कुछ सुविधा दी गई थी छात्रवृत्तियों की उनमें एक दोष बराबर हम लोगों ने अपने अनुभव में देखा कि पिछड़ी जातियों में वह जातियां जो आर्थिक और शैक्षिक दृष्टियों से हर तरह से सम्पन्न थी, उनके हिस्से में यह सुविधा नहीं जानी चाहिये थी, लेकिन लौट फेरकर यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिली जो हर तरह से सम्पन्न थे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब आज आरक्षण के लिये यह व्यवस्था हो गई है तो जो पिछली सरकार द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा जो असुविधायें हुई हैं, अब इस पर विशेष ध्यान दिया जाय कि यह गल्तियां भविष्य में दोहराई न जांय। पिछड़ी जातियों में कुछ जातियां-जैसे निषाद या केवट जाति है, उसकी हालत को देखा जाय तो पढ़ने-लिखने की बात तो दूर है, रोटी-रोजी की समस्या है, दूर झोपड़ी में किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं।

उनके बच्चे किस तरह से चिथड़े लटकाये हुये हैं। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हरिजनों की हालत इनसे अच्छी है, इनकी हालत बहुत दयनीय है, अब जो एक आयोग बनाया गया है उसके संदर्भ में कहना चाहती हूं कि जो प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे उनमें इन जातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यह मेरा निवेदन विशेष रूप से उन जातियों को लिये है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने कृषि के ऊपर जो ध्यान दिया है इसमें मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे ही क्षेत्र के अन्दर, बल्कि प्रदेश के कोने-कोने से गांवों में पूरा-पूरा विश्वास हो रहा है कि यह सरकार उनकी सुविधा के लिये, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठा रही है, जब कि पिछली सरकार ने किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर एक किसान मजदूर वाहिनी नाम की संस्था कायम किया था, बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े नेताओं के माध्यम से इस संस्था के जिम्मेदार व्यक्तियों के माध्यम से जन सभायें होती थीं। केवल बड़े पैमाने पर सभा सोसाइटियां की जाती थीं लेकिन जो लाभ उनका मिलना चाहिये था न लाभ की योजना बनती थी और न कोई सुविधा दी गयी।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

श्रीमती रामरति देवी—

एक मिनट के लिये। इस तरह से हमारी सरकार द्वारा जो यह कदम उठाया गया है आज किसानों के मुंह से सुना जाता है, बराबर यह चर्चायें हर जगह उठती हैं कि इस सरकार ने बिजली की सुविधा देकर, खाद और पानी की सुविधा देकर हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो कदम उठाया है, अब तक जो सरकार रही, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया यहां तक मैं कहूंगी कि अभी सरकार ने कुछ जो पानी इकट्ठा हो जाता था, तालाबों में बहने का कोई इंतजाम नहीं था, सरकार द्वारा जगह-जगह पर पानी की निकासी के लिये नालियां खुदाई हैं, जगह-जगह कहते हैं कि अब तक तालाबों में पानी भरा रहता था, जो खेत डूब जाते थे वह भी उभर रहे हैं और छूटी छाटी जमीन गांव सभाओं की परिधि में निकलेगी, उस पर भी कृषि करने का मौका मिलेगा। इन शब्दों के साथ जो प्रस्तुत बजट है उसका समर्थन करती हूं।

श्री भगवती चरण 'निर्मोही' (जिला गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृतज्ञ हूं, जो आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। म वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर बजट पेश किया है और उस बजट को देखने से हमें एक आशा बंधती है, लेकिन श्रीमन्, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता। मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं कि जो कोरा आश्वासन देता है, उसको अज्ञानी कहा जाता है, और जो योजना बनाता है उसको ज्ञानी कहा जाता है और जो उस योजना को सफल करता है, वह विज्ञानी कहा जाता है। मुझे आशा है कि हमारी यह सरकार विज्ञानी सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले दिनों का कुछ ऐसा अनुभव है कि जो चीजें बजट में आयीं, कुछ सड़कें आयीं, कुछ पुल आये, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं किये गये और वह आगे चल कर बजट में भी नहीं आते। जैसे एक मोटर मार्ग पौड़ी और देव प्रयाग है, वह अन्तर्प्रांतीय माग है, वह ऋषिकेष मोटर मार्ग से मिलता है। उस पर अलकनन्दा में पुल स्वीकृत था पिछले बजट में, अब पता नहीं। फिर कभी आयेगा कि नहीं। यह मैं पिछली बातों को कह रहा हैं।

टाउन प्लानिंग की बात थी कि कई जगह कर दिया जाय। सतपुली एक जगह है मैं चाहता हूं कि उसे टाउन एरिया बनाया जाय तो वहां क लोगों को कुछ सुविधा मिले। तो लक्ष्य की पूर्ति की ओर हम जा रहे है और हमारा जो यह बजट है वह लक्ष्य की पूर्ति करे। चलो चलें

[श्री भगवती चरण निर्मोही]

गांव की ओर, यह कवियों की कविता थी और यह गांधी जी की इच्छा थी कि गांव की ओर चलो और उसी ओर हमारा कदम बढ़ रहा है। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो योजनायें रखी जाती हैं लेकिन जब तक शासन को पूरा झकझोरा नहीं जायेगा वह सफल नहीं हो पावेगी। एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव की ओर हम चल रहे हैं लेकिन गांव की जो संस्कृति है जो गांव की कला है वह लुप्त प्राय: हो रही है मैंने इस सदन में कहा था कि जिस प्रकार से पुरातत्व विभाग हमारी प्राचीन संस्कृति और कला कृतियों की रक्षा करता है और जिस पर हजारों रुपया खर्च होता है उसी तरह जो गांव की संस्कृति है कला है उसके लिये हमारे बजट में अधिक से अधिक प्राविधान होना चाहिये।

मैं अपने जिले की एक बात कहना चाहता हूं कि वहां का जो इतिहास और जो वहां की संस्कृति है वह वहां के लोक गीतों में सुरक्षित है और जो पुराने गायक हैं वह समाप्त प्राय होते जा रहे हैं जब माननीय नारायण दत्त तिवारी सरकार थी और जब कोटद्वार में केबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने यह कहा था और उन्होंने स्वीकार भी किया था और उन्होंने सूचना विभाग को कहा भी था कि प्रत्येक जिले में ऐसी समितियां बनायी जावें जो लोक गीतों का चयन करें और वहां की संस्कृति पर जो संग्रह लेख हों उनको सरकार प्रकाशित करावे और इस कार्य के लिये कुछ धन भी खर्च किया जाय। पता नहीं वह योजना कहां गयी। मेरा निवेदन है कि आप गांव की संस्कृति की ओर ध्यान दें, केवल भौतिकवादी रहकर हम जीवित नहीं रह सकते हमारे दिमाग का संतुलन खराब होगा अगर हम पुरानी थाती की रक्षा नहीं करते हैं। मैं सरकार की तारीफ करता हूं जो गहूं की योजना चलाई है। यह योजना बड़ी सुन्दर योजना है। लोग उससे प्रसन्न है और वह गरीबों के लिये बहुत बड़ी सहायता है। यह योजना विकास क्षेत्रों को दी गयी है वह किस तरह से कार्य करते हैं इसकी देखरेख की सख्त जरूरत है। सरकार ने दो-दो लाख रुपया प्रत्येक विकास क्षेत्र को दिया है और भी देने की कोशिश कर रही है। तो गांव की ओर बजट चल रहा है। गांव की ओर सरकार का ध्यान जा रहा है, हमारी शिक्षा संस्थायें गांवों में खुल रही हैं, इन्टरमीडियेट कालेज खुल रहें हैं और डिग्री कालेज खुल रहे हैं, लेकिन वहां के भवनों की हालत बुरी हो गयी है। पिछले वर्ष कुछ हाई स्कूल खुले थे। उनमें अध्यापक भी चले गये लेकिन उनको बैठने के लिए कहीं स्थान नहीं है। तो जितने भी स्कूल खोले जाये तो जरूर खुलें लेकिन साथ ही साथ बजट में यह भी देखा जाय कि स्कूलों के खोलने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि उनके लिए सामग्री भी पूरी हो। जहां पर साइंस पढ़ाई जाती है वहां पर विज्ञान के लिए सामग्री नहीं होती है जिससे वहां के विद्यार्थियों को विज्ञान का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है और आगे चल कर जब वे किसी कम्पटीशन में बैठते हैं तो वे वहां जाकर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि उनको इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

हम अब केवल मात्र 30 वर्ष 30 वर्ष न चिल्लायें क्योंकि इस प्रकार से चिल्लाने का कोई लाभ नहीं होगा। हम तो अब यह देखें कि हमने क्या किया है, हम क्या करने जा रहे हैं और भविष्य में क्या करके दिखलायेंगे। आज हमारे इस प्रकार की बातों से दिमाग भर चुके हैं, हम किसी को इतना ज्यादा दोष न दें बल्कि यह दिखायें कि हमने ये-ये चमत्कार किए हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं। अब मैं एक शेर अर्ज करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

शिकवा करते हैं जुबां में न गिला करते हैं,
तुम सलामत रहो हम तो ये दुआ करते हैं,
तुम अगर हाथ उठाकर क भी कोसो हमको,
देखने वाले ये समझेंगे कि दुआ करते हैं।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे वित्त मंत्री भी, जिन्होंने ग्रामों के विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया है, स्वागत योग्य है। आज जनता शासन ने ग्रामों के विकास के लिए, जिसकी उपेक्षा पिछले 30 वर्षों से होती रही है, योजनायें बनाई हैं। आज जो पिछले 30 साल से बल्कि अंग्रेजों के शासन काल से जिन नगरों का विकास हुआ था उनका ह्रास होता जा रहा है। इस समय सदन में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री भी मौजूद हैं। जितनी भी नगर पालिकायें या नगर महापालिकायें हैं, उनमें टैक्स तो समाप्त कर दिया लेकिन नगरों में जो सड़कों की दशा है, पीने के पानी की दशा है, स्कूलों की व्यवस्था है वह दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। मैं अपने जिले में मसूरी नगर की ओर, जो कि सारे देश का पर्यटक केन्द्र है, आकर्षित करना चाहता हूं। मसूरी में जाने के बाद यह पायेंगे कि उसकी छोटे से छोटे गांव से भी बद्तर हालत है, उससे भी गिरी हुई है। इसी प्रकार से देहरादून, जहां से मैं चुन कर आया हूं और जो मसूरी जाते हैं वहीं से होकर जाते हैं, वहां पीने के पानी एवं सड़कों की जो दशा है वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जहां हमारी गांवों के विकास की योजनायें है, वहां पर हमारे जो विकसित नगर हैं, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और जहां पर टैक्स समाप्त कर दिया गया है वहां पर अनुदान देकर उनकी हालत को सुधारा जाय।

अब मैं प्रदेश में शांति व्यवस्था की ओर भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश में जो इस समय शांति व्यवस्था की दशा है वह भी गिरती जा रही है और उसका कारण यह है कि बजट के अन्दर शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस विभाग के लिए बहुत कम धनराशि नजर आती है। जिस औसत से हमारी जन-संख्या बढ़ रही है, असामाजिक तत्व उभर रहे हैं गरीबी और अमीरी में अन्तर हुआ है, पुलिस को साधन देने के लिए, पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए, पुलिस की चौकियों को बढ़ाने के लिए, उनकी आधुनिक शिक्षा देने के लिए मैं समझता हूं कि बजट में बहुत कम धनराशि रखी गयी है। मैं जानता हूं, मेरे नगर के अन्दर आज भी हर दूसरे रोज एक कत्ल होता जा रहा है। आज मुझे खबर मिली है, कि इस कत्ल के पीछे तीस साल के पुरान शासने के लोगों का हाथ है, जो इस समय शासन में नहीं है। पुराने उस कांग्रेस शासन के जो बड़े-बड़े नेता थे, आज उनकी प्रेरणा से दूसरे दिन मेरे जिले में कत्ल हो रहा है। उसमें पुलिस का भी कुछ सीमा तक हाथ है। देहरादून में, जहां पर बहुत शांति-व्यवस्था रहती थी, आज उस देहरादून का जन जीवन खतरे में है। देहरादून का नागरिक आज दिन-रात खतरे में है। मैं शासन से मांग करता हूं कि पुलिस व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनायें रखने की आधुनिक ढंग से सुरक्षा होने की आवश्यकता है। आज जो ग्राम्य विकास की योजना बनी है, आज जो समाजवाद का नारा दिया जाता है, आज जो विषमता बनी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। आज विश्वविद्यालयों, कालेजों के अन्दर लिखा गया है "विद्यया अमृतमस्नुते" विद्या के द्वारा अमृत का मान होता है। लेकिन आज हमारा सरस्वती शिशु मंदिर विद्या के केन्द्र है। ये यूनिवर्सिटी आज हमारे असामाजिक तत्वों का केन्द्र बन गयी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए जनता शासन को चाहिए कि पिछले 30 साल के शासन ने जो कुछ किया है, उसमें परिवर्तन हो। कांग्रेस शासन ने समाजवाद के नारे की आड़ में आज पब्लिक स्कूलों का निर्माण किया। आज विधान सभा में यह मांग की जाती है कि आरक्षण होना चाहिए। विहार के अन्दर भी आरक्षण का नारा लगा रहे है। शिक्षा के अन्दर आरक्षण की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह यह है कि साधारण लोगों के बच्चे गरीबों के बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि आर्थिक स्तर के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आज यदि आरक्षण हो सकता है तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी आरक्षण हो सकता है। पब्लिक स्कूलों में ऐडमिशन आज उन बड़े-बड़े लोगों के बच्चों का होता है, जो शासन में बड़ी-बड़ी नौकरियों में हैं। यहां पर जो गार्ड हैं, चपरासी हैं, मेरे यहां का किसान है, जो क्लर्क है, इन सब के बच्चे जिला परिषद के

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री]

स्कूलों में पढ़ते हैं। इसी कारण से इन सब के बच्चे गार्ड, चपरासी और क्लर्क ही बनते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के द्वारा विषमता की दीवार जो खड़ी हो रही है, उस दीवार को खत्म करना होगा अन्यथा हमारे देश में अशांति और विषमता बढ़ेगी।

मैं अपने नगर की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे जिले में मेडिकल कालेज की बहुत दिनों से मांग हो रही है। मेरे यहां पर्वतीय क्षेत्र के 11 जिलों में कहीं पर भी मेडिकल कालेज नहीं है। मैं शासन को आश्वासन देता हूं कि शासन यदि वहां पर मेडिकल कालेज खोलता है, तो 1 करोड़ कैश और उसके लिए फ्री जमीन देने की लिए मैं तैयार हूं। आज सब से ज्यादा क्षय रोग (टीबी) पर्वतीय जिलों में परसेंटेज है। एक व्यक्ति जब बीमार होता है, जब पहाड़ से गिरता है, पेड़ से गिरता है या नदी में बह जाता है, तो उसको उपचार का कोई साधन नहीं मिल पाता है इसलिए देहरादून में मेंडिकल कालेज होना चाहिये। इसके बारे में योजना थी लेकिन वह स्थगित हो गयी। हमारी मांग है कि इन 11 जिलों के लिए, हमारे देहरादून में एक मेडिकल कालेज की स्वीकृति देने की कृपा करें। मैं जनता के द्वारा इसके लिए सहयोग देने के लिए तैयार हूं।

उद्योग की ओर मैं शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे ज्यादा पत्थर हमारे यहां पर होता है। हमारे यहां सीमेंट की योजना सबसे पहले बनी थी, लेकिन आज वहां से पत्थर बाहर जाता है और वहां के लोगों को सीमेंट बाहर से मंगाना पड़ता है। जिस स्थान पर कच्चा माल तैयार होता है, उस स्थान पर एक फैक्ट्री का होना जरूरी है। वहां पर पत्थर फैक्टरी चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। मैं शासन से मांग करूंगा कि वहां सीमेंट की फक्ट्री लगायी जाय। मैं निवेदन करूंगा 2–3 मिनट मुझे और दें। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में 15–20 साल के अन्दर फल पट्टियां बनी हैं। आपको आश्चर्य होगा कि गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून, चकराता, जौनसार भाभर में मसूरी के पास सेव पैदा होता है, वहां पर वह सेव मौसम में 6 आना और आठ आना वह सेव बिकता है। वहां पर मेरा सुझाव है कि छोटी-छोटी फैक्टरियां, जूस बनाने की लगायी गयी होतीं, अगर मुरब्बा बनाने की लगायी गयी होतीं तो फलोत्पादन के सही दाम भी लोगों को मिलते, अच्छी आर्थिक स्थिति होती और फलोत्पादन सही होता। लेकिन 40 पैसे और 35 पैसे, 50 पैसे किलो में बड़े-बड़े पूंजीपति सेव को खरीदते हैं और उत्पादक को पैसा नहीं मिलता है। उसका फायदा पूंजीपति उठा रहे हैं। इसलिए कच्चा माल.....

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)––

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैं करीब 15–20 मिनट से देख रहा हूं, आपके और माननीय सदस्य जो वक्ता हैं उनके बीच में लोग क्रास करते हैं। क्या यह उचित है? इस प्रकार हो सकता है?

श्री अधिष्ठाता––

नहीं, उचित नहीं है। मैं ध्यान नहीं दे सका। मैं इसको मानता हूं।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री––

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, पर्यटन विकास के ऊपर गढ़वाल विकास निगम और कुमायूं विकास निगम।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त।

श्री देवन्द्र दत्त शास्त्री––

एक बात की ओर आज्ञा चाहूंगा ध्यान दिलाने की। पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिये पर्वतीय विकास भत्ता तय किया गया है। श्रीनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी पिछले 20 दिन से

भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्योंकि अन्य सभी को वह भत्ता दिया गया है, विभागों को पर्वतीय विकास भत्ता वहां के लोगों को नहीं दिया गया है इसलिये उनके साथ अन्याय न किया जाय और उनके लिए पर्वतीय विकास भत्ता स्वीकार किया जाय। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपने जो बजट पर बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, कई दिनों से चर्चा सामन आ रही है पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को लेकर। अभी मिश्रा जी ने आज ही कहा कि श्री चन्द्रशेखर का कोई बयान है उस पर पुनर्विचार होना चाहिये। अखबारों में रोजाना जैसे ही पढ़ते हैं तो बिहार की घटनाएं दिखाई देती हैं कि आग लगा रहे हैं आरक्षण की मांग का विरोध लेकर। यह अत्यन्त दु:खद घटना हैं इस देश के लिए जिसके बारे में जितना सोच लिया जाय, धीरज से उसके ऊपर जितना विचार किया जाय उतना ही थोड़ा है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदन के सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार करें। माननीय पार्टी के लोग गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जनता के लोग भी विचार करें। माननीय डाक्टर लोहिया साहब ने यह सिद्धान्त 'विशेष अवसर' का उन जातियों के लिए उठाया तथा जिनका सामाजिक और शैक्षिक स्तर इस देश में बहुत शोचनीय और हेय दशा में डाल दिया गया है। उस विषमता को दूर करने के लिये उन्होंने संघर्ष का नाद जगाया और बड़े पैमाने पर संघर्ष हुए, विशेष अवसर के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ और इस आधार पर माननीय काका कालेलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। उसने रिपोर्ट दी और आज इस दिशा के विरोध में बड़ा खराब माहौल खड़ा हो रहा है। मैं बड़े आदर के साथ लोगों से जानना चाहता हूं कि जो समिति बनी उसके बाद विगत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ा आयोग बनाया। अगर यह मध्यान्तर चलता रहा तो इन आयोगों के गठन करने की सलाह किसने दी? और जब उनकी रिपोर्ट आ गयी तो उन पर विचार अब तक क्यों नहीं हुआ?

पिछड़े वर्ग को जो आज आरक्षण दिया जा रहा है। उसके विरुद्ध आज वायुमंडल तैयार किया जा रहा है उसके विरुद्ध आज आवाज उठायी जा रही हैं, मगर कुछ मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थ के लिये ही ऐसा कर रहे हैं वे लोग इन पिछड़े वर्ग के लोगों को सदा अपने पैरों के नीचे दबाये रखना चाहते है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अब यह समाज इसको कतई बरदाश्त नहीं करेगा। मैं डाक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायियों से पूछना चाहता हूं कि आज उनमें इस वर्ग के लिये हेय भावना कैसे पैदा हो गयी है? उनके प्रश्न को लेकर पहले तो वे जेलों में गये है, उनके सदा ही समर्थक रहे है, आज क्या हो गया है? आज क्यों उनके खिलाफ वायुमंडल पैदा करने में लगे हुए है? आज वे लोग आर्थिक आधार पर क्यों उनका विघटन करने में लगे है? श्री जगजीवन राम जी जो शीर्षस्थ नेता है, उनके द्वारा एक नेता की मूर्ति केवल छू लेने से ही उसको गंगा जल से धोया गया, मैं पूछना चाहता हूं उसका क्या आधार है? केवल एक ही आधार हो सकता है सामाजिक आधार। कुछ लोग नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग के लोग भी समाज में बराबरी के स्तर पर आ सकें। इस विषमता के नाते ही उस मूर्ति को गंगा जल से धोया गया। आखिर यह क्या सिद्ध करता है? आर्थिक विषमता का पैमाना क्या है? क्या इसी तरह से आप सामाजिक और शैक्षिक स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं। देश और प्रदेश के इस स्तर को ऊंचा करने के लिये यह आवश्यक है कि आप इस पिछड़े वर्ग को पहले ऊंचा उठायें समाज के अन्य अंगों के बराबरी के स्तर पर उनको लायें।

आज हमारे देश में जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर्स हैं वे अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार की अच्छी शिक्षा दिलाकर अच्छी नौकरियों में रखवाने का प्रयत्न

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

करते हैं। आज जो लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक प्रभुत्व अपना ही केवल बनाये रखना चाहते हैं वे ही लोग इसका विरोध करने में लगे हुये हैं कि ये लोग बराबरी के स्तर पर न आ सकें। इस प्रश्न पर सरकार को बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा। आज लोग जब इस पर बहस करते हैं कि हमारा जिला पिछड़ा हुआ है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो आखिर उस पिछड़ेपन का पैमाना क्या है? वह पिछड़ापन तभी तो दूर होगा जबकि ये पिछड़े वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आज जिन जातियों में कोई नेता ही आज तक पैदा नहीं हुआ, जिनकी आबादी केवल 2–3 प्रतिशत ही हैं, आखिर जब तक उनको बराबरी के स्तर पर नहीं लाया जायेगा तब तक आपका यह पिछड़ापन कैसे दूर होगा? मैं वह कहना चाहता हूं कि आज इनके खिलाफ जो वायुमंडल तैयार किया जा रहा है उस पर माननीय सदस्यों को गम्भीरता के साथ विचार करना पड़ेगा।

मान्यवर, इस बजट में बहुत सी बातें हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं खेती को लेता हूं। आज प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता खेती पर ही मुनस्सर 35 प्रतिशत भूमि ही आज हमारी सिंचित है, शेष भूमि पर अभी सिंचाई नहीं हो रही है। जहां 86 प्रतिशत लोगों का बोझ खेती पर ही हो और 65 प्रतिशत भूमि असिंचित हो, तो कैसे पिछड़ापन दूर होगा और आज सारी अर्थ-व्यवस्था खेती की, विद्युत् के ऊपर निर्भर करती है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य का समय अब 2 मिनट रह गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा––

मान्यवर, 5 मिनट दे दें।

श्री अधिष्ठाता––

आप 4 मिनट बोलिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा––

खेती के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि गांवों की तरफ ध्यान देकर एक गांव को लेकर जब तक सिंचाई की परियोजना नहीं बनेगी तब तक खेती की हालत सुधर नहीं सकती है। तो मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब एक गांव को लेकर सिंचाई की परियोजना बनायेंगे तभी खेती में पर्याप्त परिवर्तन आयेगा और विकास होगा।

एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। 7.75 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत तक अगले वर्षों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने की बात है। हमारे देश की गरीबी को देखते हुये खेती की हालत को देखते हुए यह सिंचाई, क्षमता जो रखी गयी हैं वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि खेती के लिये अधिक सिंचाई क्षमता उपलब्ध करायी जाय नहीं तो खेती की हालत सुधर नहीं पायेगी।

शांति-व्यवस्था के संबंध में मैं 2 निवेदन करना चाहता हूं। पहला यह कि यह वैज्ञानिक युग है। अपराध का पता लगाना है, अपराधी को खोजना है तो ऐसे मामले में चश्मदीद गवाह का ध्यान रखना होगा। जिसके साथ वह घटना घटी है उसका मन विश्लेषण करके और जो वैज्ञानिक तकनीक हैं उसको लेकर इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करके ही अपराध का पता लगाया जा सकता है। अगर इनमें सामंजस्य नहीं होगा तो जो शांति-व्यवस्था की स्थिति है, वह मजबूत नहीं हो सकती। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने थाने हैं उन सब पर जीप की व्यवस्था अवश्यम्भावी हैं, जितने थाने हैं वहां पर टेलीफोन

की व्यवस्था अवश्यम्भावी हैं। वहां पर सिपाहियों के रहने के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था बहुत जरूरी है। बहुत से थाने ऐसे हैं जिनकी कोई बिल्डिग नहीं है तो थानों के लिये बिल्डिग्स की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में मठरोना थाने के अन्तर्गत एक आदमी की हत्या हो गयी। वहां पर कई पुलिस वालों को जाना पड़ा। वहां पर कोई हवालात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

एक मिनट और दे दें। मान्यवर, मथुरा जिले में तेल रिफाइनरी से गैस पैदा होने वाली है। वह गैस पाइप लाइन द्वारा फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई उद्योग को दी जावे लेकिन फिरोजाबाद में ही कोयले के गैस का प्लांट बेकार पड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि उस गैस प्लान्ट को चालू किया जाय। आपने मुझको समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, इस बजट को माननीय मंत्री जी ने सदन के सम्मुख पढ़ा था पौने दो घंटे लगे थे। इसकी जब एनालिसिस की गयी तो मुझको ऐसा मालूम हुआ कि एक साल की जनता पार्टी की सरकार की नाकामयाबियों का यह एक मजमुआ है जो हाउस के सामने रखा गया है। श्रीमन्, मैं यह क्यों कह रहा हूं? इसलिये कह रहा हूं कि ईमानदारी के साथ कल एक कार्टून छपा था अखबार में तो उसमें एक चीज थी कि जनता पार्टी के जितने बड़े-बड़े लीडर हैं उनके गले में डाक्टरों वाला आला पड़ा हुआ है और उसको हर एक अपने सर पर रखकर देख रहा है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं। आदरणीय जय प्रकाश नारायण जी के पास जब सब लोग पिछले हफ्ते गये तो उन्होंने एक बात कही कि जनता पार्टी वक्त के तकाजे की शक्ल में काम करे, वह न करके जो इसको कांम्पीटेंट, यूनिट्स हैं वह अपने-अपने तरीके पर काम कर रही है। तो श्रीमन्, इससे ज्यादा जो पोलीटिकल सुप्रीम कोर्ट एक तरह के हैं, जय प्रकाश नारायण जी, तो जो उनका नजरिया है उसके बाद शायद किसी बात को कहने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। स्टेट लेविल पर हमारे आदरणीय नेता जो नेता सदन भी रहे है, प्रमुख नेता हैं, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि जो कन्ट्रावर्सी छपी जिसमें जनता पार्टी के सेक्रेटरी साहब जबाव तलब किया है सेक्रेटरी, श्री मुजफ्फर हसन के बारे में गुप्ता जी ने कहा कि खेत को तो मैंने नहीं देखा हैं लेकिन यदि वह खत मेरे पास आ जाता तो मैं भी दस्तखत करता। मेरा इससे कोई अन्दरुनी तालुक नहीं हैं लेकिन मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि डिमोक्रेसी के अन्दर किसी भी पार्टी की जो सरकार होती हैं उसका असर शासन के ऊपर और अधिकारियों के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पड़ता है।

इस पूरे प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी, पुराने जमाने से जिसने इस प्रदेश के उतार-चढ़ाव को देखा है, महसूस करती हैं कि इस समय इनमें आपस में घटकवाद इतना चल रहा है कि हमको कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। इसका असर प्रदेश की जनता पर पड़ता है। नतीजा उसका यह है और मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश का क्या किसान आपसे मुतमुईन हैं, विद्यार्थी मुतमुईन हैं, टीचर्स मुतमुईन हैं, हरिजन माइनारटीज के लोग क्या मुतमुईन हैं? जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उसके अन्दर बिजनेस क्लास को उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनी लेकिन खेद है कि बिजनेस क्लास जो हैं वह आपसे मुतमुईन नहीं है। वह चाहते थे कि सेल्स टैक्स समाप्त होगा। यहां प्रश्न भी पूछा गया था तो मंत्री जी ने कहा कि सेल्स टैक्स एबोलिश करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वह भी नहीं हुआ। इसलिये बिजनेस क्लास जगह-जगह आर्गेनाइज होकर जुलूस कर रहे हैं और जनता सरकार के विरोध में रोष प्रकट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

कर रहे हैं कि हमारे लिये कुछ नहीं किया। इसलिये समाज का कोई भी वर्ग यदि आपसे मुतमुईन होता तो हम समझते कि एक क्लास तो आपसे मुतमुईन हैं इसका कारण यह है कि जनता पार्टी के द्वारा और कोई राजनीति में उपलब्धि हुई हो या नहीं लेकिन एक उपलब्धि जरूर थी कि जो लोकसभा के चुनाव हुये वह पहले चुनाव थे जो जनता पार्टी और कांग्रेस के जरिये 1977 में हुये जिसमें प्रदेश से कांग्रेस का नामोनिशान समाप्त हो गया। उस चुनाव में फिरकापरस्ती का नामोनिशान नहीं था। सबने पूरी मेहनत से इस प्रदेश और देश की जनता ने वोट किया बिना कुछ सोचे समझ। यह बड़ी भारी उपलब्धि थी। लेकिन वह भी समाप्त हो गयी।

आज प्रदेश के अन्दर वही भावनायें हैं, पहले तो हिन्दू मुसलमान की भावनायें थीं लेकिन अब तो बैकवर्ड, फारवर्ड और डाउनवर्ड शुरू हो गया। एक नया चैप्टर खुल गया कि बैकवर्ड का इतना रिजर्वेशन हो और वह बीमारी यहां लखनऊ में भी शुरू हो गयी है। इसलिये जनता पार्टी का जो मूल आधार था विकेन्द्रीकरण का वह नहीं हुआ। उसके कारण सारी शक्तियां केन्द्रित हो गयी हैं आपके आई0ए0 एस0 और ब्यूरोक्रेसी के हाथों में। वह जब केन्द्रित हो गयी फिर जिस उम्मीद के ऊपर प्रदेश की जनता ने जनता पार्टी को शासन में बिठाया था वह सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गयीं। यह जो पुस्तक है यह सिर्फ साल भर की कारगुजारी पर अफसोस जाहिर करने के अलावा और कुछ नहीं है। 10 साल के बजट देख लें। कोई ऐसा बजट पेश नहीं हुआ जिसमें 52 करोड़ के कर लगे हों और फिर भी 12 करोड़ का डेफीसिट रह गया हो।

प्रदेश में डेवलपमेंट क्या हुआ है यह भी आप अपने सीने पर हाथ रख कर देख लें विभागों के अन्दर जो करप्शन है वह नाम मात्र को भी कम नहीं हुआ। जो ला एन्ड आर्डर की बात है उस पर ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि जब पुलिस ग्रान्ट पेश होगी तब कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हालात बहुत बिगड़ गये हैं जबकि डायरैक्ट अटैक होने लगा माननीय सदस्यों के ऊपर। माननीय शंभूनाथ चौधरी पर, माननीय हामिद रजा खां पर वारदात हुई। आपके दारुलशफा के अन्दर कमरे में डकैती हुई। ऐसे हालात हो गये अब कि सिर्फ यह सदन बचा हुआ है। वरना दारुलशफा तक मामला आ गया। देखिये यहां भी कब तक बचा रहता है। सिंचाई मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं उनके विभाग से संबंधित ही करेप्शन की एक मिसाल देना चाहता हूं। शारदा सहायक के इंजीनियर के खिलाफ 85 हजार का गबन का मामला पी0ए0सी0 द्वारा साबित हो गया।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

लेकिन हुआ क्या कि गोयल साहब को इराका भेज दिया गया। यह तो एक मिसाल मैंने दी। बाकी और बातें ग्रान्ट के मौके पर कहूंगा।

गन्ने की आज जो हालत है उसका असर किसान पर नहीं पूरे समाज पर पड़ा है। किसान की यह कैश क्राप थी और अरबों रूपये की बिकती थी। किसान अपनी जरूरत की चीजें खरीदता था और सरकार को भी सेल्स टैक्स के रूप में काफी रुपया मिलता था। लकिन आज भी किसान का 60 फीसदी गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है। हमारे यहां की यह पोजीशन है कि गांठ से 35 परसेन्ट, दलपतपुर स 30 परसेंट, मूंढ़ा से 16 परसेंट और सेहल से 32 परसेंट गन्ना गया है। सब मिलाकर 60 परसेंट गन्ना आज भी किसान का खेतों में खड़ा है। जब उसका माल ही नहीं बिकेगा तो वह कहां से आपको टैक्स दे पायेगा। प्रोहिबिशन की बात है। उसमें भी रिट हो गयी। देखिये कब तक गाड़ी खींचते हैं। उनके पास पैसा है। उन्होंने मुकदमेबाजी शुरू कर दी।

मान्यवर, अब गेहूं की परचेज का मामला है। मुझे तो श्रीमन्, भरोसा नहीं कि 110 रुपये पर यह आसानी से खरीद ले पायेंगे। क्योंकि मुझे शक है कि यह इतने परचेजिंग सेन्टर खोल सकेंगे। होगा यह कि किसान को वही 100 रुपया मिलेगा और मिडिल मैन उनसे लेकर परचेजिंग सेन्टर पर 110 में देगा। इसलिए इसको देखें कि किसान को सही कीमत उसके पैदावार की मिल जाय वरना तो वह आपका पैसा नहीं दे पा रहा है। रिकवरी की हालत यह है कि किसान पर आज भी उसी प्रकार से सारी वसूली हो रही है कि बन्द कर दो, नीलाम कर दो, जानवर कुर्क करके ले जाओ। तो ये सारी चीजे हो रही हैं और इसी वजह से कह रहा हूं कि यह जो बजट रखा गया है इस बजट में सिवाय इसके कि दो आंसू बहाये जायं और बहाये हैं, अपनी साल भर की नाकामयाबी के ऊपर—और कुछ नहीं कह सकता।

(श्री मानसिंह आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मान सिंह, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल चुके हैं, उनके अलावा माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं।

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मुझे आपने कुछ समय इस सामान्य चर्चा पर बोलने के लिये सुअवसर दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, अपने जिले अल्मोड़े के बागेश्वर क्षेत्र के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये वहां की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। इस समय जो स्थिति मेरे जिले अल्मोड़ा में चल रही है और अल्मोड़ा ही नहीं, सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में जो स्थिति चल रही है, वह एक समस्या बनी हुयी है। जैसे कि खाद्य तथा रसद विभाग से, सरकारी गल्ले की दूकाने जो राशन सप्लाई कर रही हैं, उनके भाड़े में सरकार द्वारा कटौती की गयी है। मान्यवर, पहाड़ और मैदान के मोटर मार्गों में और आवागमन के साधनों में कई प्रकार की विभिन्नतायें पायी जाती हैं और साथ ही हमारे पर्वतीय जिलों में जहां पैदल मार्ग भी इतना दुर्गम है, वहां पर आज भी आसानी से एक आदमी को पैदल चलना दूभर होता है। इस लिये, मान्यवर, जो सरकार द्वारा उनके भाड़े में कटौती की गयी है, उसकी ओर सरकार का तुरन्त ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—उस ओर सरकार तुरन्त ध्यान दें। इसी तरह से, मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के सभी विभागों में सीमेंट के बिना बड़ी परेशानी हो रही है—जैसे पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई विभाग इत्यादि जो कि निर्माण कार्यों से संबंधित हैं, वे सीमेंट के बिना इस समय निर्माण कार्यों से वंचित हैं। उन विभागों के निर्माण कार्यों के लिये, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां सरकार शीघ्रता से सीमेंट भेजने की व्यवस्था करें।

इसी के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला अल्मोड़ा में जो विद्युतीकरण हो रहा है, इस समय, वह आम गांवों को नहीं पहुंच पा रहा है। इस संबंध में 9 मार्च को वहां के अधिशासी अभियंता से मिला। उन्होंने अपनी तकलीफें बतायी कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का बजट हमको नहीं मिल रहा है। तो, मान्यवर, बिजली विभाग में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, अल्मोड़ा में, उन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से सरकार करे और गांवों को बिजली मिले।

इसी तरह से पेय जल की समस्या है। मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो पर्वत इस प्रदेश को पानी प्रदान करते हैं, वे पानी के स्रोत रहे हैं लेकिन उन पर्वतों पर स्वयं पानी पीने को नहीं मिल पाता, मान्यवर। लेकिन फिर भी यदि सरकार वहां पेय जल की योजनाओं

[श्री पूरन चन्द्र]

को बनाती है और उसके बारे में सोचती है, तो वहां के जो विभागीय अधिकारी हैं, वे पूर्णरूप से इन योजनाओं को बनाने में सफल नहीं होते हैं। आधा सीमेंट, आधा जो भी सामान उन पेय जल योजनाओं के लिये आता है वह विभाग के अधिकारियों द्वारा बेचा जाता है जिससे कि योजनाये बनने के तुरन्त बाद ही नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार की जल निगम की परियोजना हमारे पर्वतीय क्षेत्र में चल रही है उसका ज्वलन्त उदाहरण मैं अपने बागेश्वर शहर के बारे में देता हूं। करीब दस लाख रुपये की योजना जल निगम की थी। उसके बाद दस लाख के बजाय वह योजना बीस लाख के लगभग गयी, बीस लाख गवर्मेंट से दिया गया लेकिन आज वह योजना चालीस लाख में जा चुकी है लेकिन हम लोगों को पानी पीने के लिए वहां पर नहीं मिल रहा है। मान्यवर, यदि किसी अधिकारी की रिपोर्ट भी की जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और जांच के लिये उसी विभाग के अधिकारी को सरकार द्वारा आदेश दिये जाते हैं जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की स्पष्ट दिशा सरकार को नहीं दी जाती है।

उद्योगों का प्रश्न है हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हमेशा से बना रहा है। आज पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड बंद होगा यह सुनने को मिल रहा है, आज पर्वतीय क्षेत्र में पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार की जरूरत है। पर्वतीय क्षेत्रों की लकड़ी मैदानों को आती है। मैदानों में जो फैक्टरियां हैं उनकी कच्ची लुब्दी पर्वतीय क्षेत्रों में बनायी जायं।

मान्यवर, मैं अपने जिले की एक बहुत बड़ी घटना--घटना ही कहूंगा--जो कि अधिकारी के द्वारा की गयी है उसे बतलाना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे जिले में एक इगाडा परियोजना चल रही है जो कि भारत और जर्मनी सरकार के बीच समझौते पर है। उसका ढाई लाख रुपया जो कि कृषि क्षेत्र में खर्च होना था वहां के जिलाधिकारी महोदय ने उसे कृषि योजना में खर्च न करके अन्य कार्यों में खर्च करा दिया। इस वर्ष इगाडा के कलेन्डर छपाये गये। एक कलेन्डर कीमत करीब बीस रुपया होगी। इस प्रकार सारे धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए।

इसके साथ ही पंत नगर विश्वविद्यालय है, आये दिन वहां हड़ताल हो रही है। वहां की समस्या के बारे में मेरे ख्याल से सरकार अभी सोई हुयी है क्योंकि जो अधिकारी है पूरा प्रशासन उन्हीं के साथ में है। उनको यह अनुभव है और यह भी मालूम है कि सरकार तो पांच साल के लिए आती है और हम तो 60 साल तक अपनी गद्दी पर पदासीन रहते ही हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री पूरन चन्द्र--

मान्यवर, समाप्त ही कर रहा हूं। तो मान्यवर, पंत नगर विश्वविद्यालय की समस्या का समाधान करना ही होगा। मान्यवर, वहां पर अगस्त मुनी का एक डिग्री कालेज है जहां हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। मुझे इस सदन में यह कहना पड़ रहा है। मैं शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुका हूं, शिक्षा निदेशक से भी मिल चुका हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए भी सरकार को आज जागरुक होना है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार हरिजनों पर अत्याचार कर रही है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अधिकारी हरिजनों पर, अत्याचार कर रहे हैं जैसा कि मेरे क्षेत्र में एक पदीराम हरिजन है, ग्राम उड्यारी पत्रालय दुम पट्टी नाकुरी तहसील बागेश्वर अल्मोड़ा। उसको भूतपूर्व जिलाधिकारी श्री त्रिपाठी द्वारा कुछ जमीन दी गयी।

लेकिन जब उसने उस पर 5 हजार रुपये का मकान बना लिया तो 77 में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री मुकल सनवाल ने जमीन छीन ली और घर तुड़वा दिया और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं यह कहूंगा कि अधिकारियों के द्वारा हरिजनों पर अत्याचार किये जा रहे हैं लेकिन क्यों किये जा रहे हैं यह समझना होगा। ये इसलिये किये जा रहे हैं कि पिछली सरकार ने जिस नौकरशाही को नादिरशाही अधिकार दिये थे आज उनकी वह नादिरशाही समाप्त होने जा रही है, इसलिये उसको हमारी सरकार से बदला लेना है। इसलिये वे अधिकारी आज लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, इसलिये सरकार को पूरी तरह से उन अधिकारियों के प्रति जागरूक रहना चाहिये।

*श्री नारायण सिंह मैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आय व्ययक का समर्थन करता हूं और जनता पार्टी की सरकार को सर्व प्रथम मैं धन्यवाद देता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने एक सबसे बड़ा साहसी कदम यह उठाया कि इन 30 वर्षों में जो नहीं हो सका उसको इसने उठाया और वह है मद्य निषेध। अभी यह मद्यनिषेध 12 जिलों में जारी किया गया है और इन 12 जिलों में से मुझे लगभग 5 जिलों में जाने का मौका मिला। जो मजदूर तबके का वहां व्यक्ति है विशेषकर महिलायें जो मद्य के आतंक से पीड़ित थीं उनमें इस मद्यनिषेध से अत्यधिक प्रसन्नता है। कारण यह है कि देश और प्रदेश के अन्दर जितना व्यभिचार, भ्रष्टाचार तथा कुरीतियां पनपी हैं जिनकी कहानी आये दिन हम सुनते आ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण शराब और मद्य रहा है। इसलिये यह जनता पार्टी का बहुत बड़ा साहसी कदम है। इसके लिये जनता पार्टी एक दफा नहीं अनेक बार धन्यवाद की पात्र है। वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको देखने से प्रतीत होता है कि दो कार्य इसमें बहुत अच्छे किये गये हैं। एक तो भूमि सेना गठित करने का विचार किया गया है और इस भूमि सेना को प्रशिक्षित करके वित्तीय वर्ष में गठित करने का प्राविजन किया गया है।

दूसरे अभी तक केवल हरिजनों एवं जनजातियों को ही आरक्षण दिया जाता था लेकिन अब 58 पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके दो पहलू हैं। यह मान लिया जाय कि केवल 58 ही जातियां पिछड़ी तथा कमजोर हैं, यह ज्यादा उचित नहीं होगा। मेरी अपनी मान्यता है कि कोई भी जाति गरीब अथवा पिछड़ी नहीं होती है। आदमी पिछड़ता है आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लेकिन जाति के आधार पर संरक्षण देना किसी भी जनतांत्रिक देश में बहुत ज्यादा उचित नहीं कहा जायगा। आजादी के पूर्व अपने देश में कुछ जातियों पर अत्याचार हुआ करते थे और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे पिछड़ी रहती हों और उनमें हरिजन व जन जाति के लोग भी रहे हों लेकिन आजादी के तीस वर्ष बाद पिछड़ेपन पर आरक्षण का जो आधार रखा गया है, यह किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। मैं आपके माध्यम से शासन से आग्रहपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था की जाय अन्यथा इससे बहुत सारे अन्याय और गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर जाति के नाम पर हरिजनों और जनजाति के लोगों को जो सुविधायें मिल रही हैं, उसमें वर्ग-भेद हो गया है। कुछ जातियां आगे नहीं बढ़ पायी हैं। दूर दराज इलाकों में यदि आप देखेंगे कि जो विद्यालय या कालेज अभी-अभी कुछ वर्षों में खुले हैं या खुल रहे हैं वहां के हरिजनों और जन-जातियों को इस आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पायी है। इसलिये मेरा शासन से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करके आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाय। एक तरफ हम समाजवादी व्यवस्था की कल्पना करते हैं और दूसरी ओर जाति के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। इसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण सिंह भैंसोरा]

मान्यवर, इस बजट में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 10 वर्षों के अन्दर बेरोजगारी समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। यह बात सही है कि सबको रोजगार मिलना चाहिये। यह खुशी की बात है कि श्रम पर आधारित रोजगार को विशेष बल दिया गया है। अगर 6 लाख लोगों को एक साल में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 वर्षों में करीब-करीब 60 लाख लोगों को रोजगार मिल पायेगा जब कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या 10 करोड़ है और यहां बेरोजगारी ज्यादा है। 10 वर्षों में बेरोजगारी भी बढ़ेगी और जनसंख्या भी बढ़ेगी। इसलिये मैं शासन से आग्रहपूर्ण अनुरोध करूंगा कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये जो संकल्प दुहराया गया है जो जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वचन दिया गया है और जिसके आधार पर लोगों ने अपनी आशायें जनता पार्टी से लगाई हैं उसके लिये मैं चाहूंगा कि रोजगारी के अवसर और सुलभ किये जायं। 10 वर्षों के लिये एक पूरा कार्यक्रम बनाया जाय ताकि जनसंख्या के बढ़ने पर जो बेरोजगारी बढ़ेगी उसके साथ-साथ हम अपने लक्ष्य पर भी पहुंच सकें।

मान्यवर, प्रशासन और व्यवस्था के बारे में आये दिन विरोध पक्ष की ओर से नियोजित ढंग से गड़बड़ी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने जो कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रहे हैं, उनका स्थानान्तरण किया गया है। 19 महीने की आपातकालीन स्थिति में इन अधिकारियों का जो काम करने का ढंग था वह तानाशाही व्यवस्था के समान था, और वह यहां पर लागू था। मेरा शासन से अनुरोध है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान क्षेत्रों में और जनपदों में जो ऐसे अधिकारी रहे हैं उनके स्थान पर सचिवालय या अन्य विभागों से अधिकारी भेजे जांय, क्योंकि जो गड़बड़ियां हुई हैं वह इंदिरा कांग्रेस के अराजक लोग हैं, संजय गांधी की सेना के युवा लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ी फैलाई है उनका सम्बन्ध अभी इन अधिकारियों से बना हुआ है।

अब मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में गन्ना होता है और उसकी पिराई नहीं होने से कठिनाई पैदा हो जाती है उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों के लिए गन्ना बन हैं। वनों पर ही वहां की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है वहां पर खेती योग्य भूमि बहुत कम है प्रत्येक परिवार के पास तीन एकड़ से अधिक जमीन नहीं है। इस कारण से पर्वतीय लोग मैदानों में अपनी आजीविका के लिए आते हैं। यदि वहां पर छोटे-छोटे उद्योग लगाये जाये जिनके लिये वहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है तो वहां के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके लिये नये सिरे से सर्वेक्षण किया जाय और आज की बदली हुई परिस्थितियों में लोगों को उनके घरों में ही सम्मानपूर्वक रोजगार मिल सकता है और साथ ही साथ सीमा की भी रक्षा वे करेंगे। इसलिये आवश्यक है कि वहां पर उद्योग धंधे लगाये जायं। हमारे यहां मुनस्यारी में मिलम एक पट्टी है जहां पर आज 8 गांव ऐसे हैं कि उनमें एक भी आदमी नहीं है। वहां के लोग मैदानी भागों में आ रहे हैं। इस प्रकार से गांव खाली करके लोग मैदानों में आ जायेंगे तो एक समस्या हो जायेगी। वहां पर लोगों को रोजगार की कठिनाई है जिसे दूर करने के लिये उद्योगों का होना जरूरी है और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार की समस्या हल करने के लिए जिस प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है उसी प्रकार वहां के लिए भी किया जाय। पी0 एम0 टी0 में आरक्षण के संबंध में 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पर्वतीय क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। यदि शासन इस बात को स्वीकार कर ले तो यहां लोगों को आरक्षण दिया जाय।

अभी चिपको आन्दोलन के कारण वनों की नीलामी को रोक दिया गया। इस कारण से वहां की यूनिवर्सिटीज और कालेज बंद रहे। इसके पीछे रोजगार की ही समस्या रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

एक दो मिनट और देने की कृपा करें तो मैंइसे पूरा कर लूं। तो मेरा निवेदन है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए, सामाजिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की जो आवश्यकता है वह पर्वतीय क्षेत्रों की है। अपने जनपद के धारचुला और मनुस्यारी में जनसंख्या के 1/4 और 1/3 लोग जनजाति के हैं उनको बहुत सारी सुविधायें उपलब्ध हैं जो कि आरक्षित वर्ग को मिलती हैं लेकिन जो दूसरी जाति के लोग हैं, क्षत्रिय या ब्राह्मण हैं, उनकी हालत सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जरजरित हो चुकी है वह लोग जनजाति के लोगों से भी कहीं अधिक बैकवर्ड हैं। इसलिये वहां जो लोग हैं चाहे वह किसी जाति के हों उनको आरक्षण दिया जाय। इस बात का वहां पिछले तीन सालों से प्रयास हो रहा है कि धारचूला और मनुस्यारी को पिछड़े क्षेत्र में रखा जाय। इस बात का शासन सर्वेक्षण कराये और वहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके उत्थान के लिये उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट की चर्चा पर भाग लेने का और निवेदन करने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब आय-व्ययक पर आज सामान्य चर्चा समाप्त की जाती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से मैंने श्री रवींद्र नाथ तिवारी और श्री श्याम धर मिश्र जी की सूचना को स्वीकार किया है। वह सुल्तानपुर से आने वाली बस जो दिनांक 4 अप्रैल, 78 को बाराबंकी जिले में एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 3 विधायक और 4 दर्जन अन्य व्यक्ति घायल हो गये हैं, के संबंध में है।

बाराबंकी जिले में बस और ट्रक के टक्कर से हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, दिनांक 4–4–1978 को लगभग 10-30 बजे दिन में चौकी हैदरगढ़ से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर रोड पर ग्राम मतोना, थाना लोनी कटरा के अन्तर्गत एक प्राइवेट ट्रक नम्बर यू0 एस0 एम0 5541 और रोडवेज के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बस नं0 यू0 एस0वाई0 1977 की आपस में टक्कर हो गयी। यात्री बस मेल बस के रूप में सुल्तानपुर से कानपुर जा रही थी और दूसरी तरफ से ट्रक सामान से भरी हुयी जा रही थी जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वहां तारकोल की सड़क की चौड़ाई 18 फिट है और बाकी सड़क के दोनों ओर ईंटों की 3–3 फिट की पटरी है। पुलिस की प्रारम्भिक जांच के अनुसार ऐसा प्रतीत हुआ है कि दोनों ही गाड़ियां जब आमने सामने आ रही थीं, किसी ने भी पक्की सड़क को छोड़ कर अपनी गाड़ी को ईंट की पटरी में डालने की कोशिश नहीं की और दोनों ही गाड़ियों ने अपनी तेज गति को सीमित करने के लिये सावधानी नहीं बरती जिसके कारण यह टक्कर हुयी। ट्रक और बस दोनों को काफी नुक्सान हुआ है।

[श्री आबिद अली]

इस दुर्घटनाग्रस्त बस का ड्राइवर श्री सिराजुद्दीन, निवासी जिला प्रतापगढ़ घटना स्थल से भाग गया जहां उसकी तलाश अभी भी जारी है। बस कंडक्टर, सड़क परिवहन निगम का कर्मचारी था और उसका नाम श्री दयाराम है। ट्रक ड्राइवर, श्री हामिद खां प्राइवेट ट्रक के कर्मचारी है और इनको भी साधारण चोटें आई हैं। ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों ओर से थाने में रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है और इसकी तफतीश पुलिस कर रही है बस में बैठे हुए 15 व्यक्ति घायल हुये हैं जिनमें जनपद सुल्तानपुर के 3 विधायक श्री हरि चरन यादव, श्री तेज भान सिंह तथा श्री ब्रिज लाल सम्मिलित हैं। श्री हर चरन सिंह की दाहिने जांघ की हड्डी टूट गयी है और इन तीनों का ही बलरामपुर अस्पताल में उपचार हो रहा है ? इस दुर्घटना की रिपोर्ट हाकिम परगना, हैदरगढ़ ने उसी दिन अपने जिलाधिकारी को भेज दी और वह मौके पर स्वयं उपस्थित हुये थे। साथ ही राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ, सेवा प्रबन्धक तथा सहायक परिवहन अभियंता, लखनऊ उसी दिन घटना स्थल पर रवाना हुए और उन्होंने अपनी जांच प्रारम्भ कर दी है। अन्य घायलों को प्रारम्भिक चिकित्सा के बाद उनको अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा कर दी गयी है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस की देख-रेख में दे दिया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तीन विधायकों की चोटों का डिस्क्रिप्शन तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन बाकी जो लोग घायल हुए हैं, उनको भी गम्भीर किस्म की चोटें लगी हैं या मामूली चोटें लगी हैं ? यदि चोटें गम्भीर हैं तो उनका इलाज किस अस्पताल में किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली--

जो लोग वहां घायल हुए हैं उनमें से जो गम्भीर घायल थे, वे यहां बलरामपुर अस्पताल में आये और जब मैं कल शाम को वहां पहुंचा तो 4 लोग उसमें भरती थे, जिनमें से 3 विधायक थे और एक ट्रक का आदमी था। उसके पैर में चोट लगी है। तो केवल 4 आदमी थे और बाकी को फस्ट ऐड देकर भेज दिया गया है। बलरामपुर अस्पताल में भी शायद अब कोई नहीं होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मंत्री जी ने जो जवाब दिया, कल आप भी गए और हम भी साथ थे श्रीमन्, उस समय जो हमारे सदन के सदस्य घायल अवस्था में थे उन सब ने बताया कि करीब तीन-चार दर्जन लोग घायल हुए थे। वह मौके के प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। उनका कहना था कि कोई तहसील-दार था जो उन सब को लाद कर सुल्तानपुर या दूसरी जगह इलाज के लिये ले गया था, क्या माननीय मंत्री जी ने घायलों के बारे में पूरा विवरण स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क करके मंगाने की कोशिश की है या नहीं ?

श्री आबिद अली--

मेरे पास घायलों की सूची है जिसमें 15 आदमी घायल हुए हैं। उनके नाम प्रार चाहें, तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय परिवहन मंत्री, नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विधायकों के अतिरिक्त जो घायल हुए हैं उनकी संख्या बतला दीजिये और यह भी बतला दीजिये कि कितने भरती हैं और कैसी हालत है ?

श्री आबिद अली--

संख्या 15 है । चार बलरामपुर अस्पताल में हैं । बकिया वह अपने घर चले गये । इसमें अस्पताल में जो गये हैं इसमें एक श्री महवाज हुसैन हैदरगढ़ गये थे । श्री हरिचरण लाल यादव, सुल्तानपुर के लखनऊ में आये, श्री तेजभान सिंह, विधायक और श्री बृजलाल, विधायक, लखनऊ में आये हैं, श्री दयाराम परिचालक, सुल्तानपुर में गये । उसके बाद श्री रामकीर्ति शरण, जिला रामपुर के लखनऊ में आये, श्री किरण लाल अग्रवाल, सुल्तानपुर के सुल्तानपुर में गये । श्री आर० आर० मिश्र मेरठ के सुल्तानपुर से लखनऊ में आये । श्री एस० के० ओझा, सुल्तानपुर के लखनऊ से सुल्तानपुर गये । श्री भगवान सिंह, फैजाबाद के, सुल्तानपुर से लखनऊ में आये । श्री रामतीर्थ, सुल्तानपुर से लखनऊ में आये । श्री देवनारायण पाण्डेय, सुल्तानपुर से लखनऊ में आये । श्री परिसनाथ पांडेय, सुल्तानपुर से लखनऊ आये । श्री सिराज अहमद, सुल्तानपुर से लखनऊ आये । श्री हामिद अली ट्रक चालक, सुल्तानपुर से लखनऊ आये । आने के बाद सिर्फ चार रह गये । बकिया अपनी फर्स्ट एड लेकर चले गये ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि बस का ड्राइवर शराब पिये था और कोई मशीन आयी है आपके पास जो सांस के जरिये शराब का पता लगा लेती है तो अब तक पता चल गया होगा कि शराब पिये हुए था या नहीं, क्या उसकी जांच हुई ?

श्री आबिद अली--

जैसाकि मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा वह बस का ड्राइवर भाग गया जो अब तक नहीं मिला है । जो रिपोर्ट अभी आयी हैं उनसे पता नहीं लगता कि उनमें से कोई भी शराब पिये हुए था ।

दूसरे आपने कहा कि आला शराब का, यह सही है कि कलकत्ता की एक फर्म आला बनाती है, कुछ रोज पहले उसको आर्डर दिया गया था लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों नहीं भेजा, चार पांच रोज हुए एक आदमी भेजा है कि आला ले आये ताकि उसको लगा कर दिखलवा सकें ।

श्री श्याम धर मिश्र--

चार पांच दिन में यह हादसा हो गया । जिन लोगों को चोटें आयी हैं अस्पताल में दाखिल हैं बहुत उचित है, क्या उनको मुआविजा दिया जायगा, बीमा वगैरह के जरिये, कोई प्राविधान है ऐसा जो उनको गम्भीर चोटें आयी हैं उनको बीमा के अनुसार आपका विभाग उनको कुछ मुआविजा देगा ?

श्री आबिद अली--

ऐसा है कि इनका इनश्योरेन्स होता है और 5 प्रतिशत किराया काटा जाता है उसकी एवज में जब मृत्यु हो जाती है तो 10 हजार तक दिया जाता है । घायल की अवस्था में उसी हिसाब से कितने को कितना मिलेगा, यह इनश्योरेन्स वाले तय करते हैं । पहली अप्रैल से हमने कर दिया है कि चाहे वह यात्री हो या थर्ड पार्टी हो तो उनको भी देना पड़ेगा । कन्डक्टर और ड्राइवर को भी देना पड़ेगा । यह हमने पहली अप्रैल से किया है ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 18 फीट की चौड़ी सड़क जो थी उसके कितने हिस्से में ट्रक चल रही थी और कितने हिस्से पर बस चल रही थी ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न किया गया है उसका पैमाना कहां है ?

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

जनता सरकार लांग रूट सड़कों पर प्राइवेट बसें नहीं चलाना चाहती है तो जो प्राइवेट बसे हैं क्या उनको भविष्य में चलाने से रोकेंगे । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो प्राइवेट बसें हैं उन पर रोडवेज के ड्राइवर हैं या प्राइवेट बसों के ड्राइवर हैं ।

श्री आबिद अली—

जहां तक प्राइवेट बसों के चलाने का प्रश्न है वह तो कांग्रेस के समय में भी चलती थीं । अगर रोडवेज को जरूरत होती थी तो बसों को किराये पर ले लिया जाता है । हमारे पास रोडवेज में इतनी बसें नहीं हैं कि हर जगह पर उनको चलाया जा सके, जब हमें जरूरत होती है तो उनको किराये पर ले लिया जाता है । प्राइवेट गाड़ियों पर हमारे ड्राइवर होने चाहिये । अभी तक मालिकान यह कहते थे कि हम अपना ड्राइवर रखेंगे क्योंकि गाड़ी की देखभाल उनको रखनी होती है । लेकिन आपने जो यह सुझाव दिया है उसको हम रोडवेज निगम से कहेंगे कि वह मालिकान से इस पर बात करें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आपने यह कहा कि जो मरने वाले हैं उनको 10-10 हजार दिया है । तो जो शफाखाने में पड़े हैं उनको कितना-कितना देने की सोच रहे हैं ।

श्री आबिद अली—

इश्योरेन्श वाले जो हैं वह उन्हीं को देते हैं जो इनवैलिड होते हैं । जो इनवैलिड नहीं होते हैं उनको नहीं देते हैं । यह डाक्टर के सर्टीफिकेट पर निर्भर करता है?

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

बस कन्डक्टर को कैसे चोट आयी और उसका उपचार कहां पर हो रहा है ।

श्री आबिद अली—

वह तो भाग गया ।

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

जो यात्री थे जिनको चोटें आयीं, उनके सामान का भी नुक्सान हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी उनके नुक्सान की पूर्ति की व्यवस्था करेंगे ?

श्री आबिद अली—

क्या कहा?

श्री अध्यक्ष—

जिनको चोटें आयीं उनका सामान भी गायब हुआ ?

श्री आबिद अली—

मैं जांच करा लूंगा ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान वक्तव्य के अंतिम वाक्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि कि जब दुर्घटना होती है तो पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है, परन्तु इस मामले में पुलिस ने इसको कस्टडी में नहीं लिया ।

श्री आबिद अली--

मुकदमा दायर हो गया है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

जिस सड़क पर यह दुर्घटना हुई है उस पर क्या बस को चलाने की कोई गति सीमा बांधी गई है और यदि हां, तो किस गति से वह बस चलाई जा रही थी और जो बस का ड्राइवर था वह कितने दिनों से बस चला रहा था? क्या उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं?

श्री आबिद अली--

बस ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था लेकिन सड़क पर कितनी गति सीमा होनी चाहिये, कितनी थी, नहीं कह सकता । गति की सीमा होनी ती चाहिये लेकिन हम अभी इस एडवांस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं ।

श्री राम रतन सिंह--

जब हम और माननीय मंत्री जी घायलों को देखने के लिये बलरामपुर अस्पताल गये थे तो उन विधायकों में से एक का कहना था कि बस कन्डक्टर को काफी चोट आयी और उसकी दशा बड़ी खराब थी और विधायक लोग यह कोशिश कर रहे थे कि उनको भी बलरामपुर अस्पताल में लाकर उसका उपचार कराया जाय लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बस कन्डक्टर भाग गया, तो इनमें से कौन सी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि ड्राइवर भाग गया।

श्री राम रतन सिंह--

मान्यवर, मैंने तो बस कन्डक्टर की बात पूछी थी न ड्राइवर की?

श्री अध्यक्ष--

कन्डक्टर तो अस्पताल में भरती है।

श्री आबिद अली --

मान्यवर, मैं ड्राइवर को समझ रहा था । जो ड्राइवर है उसको तो कोई चोट नहीं आयी है लेकिन उसका जो कन्डक्टर है, उसको अलबत्ता चोट आयी है । (व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

जब बस का ड्राइवर भाग ही गया तो कैसे पता चला कि उसको चोट लगी है?

श्री अध्यक्ष--

वह तो भाग गया है, इसलिये उसका नाम है ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहली अप्रैल, 1978 से यह व्यवस्था कर दी है कि चोट लगने पर बस के कन्डक्टर और ड्राइवर को भी एक्सीडेंट होने पर मुआविजा दिया जायगा लेकिन जिस सवाल का उत्तर दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ड्राइवर्स पटरियों से उतरना नहीं चाहते थे तो ऐसी हालत में क्या फिर भी उनको मुआविजा दिया जायगा ?

श्री आबिद अली—

मुआवजे की बात तो अलग है । अगर मुकदमें में यह साबित होता है कि उकी गलती थी तो उनको सजा भी दी जा सकती है।

गंगा नदी में जल छोड़ दिये जाने से फ़र्रुखाबाद के किसानों की फ़सल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद का क्षेत्र, जिसमें भीषण बाढ़ आने की सूचना दी गई है, गंगा नदी के किनारे स्थित है । गंगा नदी से दो नहरें अपर गंगा कैनाल (हरिद्वार के निकट) तथा लोअर गंगा कैनाल (हरिद्वार से 250 कि0मी0 नीचे नरौरा के पास) निकाली गई है। इन दोनों नहरों में गंगा नदी से पानी लिया जाता है । इसके अतिरिक्त रामगंगा फीडर गढ़मुक्तेश्वर के निकट गंगा नदी में मिलती है जिससे कि जिस समय गंगा नदी में पानी कम होता है उस समय रामगंगा जलाशय का पानी गंगा नदी में डाला जाता है जिसको नरौरा से निकलने वाली लोअर गंगा कैनाल पर प्रयोग किया जाता है । सामान्यत: शीत एवं ग्रीष्म ऋतु के (आरम्भ काल) में इन दोनों नहरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भी गंगा नदी में पानी उपलब्ध नहीं होता परन्तु बैराज में बने हुए फ्री गैप (रामधारा) द्वारा गंगा नदी में अल्प मात्रा में पानी बहते रहने दिया जाता है ।

गंगा नदी के जलागम क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में इस वर्ष शीतकाल में अत्यधिक वर्षा होने के कारण (6 से 9 मार्च तक तथा 14 से 28 मार्च तक) नरौरा के नीचे नदी में अधिक पानी चला जिसके कारण फर्रुखाबाद जनपद के गंगा नदी के किनारे निचले भाग में बोयी गयी जायद फसल को हानि पहुंची । यहां पर यह भी उल्लेख करना सुसंगत होगा कि शीतकाल की वर्षा से गंगा नदी में इतना अधिक पानी आया कि दोनों नहरों में पानी लेने के बाद भी तथा रामगंगा फीडर को इस अवधि में बन्द रखने के उपरान्त भी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक पानी चलता रहा । गत वर्षों में 140 से 600 क्यूसेक्स पानी चलता था जबकि इस वर्ष अधिकतम 17,377 क्यूसेक्स पानी नीचे (नरौरा के नीचे जनपद फर्रुखाबाद में) चला गया जिसके कारण फसल को हानि पहुंची । गंगा नदी में पानी छोड़ा नहीं गया वरन यह पानी गंगा नदी के पहाड़ी जलागम क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण आया है।

फर्रुखाबाद जनपद की तहसील सदर में उक्त असमय पानी आने के कारण गंगा की तराई के 18 ग्राम प्रभावित हुए। प्रभावित ग्रामों में बोई हुई जायद फसल का 810.00 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें से 632.00 एकड़ क्षेत्रफल क्षतिग्रस्त हुआ एवं तराई में खड़ी जायद फसलें तरबूज, खरबूजा, लौकी एवं ककड़ी क्षतिग्रस्त हुई ।

असमय पानी आने के कारण ग्रामों के 643 व्यक्ति प्रभावित हुए जिसम 385 कृषक हैं तथा शेष 450 भूमिहीन अकृषक मजदूर हैं । जो व्यक्ति प्रभावित हुए थे उनमें अधिकांश कमजोर वर्ग के हैं परन्तु यह सभी लोग जायद फसल के अतिरिक्त खाली समय में मछली मारने बेचने तथा मजदूरी आदि जैसे धंधे करते हैं । जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की सूचना के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों में से 120 व्यक्तियों ने 72,930 रु0 की धनराशि विभिन्न बैंकों से ऋण के रूप में ले रखी है ।

क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को आहेतुक सहायता देने की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की गयी थी परन्तु प्रभावित व्यक्तियों ने उसे स्वीकार नहीं किया और यह मांग की कि उनकी सम्पूर्ण हानि का मुआवजा दिया जाय तथा ऋण की समस्त धनराशि से उन्हें मुक्त किया जाए । नियमों के अन्तर्गत मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है । जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि ऋण की वसूली को स्थगित करने हेतु संबंधित बैंकों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रभावित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत क्षति होने के कारण आत्म-हत्या करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जहां तक उपरोक्त हानि के कारण दोषी अधिकारियों को दंड देने का संबंध है निवेदन है कि पहाड़ों से असमय तथा अधिक वर्षा होने के कारण गंगा नदी में अत्यधिक पानी (सामान्य वर्षों से अधिक) आया । यह एक प्राकृतिक घटना थी जो कि मानवीय नियंत्रण के बाहर है तथा उसके लिये किसी को दोषी ठहराना संभव न होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रूखाबाद)--

मान्यवर, सिंचाई मंत्री महोदय ने जैसा कि उत्तर दिया है और उस उत्तर में स्वीकार किया है कि अकेले फर्रूखाबाद जनपद में तहसील सदर में 810-00 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें से 632.00 एकड़ क्षेत्रफल क्षतिग्रस्त हुआ और 385 कृषक तथा 458 भूमिहीन अकृषक मजदूर प्रभावित हुए हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कुल क्षति अकेले फर्रूखाबाद जनपद में कितनी हुई है और उस क्षति प्राप्त लोगों के लिये अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, अनुमानित क्षति 9,32,300 रुपये हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिये और कोई प्राविधान नहीं है कि उनको कोई मुआवजा दिया जा सके ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

जैसा कि सिंचाई मंत्री महोदय ने बताया कि अनुमानित क्षति 9,32,300 रुपये हैं । यह पानी जिसने फर्रूखाबाद को प्रभावित किया है, जहां से गंगा नदी पास होती है, उससे उन्नाव आदि जिले भी प्रभावित हुए हैं । मेरी व्यक्तिगत जानकारी को सही मानते हुए कि जो परिवार बाढ़ पीड़ित हुए उनके तीन व्यक्तियों ने आत्म हत्या कर लिया है, तो इस सूचना को सही मानते हुए क्या सिंचाई मंत्री जी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके उसकी जांच करायेंगे और यदि जांच के बाद वह सही पाया जाय तो उन परिवारों को जिन्होंने आत्महत्या कर ली है बाढ़ के कारण, उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह--

इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा । मेरी सूचना यह है नियम के जरिये किसी ने आत्महत्या नहीं की है । लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य को इसकी पूरी जानकारी है तो मुझे इसमें कतई संकोच नहीं है कि मैं दोबारा इसकी जानकारी के लिये लिख दूंगा कि बताया जाय कि आत्महत्या हुई है या नहीं हुई । और इसमें अगर पाया गया कि सूचना गलत तो निश्चित रूप से जो दोषी है उसको सजा दी जायगी । और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मुझे स्वयं कोई कमी नहीं मालूम देती वरना आत्महत्या हुई होती तो जरूर कोई सूचना आ गयी होती ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मंत्री जी ने जो जवाब दिया है और जो पहले लिख कर दिया है उसमें अन्तर है । जिलाधिकारी ने इन्कार नहीं किया कि आत्महत्या नहीं हुई, केवल अपनी अज्ञानता प्रदर्शित की है, प्रभावित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत क्षति होने के कारण आत्म-हत्या करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।'

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब यह है कि खुद थोड़े ही अपनी आंखों से जिला मजिस्ट्रेट देखेगा, वह तो जो तहसील के अधिकारी हैं या पुलिस से डिटेल मिलेगी उसी से पता चलेगा । जिलाधिकारी को कोई सूचना आत्महत्या की नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या वह सूचना प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यही तो आश्वासन दिया है कि फिर एक मर्तबा माननीय सिंचाई मंत्री जिलाधिकारी को लिख देंगे कि इस समाचार की फिर से जांच करके बतावें ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस बाढ़ से केवल फर्रुखाबाद जनपद ही नहीं, बल्कि उन्नाव जनपद का लगभग 40 मील क्षेत्र गंगा जी की बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जितने भी किसानों की जायद फसल ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि थी वह सब नष्ट हो गयी है और उन्होंने जो रुपया ब्याज पर लिया था उसको अदा करने की स्थिति में नहीं हैं । उनके सामने खाने की समस्या पैदा हो गयी है, तो इसका कोई हल खोजने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न फर्रुखाबाद तक था, इसलिये माननीय मंत्री जी के पास उन्नाव की सूचना नहीं हो सकती ।

जो दूसरा प्रश्न है कि जहां गंगा की बाढ़ से क्षति हुई है उनकी मदद करने पर मंत्री जी विचार करेंगे तथा मंत्री जी आप किसी योजना पर विचार करेंगे इस संबंध में ?

श्री बलबीर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि यह कोई नयी घटना नहीं है । बरसात के मौसम में पानी बहुत ज्यादा आता है जमीन में भरा रहता है । उसके बाद जब वह पानी चला जाता है तो वहां ये जायद फसलें बोई जाती हैं और यह हमारा सब का भी विचार होगा कि अगर फिर वहां पानी आ जाता है तो फसल डूब जाती है । यह नहीं है कि एक ही जगह का मामला है । वह तो जहां-जहां दरिया हैं गंगा-जमुना घाघरा, गंडक, वहां इस तरह की बाढ़ आती रहती है और इसके संबंध में कोई योजना बनाना मैं समझता हूं किसी तरह भी संभव नहीं हो सकता ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो आकस्मिक आपत्ति निधि है प्रांत में, जिलों में भी वह क्यों उचित नहीं समझते कि आकस्मिक आपत्ति निधि में से 72,803 रुपया जो ऋण इस प्रकार का है वह माफ कर दिया जाय । साथ ही साथ इस प्रकार का ऋण अगर कोआप-रेटिव्स के जरिये से सहकारिता के जरिये से दिया गया है, वह बैंकों में हर जिले में इसके लिये होता है कि ऐसे ऋण माफ कर दिये जाते हैं । तो ऐसी बातों पर विचार किया गया है या नहीं और सरकार का क्या रुख है ?

श्री बलवीर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्रा जी ने जो अभी कहा उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। फिलहाल ऋण की अदायगी रोक दी गयी है। इसके अलावा अभी और किसी चीज पर विचार नहीं किया है।

श्री अजीतसिंह सेठी (जिला मेरठ)--

यह बताया गया कि 72,930 रुपया बैंकों का ऋण है, इसके अलावा वे लोग अपनी तरबूज, खरबूजा और ककड़ी आदि की फसल बोने के लिये जो ऋण आढ़तियों से लेते हैं वह कितना है ? क्या उसकी कोई सूचना है मंत्री जी को ?

श्री बलवीर सिंह--

मान्यवर, इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह बताया गया कि 632 एकड़ जमीन नष्ट हो गयी। वह जमीन भूमिधरी या सीरदारी की शक्ल में उनके पास रही होगी। तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो सरकारी लगान उनको उस भूमि का देना हो वह उनको न देना पड़े, उसे सरकार माफ कर दे ?

श्री बलबीर सिंह--

अभी तक मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि वह जमीन उनके पास किस तरह की थी।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (क्रमागत)†

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं विरोध पक्ष की इस राय से सहमत हूं कि जनतंत्र में नामजदगी की प्रथा समाप्त होना चाहिये। हमारी सरकार को भविष्य में इस प्रथा को समाप्त करने पर विचार करना पड़ेगा। जितनी जल्दी इस प्रथा को समाप्त किया जायेगा उतनी जल्दी प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर आपको नामजदगी करनी ही थी तो 9 महीने तक आप कहां बैठे रहे ? यह बताना है कि हमारी सरकार सक्रिय नहीं है। यह निष्क्रियता निश्चय ही हमारे दल के लिये एक कलंक है। मंत्रिगण अगर सजग रहते तो जिस तरह से आज नौकरशाही हावी है वह न हो पाती और यह दुर्दिन आज देखने के न मिलता। जो मूल अधिनियम की धारा 17 में संशोधन किया जा रहा है उस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जैसा आदमी जो गांव में रहता है और किसानी भी करता है वह निश्चित रूप से यह समझता है कि इस विधेयक से अहित होने जा रहा है। हमने चुनाव घोषणा-पत्र में बिक्री-कर को समाप्त करने की घोषणा की है। यह जो मंडी शुल्क है, आपने एक तरफ तो बिक्री-कर को समाप्त करने की बात की लेकिन दूसरी तरफ लगाया। हमारे जैसे लोग, जिन्होंने डाक्टर राम मनोहर लोहिया के चरणों में बैठ कर शिक्षा ली, उन्होंने कहा था कि अनाज पर से बिक्री कर हटाया जाय।

---

†4 अप्रैल, 1978 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मंडी शुल्क सन् 64 में लगाया गया था। उस समय शासन की मंशा एक ही थी कि किसानों को बाजार में उचित मूल्य मिले। और उचित मूल्य मिलने के लिये यह था कि जब प्रतिद्वंदिता होगा खरीदारी में तो मूल्य अधिक मिलेगा। अधिक प्रतिद्वंदिता अधिक दाम। इस सिद्धांत के ऊपर यह विधेयक लाया गया था और सरकार ने कर्मचारी नियुक्त किये थे। उनका काम था कि उत्पादनकर्ता जो माल लाता है उसमें प्रतिद्वंदिता गहरी करवाना। नीलामी होती थी। बोली होती थी और जो अधिक बोली बोलता था उसको माल दे दिया जाता था। सरकारी कर्मचारी चूंकि किसानों को राहत दिलाने के लिये काम करते थे तो उनको क्रेता से जो व्यापारी वर्ग होता था एक या डेढ़ परसेंट शुल्क मिल जाता था। आपने (ख) में किया है कि:—

"मंडी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री के सौदों पर मंडी शुल्क जो क्रेता द्वारा इस प्रकार विक्रय किये गये कृषि उत्पादन के, मूल्य के एक प्रतिशत से कम और डेढ़ प्रतिशत से अनधिक ऐसे दर पर देय होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अभिदिष्ट करे, लगाना और वसूल करना। साफ मकसद था कि जब कोई सौदा मंडी में तब भी शुल्क क्रेता से वसूल किया जायगा अब जो आपने अध्यादेश किया उसमें व्याख्या में इसका उल्लेख नहीं किया है। आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह अन्य चीजें जो आपने जोड़ी हैं इस पर हमारे मंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया है। यह नौकरशाही की मनोवृत्ति का परिचायक है।

आज नौकरशाही चाहती है कि हमको भ्रष्टाचार का मौका मिले। और भ्रष्टाचार करने के लिए इसको जोड़ दिया है। पहले जो अढ़तिया था शुल्क लेता था। आप गांवों तक अब जायेंगे। किसान अगर किसी व्यापारी को बेंचता है तब मंडी शुल्क वसूल होगा। गांव तक कहां जायेंगे। मैं तो कहता हूं कि बलिया शहर में ही जो कर्मचारी आपके काम करते हैं वह जिले का जितना शुल्क आता है उसका 3/4 खा जाते हैं। अगर इसमें गांव तक का आपने अधिकार दिया तो इतना भ्रष्टाचार फैलेगा कि आप रोक नहीं सकेंगे, कर्मचारी खायेंगे और शुल्क नाम मात्र को आयेगा। अगर आढ़तिया से व्यापारी खरीदेगा तो फिर वह देगा मंडी शुल्क। वह व्यापारी दूसरे व्यापारी को बेचेगा तो मंडी शुल्क देगा। तीसरे को बेचेगा तो फिर मंडी शुल्क देगा। अगर उपभोक्ता को बेचेगा तो मंडी शुल्क देगा।

श्री अध्यक्ष—

शम्भू नाथ जी थोड़ा संक्षेप में कहें। खंडों पर भी विचार होगा और माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जितनी शीघ्रता से आप कहें उतने समय में खत्म कर दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप तो सूत्र में बोलने वाले हैं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

अब व्यापारी उपभोक्ता को बेचेगा। यदि आप भी बाजार में चावल खरीदने गये तो आप भी उससे बचने वाले नहीं हैं। मंडी शुल्क आपको भी देना पड़ेगा। किसान ने मजदूर उपभोक्ता को बेचा तो मजदूर से मंडी शुल्क वसूल होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि विधान मंडल के लोगों से बात चीत किये होते तो यह बात नहीं आती। हम लोग इसका क्षेत्र में क्या जवाब देंगे। इसलिये यह विचार रखा और संशोधन भी लाये हैं कि यदि यह धारायें हटा दी जायं और जैसा पूर्ववत् वसूल होता रहा वह हो तो हमको दिक्कत नहीं होगी। इसलिये निवेदन है कि जो धारा 17 का संशोधन है उसको करें और बाकी को हटा दें।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मंडी समिति का जो संशोधन प्रस्तुत है मैं उसमें कुछ कहना चाहता हूं कि मंडी समितियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है चूंकि हमारे व्यापारियों और गांव-गांव के किसानों के बीच में मंडी समितियां एक कड़ी का काम कर रही हैं । दूसरे समिति के चुनाव जो एक वर्ष के लिये टाले जा रहे हैं जिनकी जगह एक तदर्थ समिति बनाने की बात इस संशोधन में कही गयी है जिसमें 3 सदस्यों का चयन सरकार की तरफ से होना है । मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मंडी समितियों का काम इतना व्यापक है जिसको देखने के लिये तथा कहीं-कहीं इतने लम्बे इलाके उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं कि तीन सदस्यों से काम नहीं चलने वाला है । इसलिये मैंने इस बात का संशोधन रखा था कि जो 3 सदस्यों की तदर्थ कमेटी बनाने की बात है उसमें तीन के बजाय 7 सदस्यों की कमेटी बना दी जाय जिससे काम करने में सरलता होगी और सुदूरवर्ती गांव के किसानों को उसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा । नगरों में आज मंडी समिति का केंद्र है । तो कहीं ऐसा न हो कि व्यापारी मंडल के ही 3 सदस्य उसमें शामिल हो जाय और किसान उससे वंचित रह जाय और कहीं किसानों के प्रतिनिधि ही आ जाय और व्यापारी रह जायं । इसलिये निवेदन है कि 3 सदस्यों के बजाय माननीय सदन उसको बढ़ाकर 7 सदस्य करने की कृपा करें । आपने देखा होगा कि जनता पार्टी की सरकार जब से आयी है मंडी समितियों का काम सराहनीय रहा है और गांवों में लगभग तीन हजार कि0मी0 सम्पर्क मार्गों का निर्माण हो चुका है । इसके अलावा मंडी समितियों का जो धन है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा था, 65 प्रतिशत विकास के कामों में सुरक्षित रहेगा । इसलिये जिम्मेदारी सरकार की बढ़ती है जिसको देखते हुए सदन गम्भीर विधेयक पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके 3 सदस्यों के बजाय 7 सदस्यों की कमेटी बनाने का निर्णय ले । मैं इसके साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 प्रस्तुत किया उसमें उत्पादन मंडी समितियां इसलिये बनी थीं कि उससे किसानों का लाभ होगा लेकिन धीरे-धीरे जो संशोधन आप करते आ रहे हैं वह किसानों के लिये यह मंडी समितियां एक प्रकार से अभिशाप सिद्ध होती जा रही है । इसमें जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं तो गांव में देखे तो बड़ा अजीब लगता है । यह कब से लागू होगा, लागू होगा 12 जून, 1973 से । यानी यह रिट्रासपेक्टिव है । उस समय से यानी 1973 स जितना भी माल बचा गया है माननीय मंत्री जी उस पर कर वसूल करना चाहते हैं । मान्यवर, आप देखें 1973 से किसके पास उसका हिसाब किताब होगा, किसने उसका हिसाब किताब रखा होगा । मैं नहीं समझ पाया कि यह मंडी समिति किसान के लाभ के लिये है या उसको दंडित करने के लिए । मैं तो चाहूंगा कि इस तरह का संशोधन आप वापस ले लें ।

मान्यवर, केवल यही नहीं जब शुरू में मंडी समिति बनी थी तो उद्देश्य यह था कि किसानों की जो लूट होती है आढ़तियों और व्यापारियों द्वारा उससे उनकी रक्षा की जाय । किसानों से धर्मादा, तुलाई और पता नहीं किस-किस नाम से उनसे वसूल किया जाता था मंडी समिति बनने के बाद यह सारी चीजें खत्म हों । लेकिन मंडी समिति 1 परसेंट किसान से लेती है और डेढ़ परसेंट क्रेता से लेती है वह भी किसान को ही देना पड़ता है क्योंकि किसान आढ़तिया के चंगुल में फंसा होने के कारण मजबूर है । मैं तो चाहूंगा कि सरकार कोई ऐसा संशोधन करती जिससे किसानों की आढ़तियों से रक्षा हो सकती । मान्यवर, एक तरफ तो यह बिक्री कर हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ 1973 से पुराना बकाया वसूल करने की बात करते हैं । अब आप देखें कि एक मंडी विकास निधि बनायी जायेगी और उसी के साथ-साथ तदर्थ समिति बनायी जायगी जिसमें जिनको मंत्री जी चाहेंगे सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे । इस पर यह कहावत पूरी तरह लागू होती है मामा का दाल चावल और

[श्री देव बहादुर सिंह]

नाना का श्राद्ध। जब यह जनता सरकार बनी थी तो उनके सामने एक मुद्दा था कि कांग्रेस सारी शक्ति केन्द्रित करती जा रही है। इन्होंने वायदा किया कि तदर्थ नियुक्तियां नहीं करेंगे। चाहे स्थानीय निकाय हों जिला परिषद हों या और हों। लेकिन यह भी वही काम कर रहे हैं। हमें तो डर है कि मालवीय जी भी कहीं तदर्थ समिति न बना दें। मान्यवर, यह इनका दोष नहीं बल्कि इन पर दबाव पड़ेगा ऐसा करने के लिये। कांग्रेस के जमाने में तदर्थ समितियां बना दी गयीं, गन्ना समितियों की जगह तदर्थ समितियां बना दी गयी....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया इसका दायरा न बढ़ावें।

श्री देवबहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो तदर्थ समितियां बना रहे हैं तो क्या उनमें विरोध पक्ष के लोगों को भी रखेंगे। मैं तो कहता हूं कि क्यों नहीं यह चुनाव करा देते। आप मंडी विकास निधि के नाम पर रुपया लेना चाहते हैं। मैं कहता हूं, कुछ दिन बाद उसकी जांच होगी क्योंकि उसका अपव्यय होगा, दुरुपयोग होगा। इसलिए जब तक कि चुनाव न हो जायं तब तक जो स्थिति है वही रहने दी जाय। जब जनता द्वारा चुने हुए लोग मंडी समितियों में आ जायं तभी यह शुरू हो। एक बात और कहना चाहता हूं, मान्यवर, और सड़कों के बनाने के बारे में है। सड़कों पर मिट्टी पड़ रही है। मैं तो यह चाहता था कि जहां मिट्टी पड़ती है मण्डी समितियों के माध्यम से, वहां उन्हें पक्की भी कराने की बात करें। कितना पैसा आप दे रहे हैं कितना पैसा पी0 डब्लू0 डी0 दे रही है---इसको देखें वैसे इस बजट में प्रावीजन है। लेकिन वह इतना कम है जितनी सड़कें बन रही हैं, वे सभी उससे नहीं बन पायेगी। कृपया इसके बारे में माननीय मंत्री जी अपने जबाव मे बताने का कष्ट करेंगे।

इसी तरह से कुछ मण्डी स्थल और भी बने हैं। दूकानें बना दी जाती हैं, लाखों रुपया उनमें लगा दिया जाता है। लेकिन उनका किराया इतना मंहगा कर दिया गया है, कि कोई उनमें बैठने के लिये तैयार नहीं होता। तो उसके बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि जहां मण्डी स्थल बनायें तो वहां किराया इतना निर्धारित करें जो कि उनकी पहुंच के अन्दर हो।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो यह काला कानून का संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसको वापस करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, इसका समर्थन करने के लिये और जो इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया गया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, वर्तमान सरकार ने यह विधेयक लाकर कृषि उत्पादन मंडी के संबंध में बड़ा प्रभावी कदम उठाया है। मान्यवर, लाखों रुपया मण्डियों के पास जमा था जिसको किसानों के हित के लिये सम्पर्क मार्ग बनाने के लिये इसके द्वारा इस्तेमाल किया जायेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ और भी बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, यह विधेयक पहले एक अध्यादेश के रूप में आया था। मान्यवर, उसकी बड़ी जरूरत समझी गयी होगी, इसलिये ऐसा किया होगा। लेकिन कई महीने हो जाने के बाद भी तदर्थ समितियों में नामांकन नहीं किया गया। वैसे निर्वाचन होता तो बहुत अच्छा होता लेकिन शासन ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किन्हीं परिस्थितियों के कारण यह उचित समझा कि निर्वाचन कराया जाय तो तदर्थ समितियों का नामांकन अब तक अवश्य हो जाना चाहिये। उसके न होने के कारण, मान्यवर, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वह यह है कि इस समय मण्डी निदेशालय में गम्भीर भ्रष्टाचार पल रहा है। उस पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। जब तक जनता के आदमियों को गैर सरकारी व्यक्तियों को उसमें नामांकन नहीं किया जाता उस पर नियंत्रण नहीं होगा, मान्यवर, उसके लिये मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मान्यवर, सीतापुर मण्डी के निर्माण में भीषण भ्रष्टाचार किया गया। स्थल का चयन उसका निर्माण.....मान्यवर भट्ठे की जमीन ले ली गयी। लाखों रुपये भट्ठे की पटाई में खर्च कर दिया गया। विधायक होने के पश्चात, मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा कि माननीय कृषि मंत्री जी कृपया इसकी ओर ध्यान देने की कृपा करें। स्थल के चयन के बारे में, जमीन की पटाई के बारे में, और भवन निर्माण के बारे में जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में कृपा करके जांच करायें। 25 अगस्त को मैं माननीय मंत्री जी के पास गया। मंत्री जी ने जांच के आदेश दिये। लेकिन, मान्यवर, मेरी जानकारी थी कि पूरा निदेशालय भयंकर भ्रष्टाचार में जुटा हुआ है। कहीं मेरा शिकायती-पत्र दबा न दिया जाय। इसलिये उचित होगा कि उसके लिये 2 सप्ताह या 3 सप्ताह समय निर्धारित कर दिया जाय। मैं फिर भयभीत था। उन्होंने लिख दिया कि जांच के समय क्षेत्रीय विधायक से परामर्श कर लिया जाय। लेकिन इतनी अवधि हो गयी, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुयी। 10 यों बार मैंने माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया। जब मैंने मंत्रीजी से कहा तो उन्होंने अपने सचिव को टेलीफोन किया। लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि मेरा शिकायती-पत्र ही दबा दिया गया—विभाग ने उसको गायब कर दिया। मैंने ऊब कर प्रश्न की सूचना दे दी। मैंने यह प्रश्न पूछा कि मेरे शिकायती-पत्र पर क्या आदेश दिये गये। लेकिन जो कर्मचारी और अधीनस्थ अधिकारी वर्ग है उनके द्वारा गलत सूचना के आधार पर उत्तर दिया गया। कागज तो इस वक्त मेरे पास है नहीं, लेकिन उसमें लिखा है कि जांच के आदेश दे दिये गये हैं। क्या आदेश दे दिये गये हैं इसका पता नहीं है।

मान्यवर, मेरा शिकायती-पत्र गायब हो गया जिसकी जांच नहीं हुई। आज तक कोई मंडी निदेशालय का सचिव, वहां का निदेशक इस बारे में परामर्श नहीं करने आया। इसकी जांच करनी आवश्यक है कि मेरे द्वारा भेजा गया शिकायती पत्र कैसे गायब हो गया। माननीय राज्य मंत्री जी स्वयं वहां पर गये थे। उन्होंने खुद मुझको जानकारी दी कि तुम्हारे यहां मंडी में बड़ी गड़बड़ी हुई है मेरे हाथ लगाने से सीमेन्ट का प्लास्टर गिर पड़ा था। मैंने पूछा आपने स्वयं देखा, आपने कहा नमूना लेकर आया हूं। उसके बाद एक दिन मेरी प्रार्थना पर राज्य मंत्री जी स्वयं वहां गये। वहां पर एस0 डी0 एम0 प्रभारी हैं। मुझे आश्वासन दिया गया कि इसकी जांच हो रही है लेकिन मुझे आज तक उस जांच की रिपोर्ट जांच की किसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिली। और आगे देखिये। माननीय राज्य मंत्री जी जब वहां गये मुआयना करने के लिये तो वहां का सचिव इतना हठी था मान्यवर, कि स्वयं मंत्री जी के ही मंडी स्थल पर उनसे मिलने नहीं आया। मैंने पूछा क्यों नहीं आये, उसने कहा सूचना नहीं थी। एस0 डी0 एम0 तो मंडी स्थल पर पहुच गये लेकिन सचिव ने इसकी जरूरत नहीं समझी। मैंने मंत्री जी को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि वह तो रिवर्ट हो रहा है। आज भी मूंछों पर ताव दे कर सचिव अपनी जगह पर आसीन है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है मंत्रियों में। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जनप्रतिनिधियों का नामांकन तत्काल किया जाय जिससे कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगे। दूसरी बात.....

श्री अध्यक्ष—

अब इतने विस्तार में.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, चार बातें कह कर समाप्त कर रहा हूं। दूसरी बात इसमें कही गयी है कि तदर्थ समिति में नामांकित किया जायगा लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कौन होंगे यह बात सही है कि किसानों के हित में मंडियों का निर्माण हुआ था इसलिए यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि तीन में से कम से कम दो काश्तकार होंगे, व्यापारी भी साझेदार होता है व्यापारी को भी रखा जायेगा, किसानों को भी नियुक्त किया जायगा।

एक बात और। जो नया संशोधन हुआ है उसमें बिक्री कर की बात भी कही गयी है। मान्यवर, मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा इसे एक सूत्रीय बनाया जाय बहुसूत्रीय नहीं, जैसा कि एक प्रतिशत और डेढ़ प्रतिशत की बात इसमें कही गयी है और इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाय। ऊपर जो भ्रष्टाचार की बात कही गयी है उसकी जांच करके मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसकी जानकारी दी जाय। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री अली असगर हुसैन (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मंडी समिति अधिनियम कोई नई चीज नहीं है। सन् 22 में एग्रीकल्चर रायल कमीशन के सामने किसी न किसी फार्म में यह मसला आया था। उसी के रिकन्मन्डेशन से आज तक जितने एग्रीकल्चर कमीशन हमारे स्टेट में हमारे मुल्क में बैठे उसने इसकी ताईद की। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है जैसा मेरे मित्र ने कहा कि काश्तकार को कोई अच्छी कीमत दिलाई जाय इसका मकसद यह है कि किस तरीके से काश्तकार को नाजायज चीजों से छुटकारा दिलाया जाय। इसका मकसद अच्छा है।

अब बिक्रीकर की जो बात है यह हमारे ही स्टेट में नहीं है। और स्टेटों में भी है जैसे हरियाणा, पंजाब। अध्यक्ष महोदय, यह मंडी अधिनियम जो है इसको जिस फार्म में रखा गया वह फार्म रहना चाहिए। इस पर जो शुल्क लगाया गया है वह तमाम जो और स्टेटस हैं उनके मुकाबले में बहुत है। असली में अध्यक्ष महोदय, इसकी पोजीशन यह है इसे तय करना होगा कि मंडी में जो काश्तकार का अनाज आता है उसमें पहले एक दफा टैक्स लगा करता था लेकिन पिछली सरकार ने यह किया कि जितनी बार जिस मंडी में वह जायगा उस पर टैक्स लगेगा। देखने में यह चीज अजीब लगती है लेकिन मैं इसकी ताईद करता हूं। इसमें हम एक दफा जब टैक्स ले चुकते थे तो दूसरी मंडी में बहुत बड़ा टैक्स नहीं लगा करता था। इसलिये पिछली सरकार ने यह टैक्स लगाया। अपनी सरकार से मैं कहूंगा कि इसे कायम रखा जाय।

शुरू में यह ऐक्ट में था कि मंडी यार्ड में इसका एप्लिकेशन होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि तमाम ट्रांजेक्शंस जो मंडी एरिया में होते थे मंडी यार्ड ट्रांजेक्शंस को मंडी एरिया में डाल दिया गया जिससे शुल्क की बड़ी हानि हुई। अब इस कानून को इसलिये सख्त बनाया जा रहा है कि हमारे व्यापारी भाई काश्तकार के साथ इंसाफ नहीं करते। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बिक्री टैक्स नहीं है। यह काश्तकार के फायदे के लिये है। फायदा पहुंचाने के लिये पैसे की जरूरत होती है, उसके लिये कानून के जरिये टैक्स तो लगाना ही होगा। यह टैक्स पहले काश्तकार दिया करता था अब इसे व्यापारी देगा जो परचेज करता है। इसमें काश्तकार को कोई नुकसान नहीं है। सामने वालों ने यह कहा कि भाई इलक्शन नहीं हो सका। हमारी सरकार को आये अभी एक ही साल हुआ है। आपने तो पहले नामिनेशन कराया, फिर उसे भंग कर दिया और कलक्टर के सुपुर्द कर दिया। हमको जरा समझने दें और हम जरूर इलेक्शन करायेंगे, हमारी नीति है इलेक्शन कराने की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री महोदय से मैं यह कहूंगा कि उनके पास अधिनियम है। 3, 5 और 7 के चक्कर में आप क्यों पड़ते हैं? हर मंडी के कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके जरिये से मेम्बर साहबान को लेना है, उसी तरह से आप क्यों नहीं ले लेते हैं, 5 और 7 के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? जैसी मंडी है जो सदस्य उसके होने हैं, वह हों। इसके ऊपर कोई विरोध नहीं होना चाहिये। जो संशोधन बिल पेश हुआ है उसे मंजूर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर आप विवाद समाप्त किया जाता है और खंडों को लिया जायगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस संशोधन के ऊपर चर्चा में भाग लिया। इस पर कोई लम्बी बात करने जरूरत नहीं है, सारी चीजें माननीय सदन के सामने आ चुकी हैं। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि नौकरशाही जिस तरह से क, ख, ग पढ़ा देती है उसी तरह से आप मंजूर कर लेते हैं। धारा 17 को श्रीमन् जरा देखने का कष्ट करेंगे। मैं स्वयं किसान हूं। हर किसान मंडी क्षेत्र में बैठ कर अगर कोई बेचेगा तो उसके ऊपर एक परसेंट से डेढ़ परसेंट तक टैक्स यानी मंडी शुल्क लग जायगा। इस वक्त किसान अपने घर से बेचता है, वह व्यापारी शहर में लाकर उसे बेचता है तो व्यापारी पहले से ही उसमें किराया और मुनाफा काट लेता है और अब वह डेढ़ फीसदी शुल्क भी काट लेगा तब किसान से वह भाव तय करेगा। फिर 12 जून, 73 से यह वसूल होगा। अधिकारी वर्ग ने अपने इंसपेक्टर की परवरिश करने के लिये यह नई धारा जोड़ दी है और यह अधिकार उसे दिया है कि हर किसान के घर जाकर वह देखेगा कि 12 जून, 73 से उसने आज तक कितनी बिक्री की और किस चीज की बिक्री और सबका हिसाब किताब बना कर वह उससे कहेगा कि तुम्हारे ऊपर इतने हजार रुपया वाजिब हो गया। तो जैसे लगान आदि की वसूलियों के खाते बनते हैं उसी तरह से इसके भी नये खाते बन जायेंगे। एक बात यह है कि मंडी क्षेत्र के स्थान पर यदि मंडी स्थल होता और वहां पर किसान अपनी चीज लाता तो ज्यादा उचित था .....

श्री अध्यक्ष—

आपको जो अधिकार है आलोचना का उसी तक सीमित रखें। आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

इस वजह से जो धारा इसमें जुड़ी हुई है उसके सम्बन्ध में मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर यह प्रवर समिति में नहीं आया तो हम अपने गले को अपने हाथ से काट लेंगे और जिस किसान का हम प्रतिनिधित्व करते है उसके गले में छुरी चलायेंगे।

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपने भाव व्यक्त किये उनमें मुख्यत: इस बात पर बल दिया गया है कि अभी तक चुनाव नहीं कराये गये। मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 10–12 साल से हमारे जो साथी उधर बैठे हुये हैं जब उनकी सरकार थी, उन्होंने आज तक चुनाव नहीं कराये और हमने केवल इस कारण कि नया गांव समाज बन जाय क्योंकि इस बीच में लोगों की बदलती हुई परिस्थितियों में जो नये लोग आयें उनकी आशायें उसमें व्यक्त हों, उनके प्रतिनिधि उस मंडी समिति में आयें। इस कारण हमने इसको अभी तक हटा दिया है। हम चाहते हैं कि नया गांव समाज जो बने, नई मंडी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धीरेन्द्र सहाय]

समितियां गठित हों उसमें उनका सही प्रतिनिधित्व हो। साथ ही साथ चूंकि जिला परिषदें भी भंग हो गयी थीं और जिला परिषदों के सदस्य भी इसके वोटर होते हैं, एक लिहाज से इस लिये भी वह इनकंप्लीट हैं। जो वोटर हैं वे भी पूरे नहीं हैं। इसलिये चुनाव कराने में दिक्कत थी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा चुनाव हटाने का नहीं है ज्यों ही गांव समाज के चुनाव हो जायेंगे उसके तुरन्त बाद ही हम मंडियों के चुनाव करा देंगे।

मान्यवर, अभी माननीय रियासत साहब ने प्रापर्टी खुर्दबुर्द करने वाली बात कही और ऐतराज किया तदर्थ समितियों के सम्बन्ध में, तो तदर्थ समिति अगर कहीं गठित होती है तो वह रियल रिप्रिजेन्टेटिव आफ पीपुल नहीं होगी। उसको यह अधिकार नहीं दिया है कि वे खुर्दबुर्द कर सकें। जो चुने हुये लोग आयेंगे उनको ही अधिकार है। मुरादाबाद की मंडी समिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो अपनी राय व्यक्त की, उसके सम्बन्ध में मैं स्वयं वहां गया था और जहां उस मंडी का सम्बन्ध देहात से है, एक बाई-पास रोड वह बनने जा रही है मुझे ऐसा अवगत कराया गया कि वह जल्दी ही बन जायेगी। उससे मैं समझता हूं कि हमारे किसानों को किसी किस्म की असुविधा नहीं रहेगी। मान्यवर, यह एक आशंका व्यक्त की गई कि इसके आने के बाद गांवों के लोगों को परेशानी पैदा हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि हमने कोई नयी बात नहीं की है यह जो पिछली सरकार ने नियम बनाये थे और जिस ढंग से रियलाइज कर रहे थे उसी ढंग से ऐक्ट में प्रोवीजन कर दिया है। कोई नई बात हमने नहीं की है। जो मंडी शुल्क हम लोगों को मिला है उसके लिये कोशिश की है कि इसका सदुपयोग करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों की सबसे बड़ी आशंका यह है कि इसको 1973 से आप लागू करना चाहते हैं और इससे भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकता है। जो डेढ़ परसेंट है इसकी वसूलयाबी 4–5 साल की करेंगे तो कौन इसको देगा इस पर आपका दिमाग साफ होना चाहिये इस बात को माननीय सदस्यों को स्पष्ट बता दें।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, यह 1973 तक सेलर पर और उसके बाद परचेजर पर कर दिया गया इसलिए इसको जून, 1973 से किया है। लेकिन इसमें हमारी कोई मंशा नहीं है कि गांवों के लोगों से लेंगे लेकिन यह जरूर है कि जिन्होंने वसूल कर लिया है और जिन पर देय है उनको तो देना ही होगा।

श्री देवबहादुर सिंह—

1973 से वसूल करने की बात आपने क्यों रखी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—

दुकानदारों ने जिन्होंने ले लिया है उनको जरूर देना पड़ेगा उसका रिकार्ड है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी इसको पारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

रियासत हुसैन साहब आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन—

नहीं, साहब मैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहिये। आपस में बात मत कीजिये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा जो प्रस्ताव था उस पर चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर तो कोई दिया नहीं। मान्यवर, चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 4, 5 ब्लाकों की एक मंडी समिति होती है। मेरी बात का राजकुमार जी ने भी समर्थन किया उन्होंने भी कहा है कि भ्रष्टाचार फैला है और चुनाव होने चाहिये। तो मेरी राय में तो चुनाव करा दिये जाने चाहिये क्योंकि पंचायतों का चुनाव होने वाला है उस आधार पर न टाला जाय। इसमें कोई जनरल इलेक्शन की तरह तो है नहीं कि लाखों के वोट पड़ेंगे। इसमें टोटल वोट डेढ़ सौ से ज्यादा नहीं पड़ेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि इसे एक औपचारिक सम्मान का सवाल न बनाया जाय। चार महीने हो गये हैं। अगले 8 महीने के अन्दर चुनाव करा दें।

एक सदस्य—

मेरा भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, यह निवेदन का मौका नहीं है।

(व्यवधान)

आप सुनिए, आप बिना नियम के खड़े होते हैं। इस पर जिन लोगों ने संशोधन रखा है वह बोल रहे हैं। इसमें आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

श्रीमन्, यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मुझे तो वापस लेना ही होगा, यदि मंत्री जी नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं दल की मर्यादा में बंधा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड–2

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का संशोधन ।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में,—

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के दिनांक से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिये या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संघटन होने तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक ऐसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान हो या उक्त अवधि में इस प्रकार घोषित किये गये हों, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, अर्थात्:—

(क) उप खण्ड (ङ) में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी मंडी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट की जाने वाली तदर्थ समितियों द्वारा किया जायगा;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तदर्थ समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक को सभापति पदाभिहित किया जायेगा;

(ग) राज्य सरकार किसी भी समय तदर्थ समिति के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नया नाम निर्देशन करके बदल सकती है ;

(घ) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदर्थ समिति को सभी प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति समझा जायगा,

(ङ) तदर्थ समिति मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन नहीं करेगी;

(च) यदि तदर्थ समिति के सदस्यों में कोई मतभेद हो तो बहुमत का विनिश्चय मान्य होगा;

(छ) राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध जिसमें

उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी सम्मिलित है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है जो उसे पूर्ववर्ती या सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ;

(ज) खण्ड (क) और (ख) के अधीन तदर्थ समिति नाम निर्दिष्ट किये जान तक, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मण्डी समिति के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रवृत्त प्रबन्ध बना रहेगा।"

(दो) उपधारा (2) में, शब्द 'खण्ड (घ)' के स्थान पर शब्द 'खण्ड (छ)' रख दिये जायेंगे।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 2 में प्रस्तावित उपधारा (1) की चौथी पंक्ति में शब्द "लिए" के बाद का समस्त अंश निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"लागू होंगे तथा इस अवधि में उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन कर दिया जायगा।"

श्रीमन्, इस पर केवल एक वाक्य में मैं कहना चाहता हूं ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि मेरी और रियासत हुसैन जी की चर्चा में विस्तार से इसका उल्लेख हो चुका है, मतलब यही है कि इस व्यवस्था को लागू रखा जाए और हम सीधे-सीधे यह घोषणा करें कि 8 मास के अन्दर नई समितियों के चुनाव करा दिए जाएंगे।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय सदस्य इसे वापस लेना चाहते ह ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

चूंकि इस पर चर्चा हो चुकी है, मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 2 में प्रस्तावित उप धारा (1) का खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) निकाल दिए जायं।

मान्यवर, टेकनिकली यह उसी धारा से संबंधित है।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य क्या अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं यह अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 2 में प्रस्तावित उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "सात" रख दिया जाय।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मैंने इसे स्वीकार किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 2 में प्रस्तावित उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "सात" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 2 में प्रस्तावित उपधारा (1) के खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ज) खंड (1) के अधीन निर्वाचित मंडी समिति के गठित होने तक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मंडी समिति के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये प्रवृत्त प्रबन्ध बना रहेगा।"

श्री धीरेन्द्र सहाय—

जी नहीं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने "जी नहीं" सीख लिया है। मैं माननीय मंत्री जी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहनवीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3 व 4

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्— उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

"(भ) 'व्यापारिक परिव्यय' का तात्पर्य किसी भी नाम से कहे जाने वाले किसी ऐसे परिव्यय से है जो, व्यापार की किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या ऐसी रूढ़ि या प्रथा के नाम पर अन्यथा, किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के संबन्ध में किसी व्यापारी द्वारा वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो या उसको देय हो।

स्पष्टीकरण—नमूने से क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने के कारण, या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में मानक से अन्तर होने के कारण, अथवा वास्तविक और मानक माप या तौल में भिन्नता के कारण, की गयी कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायगी।"

4—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्— धारा 9 का संशोधन

"(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में जिसे किसी बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा दी गयी धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी या दृष्टिबन्धक रखा जाय, लागू न होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द 'बैंक' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिए दिया गया है।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 और 4 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 5

धारा 17 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (तीन) में, उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जायगा और दिनांक 12 जून, 1973 में रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(ख) मंडी शुल्क, जो मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदे पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के एक प्रतिशत से कम और डेढ़ प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लगाना और वसूल करना, और ऐसा शुल्क निम्नलिखित रीति से वसूल किया जायगा:—

(1) यदि उत्पादन आढ़तिया के माध्यम से बेचा जाये तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी शुल्क वसूल कर सकता है और वह समिति को उसका देनदार होगा ;

(2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पादन क्रय करे तो व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा;

(3) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मंडी शुल्क का देनदार होगा;

(4) यदि व्यापारी सीधे उपभोक्ता को उत्पादन बेचता है तो व्यापारी उपभोक्ता से मंडी शुल्क वसूल कर सकता है और व्यापारी समिति को उसका देनदार होगा ;

(5) यदि उत्पादक उपभोक्ता को उत्पादन बेचता है तो उपभोक्ता समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा ; और

(6) ऐसे उत्पादन के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा।"

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 17 में खंड (तीन) में, प्रस्तावित उप खंड (ख) के भाग (4) और (5) निकाल दिये जायं।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 17 में खंड (तीन) में, प्रस्तावित उप खंड (ख) के भाग (4) और (5) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 6-7

6--मूल अधिनियम की धारा 19-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

नयी धारा 19-ख का बढ़ाया जाना

"19--ख-(1) प्रत्येक समिति के लिये एक निधि स्थापित की जायेगी, जिसे 'मण्डी विकास निधि' कहा जायगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी:--

मण्डी विकास निधि।

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मंडी समिति निधि में जमा धनराशि का पैंसठ प्रतिशत;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे इस निधि में जमा करने के लिये परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाय।

(2) मण्डी विकास निधि का उपयोग मण्डी क्षेत्र के विकास के प्रयोजनार्थ किया जायगा, और निधि से कोई धनराशि, सिवाय परिषद द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार, न तो व्यय और न विनिहित की जायगी।"

अध्याय-चार

प्रकीर्ण

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 21 सन् 1977

निरसन और अपवाद

7--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अध्यादेश 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 और 7 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसे 29 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह कहिए, जैसा कि यह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक शब्द मैं कहना चाहता हूं। वह बात तीसरे स्टेज पर यह है कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, वह अच्छा किया, कि तीन की जगह 7 ठीक होगा। थोड़ा बहुत हो गया। अच्छा ही हुआ, लेकिन इस बात का जरूर आश्वासन चाहूंगा कि जब कमेटी सरकार मनोनीत कर रही है तो उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक गाइड लाइन होनी चाहिए। तोमर जी ने जो बात कही उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। म यह सुझाव देता हूं और यह उनके समझने के लिए है कि जो ब्लाक के लोग हैं उनको बुलाकर उनकी राय ले ली जाय और विधान सभा के सदस्यों से भी राय ले ली जाय तब मनोनयन करें। हमारा ऐसा अनुभव है जहां पर कमेटी बनती हैं वहां बिल्कुल राजनैतिक रूप होता है मैं बिजली कमेटी का नाम लेता हूं। किसी से नहीं पूछा गया।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 जसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
5 अप्रैल, 1978।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1205 पर)

प्रवेश हेतु योग्यता क्रम का निर्धारण

इंजीनियरिंग एवं टेकनालाजी के उन सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने हेतु, जिनके लिये न्यूनतम प्रवेश योग्यता विज्ञान एवं गणित विषयों में 45 प्रतिशत अंकों के योग के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है, योग्यता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी द्वारा हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त पूर्ण अंकों के प्रतिशत को ही आधार माना जायेगा ।

यदि अभ्यर्थी हाई स्कूल से उच्च परीक्षा भी उत्तीर्ण है तो उसके द्वारा प्राप्त हाई स्कूल परीक्षा के पूर्ण अंकों के प्रतिशत में निम्नानुसार प्रतिशत अंकों की वृद्धि करने के पश्चात् उसकी योग्यता निर्धारित की जायेगी:—

(क) हाई स्कूल से उच्च योग्यता का लाभ:

क्रम-संख्या	उत्तीर्ण उच्च परीक्षा का विवरण	अंकों का लाभ	टिप्पणी
		प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा	25	
2	गणित एवं विज्ञान सहित इंटरमीडिएट परीक्षा ।	25	एग्रीकल्चरल इंजी0 के डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़कर शेष अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिये ।
3	केवल गणित सहित इंटरमीडिएट परीक्षा ।	10	
4	कृषि वर्ग से इंटरमीडिएट परीक्षा	10	एग्रीकल्चरल इंजी0 के डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़ कर शेष सभी पाठ्यक्रमों के लिये ।
5	केवल विज्ञान सहित इंटरमीडिएट परीक्षा ।	10	
6	कृषि वर्ग से इंटरमीडिएट परीक्षा	25	केवल एग्रीकल्चरल इंजी0 के डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु ।
7	गणित एवं विज्ञान सहित इंटरमीडिएट परीक्षा ।	10	तदैव
8	(1) विज्ञान तथा (2) गणित या स्टेटिस्टिक, सहित बी0 एस0 सी0 परीक्षा ।	10	
9	गणित या स्टेटिस्टिक सहित बी0 ए0 परीक्षा ।	5	
10	केवल विज्ञान सहित बी0 एस0 सी0 परीक्षा ।	5	

(ख) खिलाड़ियों (Sportsman) को दी जाने वाली सुविधायें:

क्रम-संख्या	पुरस्कार का विवरण	अंकों का लाभ	टिप्पणी
		प्रतिशत	
1	अखिल भारतीय स्तर के प्रथम पुरस्कार	10	सामान्यता खिलाड़ियों को चाहें, उसके पास क्रम संख्या 1 से लेकर 8 में से केवल किसी एक श्रेणी का प्रमाण-पत्र हो अथवा अधिक श्रेणियों में कई एक प्रमाण-पत्र हों अथवा किसी एक ही श्रेणी में एक से अधिक प्रमाण-पत्र हो, अंकों का लाभ केवल उसे एक प्रमाण पर ही दिया जायेगा जिसमें छात्र को सबसे उच्च लाभ प्राप्त हो।
2	अखिल भारतीय स्तर के द्वितीय पुरस्कार के प्रमाण पत्र पर।	5	
3	राज्य स्तर के द्वितीय पुरस्कार प्रमाण-पत्र पर।	2 1/2	
4	राज्य स्तर के प्रथम पुरस्कार के प्रमाण-पत्र पर।	5	
5	जिला स्तर क प्रथम पुरस्कार के प्रमाण-पत्र पर।	2	
6	जिला स्तर के द्वितीय पुरस्कार के प्रमाण-पत्र पर।	1	
7	संस्था स्तर के प्रथम पुरस्कार के प्रमाण-पत्र पर।	1	
8	संस्था स्तर के द्वितीय पुरस्कार के प्रमाण पत्र पर।	0.5	

(ग) पिछड़े हुए जिलों में स्थापित संस्थाओं से हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्रों को दी जाने वाली सुविधायें:—

शासन द्वारा घोषित प्रदेश के औदयोगिक रूप से पिछड़े हुये जिलों के छात्रों को बहुवन्धी संस्थाओं में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत प्राप्त अंकों का लाभ दिया जायेगा। यह सुविधा उन्हीं छात्रों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने शासन द्वारा घोषित औदयोगिक रूप से पिछड़े हुये 40 जिलों (अनुलग्नक–2) में स्थापित शिक्षण संस्थाओं से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अनुलग्नक—2

औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े जिलों की सूची

1—पूर्वी क्षेत्र

1—आजमगढ़
2—बहराइच
3—बलिया
4—गाजीपुर
5—जौनपुर
6—प्रतापगढ़
7—सुल्तानपुर
8—बस्ती
9—फैजाबाद
10—गोण्डा
11—देवरिया

2—पर्वतीय क्षेत्र

1—अल्मोड़ा
2—गढ़वाल
3—टेहरी गढ़वाल
4—चमोली
5—पिथौरागढ़
6—उत्तरकाशी

3—बुन्देलखंड क्षेत्र

1—बांदा
2—हमीरपुर
3—जालौन
4—झांसी
5—ललितपुर

4—केन्द्रीय क्षेत्र

1—फतेहपुर
2—हरदोई
3—रायबरेली
4—उन्नाव
5—बाराबंकी
6—सीतापुर
7—कानपुर देहात

5—पश्चिमी क्षेत्र

1—बदायूं
2—मैनपुरी
3—बुलन्दशहर
4—एटा
5—इटावा
6—मथुरा
7—फर्रुखाबाद
8—मुरादाबाद
9—शाहजहांपुर
10—पीलीभीत
11—रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1210 पर)

विवरण-पत्र

क्रम-संख्या	पदों के नाम	शासना देश संख्या 7041 ए0 एन, दिनांक 22-1-74 द्वारा सृजित पदों की संख्या	शासनादेश संख्या 1929 ए0 एन0, दिनांक 24-6-74 द्वारा सृजित पदों की संख्या	शासनदेश संख्या 2799 ए0 एन0, दिनांक 17-7-74 द्वारा सृजित पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	बेलदार	981	106	..
2	चौकीदार	438	13	..
3	क्लीनर	95	17	..
4	वाटर मैन	1	..	..
5	माली	21	..	..
6	वार्ड ब्वाय	1	..	..
7	हेल्पर	631	17	..
8	स्टोर अटेंडेंट	51	..	..
9	बोट मैन	3	..	..
10	चारा कटर	1	..	..
11	कुक	1	..	..
12	बियरर	1	..	..
13	गेज रीडर	17	..	..
14	महावत	2	..	..
15	ग्रीस मैन	1	..	..
16	स्वीपर	40	5	..
17	पेंटर	5	1	..
18	ब्लाक स्मिथ	24	6	..
19	सर्वेयर	3	..	..
20	वर्क सुपरवाइजर	141	19	..
21	टर्नर	32	10	..
22	कारपेंटर	41	2	..
23	फिटर	56	14	..
24	एलेक्ट्रीशियन	119	8	..
25	वेल्डर	37	9	..
26	ड्रिलर	85	..	..
27	मैशन	21	..	..
28	आपरेटर	421	5	..
29	टेलीफोन आपरेटर	1	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
30	मैकेनिक ग्रेड–3	128	..	139
31	चार्जमैन	9	3	..
32	असिस्टेंट फोरमैन	30	5	..
33	लाइनमैन	1	..	..
34	असिस्टेंट स्टोर कीपर	1	..	..
35	स्टोर मुंशी	23	..	..
36	हैमर मैन	1	2	..
37	ड्राइवर	131	19	..
38	लैब असिस्टेंट	12	..	..
39	फोरमैन	7	5	..
40	फिटर ग्रेड–1	..	..	3
41	वेल्डर ग्रेड–1	..	..	5
42	रिगर ग्रेड–2	..	..	73
43	रिगर ग्रेड–1	..	..	7
44	आपरेटर ग्रेड–2	..	..	53
45	आपरेटर ग्रेड–1	..	..	8
46	मैकेनिक ग्रेड–2	..	..	47
47	मैकेनिक ग्रेड–1	..	..	12
48	वर्क ऐजेन्ट	..	..	2
49	गेट मैन	..	..	1
50	बस कन्डक्टर	..	..	1
51	ड्राइवर ग्रेड–1	..	..	1
52	ब्लास्टर	..	..	3
53	स्किन मैन	..	..	3
54	शिफ्ट ड्रिलर	..	..	19
		3614	266	393

कुल संख्या—3614+266+393=4273।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1215 पर)

अनुसंधान एवं नियोजन खंड प्रथम, मिर्जापुर एवं अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड द्वितीय, मिर्जापुर के माहवार वेतन, टी0 ए0, डी0 ए0 एवं कार्यालय व्यय का विवरण

माह	अनुसंधान एवं नियोजन खंड–1 मिर्जापुर	अनुसंधान एवं नियोजन खंड–2 मिर्जापुर	कुल योग
1	2	3	4
10/72	..	व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है	..
11/72	..	तदैव	..
12/72	23,608.88	तदैव	23,608.88
1/73	23,797.20	14,058.25	37,855.45
2/73	30,988.49	7,865.15	38,853.64
3/73	15,233.44	32,264.01	47,497.45
4/73	20,157.78	13,290.74	33,448.52
5/73	20,949.71	16,350.25	37,299.96
6/73	16,912.10	17,590.73	34,502.83
7/73	20,169.81	22,525.09	42,694.90
8/73	19,892.67	13,010.16	32,902.83
9/73	19,691.36	16,681.60	36,372.96
10/73	32,726.46	34,010.69	66,737.15
11/73	8,542.30	1,267.70	9,810.00
12/73	22,830.13	19,590.79	42,420.92
1/74	22,819.92	21,922.11	44,742.03
2/74	25,909.14	22,267.67	48,176.81
3/74	20,194.40	11,589.00	31,783.40
4/74	24,962.25	17,473.83	42,436.08
5/74	27,450.49	26,068.13	53,518.62
6/74	34,259.53	25,161.25	59,420.78
7/74	37,714.90	23,851.22	61,566.12
8/74	32,956.56	23,100.14	56,056.70
9/74	26,854.58	24,607.55	51,462.13
10/74	23,293.10	27,092.39	50,385.49
11/74	25,001.00	31,445.48	51,446.48
12/74	22,901.44	25,146.48	48,107.92
1/75	25,195.73	26,989.60	52,185.33
2/75	25,060.85	19,258.05	44,318.90
3/75	30,777.99	24,401.15	55,179.14

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2	3	4
4/75	..	24,206.60	27,074.20	51,280.80
5/75	..	22,780.31	48,021.40	70,801.70
6/75	..	25,870.35	22,844.40	48,714.75
7/75	..	25,237.92	25,894.26	51,132.18
8/75	..	24,357.13	30,500.01	54,857.14
9/75	..	11,320.96	28,584.69	39,905.65
10/75	..	45,678.51	55,190.91	1,00,869.42
11/75	..	1,411.13	3,822.14	5,233.27
12/75	..	24,437.04	28,927.10	53,364.14
1/76	..	18,181.57	26,228.78	44,410.35
2/76	..	22,684.09	29,734.07	52,418.16
3/76	..	29,726.72	33,054.77	62,781.49
4/76	.	24,529.26	27,596.31	52,125.57
5/76	..	23,202.54	36,098.17	59,300.71
6/76	..	34,521.05	31,734.40	66,255.45
7/76	..	52,878.92	51,720.27	1,04,599.19
8/76	..	4,919.79	5,187.21	10,107.00
9/76	..	47,747.43	48,518.92	96,266.35
10/76	..	7,790.31	59.87	7,850.18
11/76	..	56,820.19	25,511.36	82,331.55
12/76	..	20,139.43	51,793.09	71,932.52
1/77	..	5,297.15	..	5,297.15
2/77	..	26,272.72	28,418.10	54,690.82
3/77	..	47,338.79	44,933.50	92,272.29
4/77	..	54,392.14	26,808.81	81,200.95
5/77	..	7,596.29	28,558.54	36,154.83
6/77	..	32,304.78	30,749.60	63,054.38
7/77	..	35,858.59	35,261.63	71,120.22
8/77	..	33,324.71	39,673.78	72,998.49
9/77	..	30,441.25	26,693.77	57,135.02
10/77	..	28,730.94	30,155.45	58,886.39
11/77	..	27,368.00	25,387.72	52,755.72
12/77	..	50,158.73	43,092.08	93,244.81
1/78	..	14,519.45	7,744.90	22,264.35
योग	..	16,17,951.00	15,64,453.42	31,82,404.42

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1219 पर)

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के निरीक्षण का विवरण

मण्डल का नाम	तिथि	कार्य का तथा मार्ग का नाम जिसका निरीक्षण किया	रिमार्क्स
वाराणसी .	29-1-75	लखनऊ वाराणसी मार्ग का निरीक्षण	
	30-1-75	शाहगंज आजमगढ़ मऊ गाजीपुर मार्ग का निरीक्षण।	
	31-1-75	गाजीपुर वाराणसी मार्ग का निरीक्षण	
	1-2-75	वाराणसी जौनपुर एवं रायबरेली मार्ग का निरीक्षण।	
	2-8-75	इलाहाबाद वाराणसी मार्ग का निरीक्षण।	
	3-8-75	जी0 टी0 रोड बिहार बार्डर तक निरीक्षण।	
	27-9-75	लखनऊ वाराणसी मार्ग वाया सुल्तानपुर का निरीक्षण।	
	28-8-75	वाराणसी, सारनाथ, सैदपुर गाजीपुर आजमगढ़ तथा फैजाबाद का निरीक्षण।	
	18-11-76	इलाहाबाद से वाराणसी वाया हंडिया का निरीक्षण।	
	19-11-76	वाराणसी में स्थानीय कार्यों का निरीक्षण।	
	20-11-76	वाराणसी-जौनपुर शाहगंज मार्ग का निरीक्षण।	
गोरखपुर .	30-1-75	शाहगंज से आजमगढ़ एवं मऊ का निरीक्षण।	
फैजाबाद .	13-4-75	लखनऊ से फैजाबाद मार्ग का निरीक्षण।	
	15-7-75	लखनऊ बहराइच मार्ग का निरीक्षण।	
	16-7-75	बहराइच नानपारा जालिमनगर ईमानगंज मार्ग का निरीक्षण।	
	17-7-75	बहराइच गोंडा लखनऊ मार्ग का निरीक्षण।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मण्डल का नाम	तिथि	कार्य का तथा मार्ग का नाम जिसका निरीक्षण किया	रिमार्क्स
	4–8–75	वाराणसी सुल्तानपुर मार्ग का निरीक्षण।	
	5–8–75	लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग का निरीक्षण।	
	27–9–75	लखनऊ वाराणसी मार्ग वाया सुल्तानपुर का निरीक्षण।	
	29–9–75	लखनऊ फैजाबाद मार्ग का निरीक्षण।	
	20–3–76	लखनऊ गोंडा वाया कर्नलगंज का निरीक्षण–निर्माण मंत्री जी के साथ।	
	16–11–76	लखनऊ प्रतापगढ़ इलाहाबाद मार्ग का निरीक्षण।	
	20–11–76	वाराणसी जौनपुर शाहगंज फैजाबाद लखनऊ का निरीक्षण।	
	3–3–77	बलिया सिकन्दरपुर तुरतीपुर मार्ग का निरीक्षण।	
	3–3–77	सनौली गोरखपुर देवरिया बलिया मार्ग का निरीक्षण।	

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के दौरे पर कार्यों के निरीक्षण का विवरण:—

फैजाबाद	12–1–75	लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग का निरीक्षण।	
	14–7–75	लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग का निरीक्षण।	
वाराणसी	13–1–75	लखनऊ जौनपुर मार्ग एवं लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी मार्ग का निरीक्षण।	
	14–1–75	शिवपुर ओवरहेड पुल के पहुंच मार्ग का निरीक्षण।	
	15–1–75	लखनऊ वाराणसी मार्ग का निरीक्षण	
	14–7–75	जौनपुर में गोमती पुल के पहुंच मार्ग का निरीक्षण।	
	16–7–75	वाराणसी भदोई मार्ग का निरीक्षण	
गोरखपुर	16–7–75	इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग का निक्षरीण।	
	5–8–76	लखनऊ से गोरखपुर रेल द्वारा	मंत्रि परिषद् की मंडलीय समिति की बैठक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मण्डल का नाम	तिथि	कार्य का तथा मार्ग का नाम जिसका निरीक्षण किया	रिमार्क्स
	8–8–76	गोरखपुर से लखनऊ	
	30–1–77	फैजाबाद से गोरखपुर बरास्ता बस्ती	
	31–1–77	गोरखपुर से वाराणसी बरास्ता आजमगढ़ ।	
	16–2–77	वाराणसी से गोरखपुर वाया आजमगढ़	
	17–2–77	गोरखपुर से फैजाबाद वाया बस्ती	
	2–3–77	लखनऊ से देवरिया रेल द्वारा	
	3–3–77	देवरिया से भागलपुर तुर्तीपार नदवाघाट, गोरखपुर गोरखपुर से लखनऊ रेल द्वारा ।	
	9–3–77	लखनऊ से देवरिया रेल द्वारा ।	
	10–3–77	देवरिया से भागलपुर तुरतीपार बांध । भागलपुर से देवरिया देवरिया से गोरखपुर गोरखपुर से लखनऊ रेल द्वारा ।	
फैजाबाद . .	27–10–76	लखनऊ से बाराबंकी	
	28–10–76	बाराबंकी से फैजाबाद ।	
	29–10–76	फैजाबाद से बाराबंकी बरास्ता टिकैतनगर, रामसनेही घाट तथा बदोसराय ।	
	30–10–76	बाराबंकी से लखनऊ	
	9–11–76	लखनऊ से सुल्तानपुर बरास्ता जगदीशपुर ।	
	10–11–76	सुल्तानपुर से इलाहाबाद	
	11–11–76	इलाहाबाद से प्रतापगढ़	
	12–11–76	प्रतापगढ़ से लखनऊ	
	4–1–77	जौनपुर से सुल्तानपुर बार्डर तथा वापस ।	
	29–1–77	लखनऊ से फैजाबाद बरास्ता बाराबंकी ।	
	30–1–77	फैजाबाद से गोरखपुर बरास्ता बस्ती	
	1–2–77	वाराणसी से लखनऊ बरास्ता जौनपुर सुल्तानपुर ।	
	17–2–77	गोरखपुर से फैजाबाद वाया बस्ती	
	18–2–77	फैजाबाद से लखनऊ	

मण्डल का नाम	तिथि	कार्य का अथवा मार्ग का नाम जिसका निरीक्षण किया	रिमार्क्स
वाराणसी ..	27-7-76	लखनऊ से वाराणसी रेल द्वारा	
	28-7-76	वाराणसी से मिर्जापुर तथा भदोही से लखनऊ रेल द्वारा।	
	3-1-77	लखनऊ से जौनपुर	
	4-1-77	जौनपुर से सुल्तानपुर बार्डर तथा वापस जौनपुर से लखनऊ।	गोमती सेतु जौनपुर के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने हेतु तथा निरीक्षण।
	31-1-77	गोरखपुर से वाराणसी	
	1-2-77	वाराणसी से लखनऊ बरास्ता जौनपुर सुल्तानपुर।	
	15-2-77	इलाहाबाद से वाराणसी वाया गोपीगंज।	
	16-2-77	वाराणसी से गोरखपुर	
फैजाबाद ..	16-7-77	नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कार्यों का निरीक्षण।	
	7-6-76 8-6-76	फैजाबाद-बहराइच	भाकला तथा रसिया के पुलों की जांच के सम्बन्ध में।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) द्वारा की गई यात्रा का विवरण:--

जिले का नाम	दिनांक	कार्य का अथवा मार्ग का नाम जिसका निरीक्षण किया
वाराणसी मंडल		
वाराणसी ..	19-4-75	इलाहाबाद से वाराणसी मार्ग राष्ट्रीय मार्ग-2
	1-5-75	वाराणसी बलिया मार्ग राष्ट्रीय मार्ग-2
	2-7-75	वाराणसी से बिहार बार्डर राष्ट्रीय मार्ग-2
	26-12-75	इलाहाबाद वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग-2
	16-4-76	वराणसी इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग-2

जिले का नाम	दिनांक	कार्य का अथवा मार्ग का नाम जिसका निरीक्षण किया	रिमार्क्स
	14-8-76	इलाहाबाद मिर्जापुर एवं गंगा का पुल मिर्जापुर में राष्ट्रीय मार्ग-6	
	19-12-76	लखनऊ वाराणसी	
	20-12-76	वाराणसी इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग-29	
	11-5-77	गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग-2	
	19/20-6-77	इलाहाबाद वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग -2 एवं वाराणसी चुनार राष्ट्रीय मार्ग-7	
गाजीपुर ..	1-5-75	वाराणसी से बिहार बार्डर राष्ट्रीय मार्ग-2	
	15-4-76	वाराणसी बिहार बार्डर राष्ट्रीय मार्ग-2 (डी0 जी0 आर0 डी0 के साथ निरीक्षण)।	
	14-8-76	वाराणसी से गाजीपुर	
	11-5-77	गोरखपुर से गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग-28	
मिर्जापुर ..	20-4-75	वाराणसी मिर्जापुर राष्ट्रीय मार्ग-7	
	14-8-76	गंगा पर पुल मिर्जापुर में	
गोरखपुर मंडल			
गोरखपुर ..	29-4-75	लखनऊ गोरखपुर मार्ग राष्ट्रीय मार्ग-28	
	30-4-75	राष्ट्रीय मार्ग 28 राप्ती का पुल	
	30-5-75	लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग-28	
	1-7-75	दोहरीघाट पुल	
	14-4-76	लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग-28	
	15-8-76	गोरखपुर वाराणसी एवं बिहार बार्डर राष्ट्रीय मार्ग-28	
	9-5-77	लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग-28	
	11-5-77	गोरखपुर गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग-28	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिले का नाम	दिनांक	कार्य का अथवा मार्ग का नाम जिसका निरीक्षण किया	रिमार्क्स
बस्ती ..	29–4–75	लखनऊ गोरखपुर मार्ग राष्ट्रीय मार्ग–28	
	30–6–75	तदैव	
	14–4–76	तदैव	
	9–5–77	तदैव	
देवरिया ..	10–5–77	कसिया गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग–29	
फैजाबाद मण्डल			
फैजाबाद ..	15–8–76	गोरखपुर से फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग–29	
	21–10–76	लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग–28	
	29–3–77	तदैव	
बाराबंकी ..	21–10–76	लखनऊ फैजाबाद मार्ग	
	29–3–77	तदैव	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0 पी0—ए0पी0 35 विधान सभा–20–7–78–(1242)–1978–810 (प्रो0)